


बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार
अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन
पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (सिविल)
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
2017 की प्रतिवेदन सं. 23




विषय-सूची

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		v-vi
कार्यकारी सारांश		vii-xiii
अध्याय I : प्रस्तावना	1.1 - 1.11	1-6
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
वित्तीय सहायता	1.3	2
प्राप्त आँकड़े	1.4	3
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.5	4
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	1.6	4
लेखापरीक्षा नमूना चयन	1.7	4
लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली	1.8	5
लेखापरीक्षा मानदंड	1.9	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना	1.10	6
आभार	1.11	6
अध्याय - II वित्तीय प्रबंधन	2.1 - 2.15	7-27
पृष्ठभूमि	2.1	7
अधिनियम के अंतर्गत व्यय हेतु कोई अलग बजट प्रावधान का न होना	2.2	8
बजट प्राक्कलन एवं व्यय	2.3	9
तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान का निर्गम	2.4	11
भारी अप्रयुक्त शेष	2.5	12
बकाया अग्रिम	2.6	12
वित्त वर्ष की समाप्ति पर सहायता-अनुदान का निर्गम	2.7	13
विभिन्न स्तरों पर निधियों के निर्गम में विलंब	2.8	14
निधियों का अनियमित निर्गम/उपयोग	2.9	16
निधियों का दुर्विनियोजन	2.10	19

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में निधियों का कम उपयोग	2.11	21
राज्य कार्यान्वयन समितियों के वार्षिक लेखों में अनियमित चित्रण	2.12	24
सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा लेखाओं का प्रमाणीकरण	2.13	25
निष्कर्ष	2.14	26
अनुशंसाएं	2.15	27
अध्याय - III आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन	3.1 - 3.25	28-73
अधिनियम का विकास	3.1	28
स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण	3.2	29
परिवहन सुविधा पर व्यय	3.3	30
निवल नामांकन अनुपात प्रवृत्ति	3.4	33
सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में खराब अवधारण दर	3.5	35
अपूर्ण यूडीआईएसई ड्रापआउट डाटा	3.6	36
एचआईवी प्रभावित बच्चों के प्रति भेदभाव	3.7	36
विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) हेतु सुविधाएं	3.8	37
पूर्व-विद्यालय शिक्षा हेतु सुविधाएं	3.9	39
प्रति बच्चा-व्यय की प्रतिपूर्ति	3.10	40
छात्रों को एक ही कक्षा में रखना	3.11	43
मान्यता के बिना असहायता प्राप्त विद्यालयों का कार्य	3.12	44
अधिनियम के उल्लंघन में कैपिटेशन शुल्क का उद्ग्रहण	3.13	46
छात्र-शिक्षक अनुपात	3.14	47
शिक्षक कक्षा अनुपात में विपरीत प्रवृत्ति	3.15	50
गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों की तैनाती	3.16	51
पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों का अधिप्रापण/वितरण	3.17	53
स्कूलों के अवसंरचनात्मक विकास में अनियमितताएं	3.18	57
निधियों को अवरुद्ध करना	3.19	63
अधिप्रापण में अनियमितताएँ	3.20	65
विद्यालयों के संचालन में अनियमितताओं के मामले	3.21	68
यूडीआईएसई एवं राज्य(यों) के डाटा के बीच अंतर	3.22	68

विवरण	पैराग्राफ	पृष्ठ
लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये अच्छे कार्य	3.23	71
निष्कर्ष	3.24	71
अनुशंसाएं	3.25	72
अध्याय - IV मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन	4.1 - 4.12	74-95
पृष्ठभूमि	4.1	74
राष्ट्रीय सलाहकार समिति	4.2	74
राज्य सलाहकार समिति (एसएसी)	4.3	75
विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)	4.4	76
निरीक्षणों में कमी	4.5	80
शिकायत निवारण तंत्र	4.6	82
संस्थानों द्वारा मॉनीटरिंग में पाई गई अनियमितताएं	4.7	87
आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव	4.8	89
सिविल कार्यों का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन	4.9	91
बच्चों द्वारा सीखने का स्तर मूल्यांकन/छात्रों द्वारा कम अकादमिक उपलब्धि	4.10	91
निष्कर्ष	4.11	94
अनुशंसाएं	4.12	94
परिशिष्ट	I - V	97-118
संकेताक्षर		119-122



प्राक्कथन

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) में बच्चों का अधिकार एक न्यायसंगत कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें छह - चौदह वर्ष की उम्र के बीच सभी बच्चों को अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा का पूर्ण होना, निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। अधिनियम को 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां के रिकॉर्ड के माध्यम से नमूना जांच, 28 राज्यों (जम्मू और कश्मीर को छोड़कर) और सात संघ राज्य क्षेत्रों में अप्रैल 2010 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए संचालित की गई थी। इसके अलावा, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई)/स्कूल रिपोर्ट कार्ड के आंकड़ों और राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया।

अधिनियम में प्रावधान के बावजूद, आरटीई के लिए कोई अलग बजट नहीं है, बल्कि इसे सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) बजट में शामिल किया गया है। वर्तमान लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में यह टिप्पणियाँ की गयी हैं कि केन्द्र में और साथ ही राज्यों में एसएसए के लिए बजट प्रस्ताव कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त आगत पर आधारित नहीं है। मंत्रालय के पास स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या (ओओएससी) की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है क्योंकि राज्यों द्वारा घरों के नियमित सर्वेक्षण का संचालन करने में कमी है। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डीआईएसई) के डाटा में विसंगतियां हैं, अधूरा है और उचित स्तर पर सत्यापित नहीं किया जा रहा है। निर्धारित आधारभूत ढांचा जिसका आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के तीन वर्षों (मार्च 2013) के अंतर्गत अनुपालन किया जाना था, अभी भी पूरी तरह से बनाया नहीं गया है। अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर सलाहकार परिषद (राष्ट्रीय सलाहकार परिषद) नवंबर 2014 के बाद से अस्तित्व में नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन के लेखापरीक्षा परिणाम निहित हैं, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संचालित की गई है।

कार्यकारी सारांश

भारत के संविधान का अनुच्छेद 21-क और बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, (आरटीई) 1 अप्रैल 2010 से प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों का मौलिक अधिकार बनाने के लिए प्रभावी हो गया। आरटीई अधिनियम की धारा 3(1) प्रावधान करती है कि 6-14 वर्ष आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक समीपवर्ती विद्यालय में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। आरटीई अधिनियम स्वतंत्र निकायों को जैसे कि राष्ट्रीय/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग सवैधानिक भूमिका निभाने का अधिकार देता है। अर्धन्ययिक शक्तियों के साथ यह निकाय अधिनियम की मॉनीटरिंग के नए तत्वों को लेकर आते हैं।

ये लेखापरीक्षा क्यों की गई?

मौजूदा लेखापरीक्षा इस तथ्य की जांच करने के लिए की गई थी कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना किस सीमा तक की है, और आवंटित धन मितव्ययी और प्रभावी तरीके से उपयोग किए जा रहे हैं।

हमने क्या पाया?

निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण जांच-परिणाम नीचे वर्णित हैं।

वित्तीय प्रबंधन

एसएसए के अंतर्गत बजट आबंटन हेतु राज्य प्रस्ताव और पीएबी द्वारा एसएसए मानदण्डों के अनुसार न होने के कारण कटौती की गई। भारत सरकार (जीओआई) के बजट प्रावधान पीएबी के अनुमोदित परिव्यय पर आधारित नहीं थी क्योंकि परिव्ययों के अनुमोदन हेतु समय-सूची, बजट निर्माण अनुसूची से मेल नहीं खाती थी। एमएचआरडी द्वारा 2010-16 के दौरान जारी उपयोग प्रमाण-पत्र सभी वर्षों में वर्ष के अंत में अव्ययित शेष आगामी वर्षों के अथ शेष से मेल नहीं खाते थे।

(पैरा 2.3)

13वीं वित्त आयोग के अंतर्गत निधियाँ जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित व्यय मापदण्डों का अनुपालन न करने के कारण 15 राज्यों को ₹1909 करोड़ की कम निधियाँ जारी हुईं।

(पैरा 2.4)

राज्य सरकार द्वारा वर्ष दर वर्ष प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में विशाल शेष रखना, कमजोर आंतरिक नियंत्रण का संकेतक थे। प्रत्येक वर्ष के अंत में अप्रयुक्त अनुदान 35 राज्यों/यूटी में ₹12,259.46 करोड़ से ₹17,281.66 करोड़ के बीच रहा।

(पैरा 2.5)

राज्य कार्यान्वयन समितियों द्वारा ₹10,984.85 करोड़, ₹15,053.63 करोड़ एवं ₹4474.79 करोड़ की धनराशि के विशाल बकाया अग्रिमों का क्रमशः 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के अंत में समायोजन होना शेष था।

(पैरा 2.6)

नौ राज्यों के द्वारा अनुसंधान, मूल्यांकन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण (आरईएमएस) पर निधियों का 9 से 65 प्रतिशत के बीच कम उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों में अध्ययन वृद्धि कार्यक्रम तथा समुदाय संघटन से संबंधित निधियों का भी कम उपयोग पाया गया।

(पैरा 2.11)

राज्य कार्यान्वयन समितियों के लेखाओं के प्रमाणीकरण हेतु एसएसए के वित्तीय प्रबंधन एवं अधिप्राप्ति की नियम-पुस्तक द्वारा निर्धारित समय-सीमा का सनदी लेखाकारों द्वारा पालन नहीं किया गया था।

(पैरा 2.13)

आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 1/4/2010 से लागू हुआ जो कि अनुच्छेद 21-ए के अंतर्गत संविधान में संशोधन (दिसम्बर 2002) होने के सात वर्ष से

अधिक बीत जाने के बाद, 6-14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

(पैरा 3.1)

21 राज्यों/यूटी में स्थानीय प्राधिकारों द्वारा घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से, जन्म से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के रिकार्ड का वार्षिक अनुरक्षण/अद्यतन नहीं हो रहा था।

(पैरा 3.2)

निष्पादन संकेतकों जैसे नामांकन, प्रतिधारण, ड्रॉपआऊट आदि का निर्धारण करने के लिए यूडाईस के अंतर्गत प्राप्त किया गया डाटा अधूरा/अशुद्ध था।

(पैरा 3.4, 3.5 एवं 3.7)

इस अधिनियम के तहत विशेष आवश्यकताओं वाले सभी योग्य बच्चों को परिकल्पित परिवहन, एड्स और उपकरणों जैसे लाभ, पांच राज्यों में प्रदान नहीं किए गए थे।

(पैरा 3.8)

यद्यपि अधिनियम में व्यवस्था थी कि तीन से छः वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान करने के लिए संबंधित सरकार आवश्यक प्रबंध करेगी, इसके बावजूद पांच राज्यों में किसी प्रकार की स्कूल-पूर्व शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही थी।

(पैरा 3.9)

चार राज्यों में अधिक/अनियमित शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, के मामले पाए गए थे। बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय पांच राज्यों में मान्यता के बिना काम कर रहे थे। तेलंगाना राज्य में नौ विद्यालयों पर कैपिटेशन शुल्क लगाने के लिए लगाए गए ₹15.29 करोड़ की जुर्माना एकत्र नहीं किया गया था।

(पैरा 3.10, 3.12, एवं 3.13)

अधिनियम की धारा 16 में परिकल्पित है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा की समाप्ति के पूर्व किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा अथवा उन्हें स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। 14 वर्षों से अधिक के बच्चों को पंद्रह राज्यों में अधिनियम का उल्लंघन करते हुए प्राथमिक कक्षाओं में रोका गया था।

(पैरा 3.11)

11 राज्यों में प्रतिकूल छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) अतिरिक्त अध्यापकों/एकल अध्यापकों के मामले स्कूलों में देखे गए थे जोकि दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने के माहौल को प्रभावित करते हैं।

(पैरा 3.14)

नौ राज्यों में गैर-शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अध्यापकों की तैनाती से संबंधित अधिनियम की धारा 25(2) के साथ पठित धारा 27 के उल्लंघन में अध्यापकों की तैनाती की गई थी।

(पैरा 3.16)

12 राज्यों/यूटी प्रदेशों में पाठ्यपुस्तकों, यूनिफॉर्म, कंप्यूटरों आदि की अनियमित खरीद के मामले सामने आए।

(पैरा 3.17 एवं 3.20)

यद्यपि अधिनियम में अनिवार्य किया गया है कि स्कूल अवसंरचना के लिए प्रावधान तीन वर्षों अर्थात् 31 मार्च 2013 तक किया जाना चाहिए, यह स्थापित नहीं किया गया है।

(पैरा 3.18)

18 राज्यों/यूटी में, यूडीआईएसई और परीक्षण के लिए भौतिक जांच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा एकत्र आंकड़ों के बीच अंतर देखा गया था।

(पैरा 3.22)

मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसे प्रभावी रूप से अधिनियम के कार्यान्वयन को सलाह देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था मुख्य रूप से अप्रभावी रहा और नवम्बर 2014 से मौजूद नहीं था।

(पैरा 4.2)

राज्यों को प्रोत्साहन देने वाले राज्य सलाहकार परिषद सात राज्यों /यूटी में निर्मित नहीं थे। 11 राज्यों/यूटी ने राज्य सलाहकार परिषद् की एक भी बैठक नहीं की थी।

(पैरा 4.3)

12 राज्यों/यूटी में लेखापरीक्षा में नमूना परीक्षित तीन से 88 प्रतिशत स्कूलों में स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन नहीं हुआ था। यह भी पाया गया कि उन मामलों में भी जहां एसएमसी का निर्माण किया गया था, उनका निर्माण विलंब के साथ किया गया और बैठकों की संख्या में कमियां थीं। स्कूल विकास योजनाओं की तैयारी में भी कमियां पाई गई थीं।

(पैरा 4.4)

11 राज्यों में, संबंधित सरकारों के अधिकारियों/स्टाफ जैसे कि ब्लॉक स्तरीय अधिकारी/ब्लॉक संसाधन केन्द्र/समूह संसाधन केन्द्र आदि द्वारा योजना के अंतर्गत आवधिक पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित जांच नहीं हुई थीं।

(पैरा 4.5)

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में लंबित शिकायतों के निपटान में विलंब और 12 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों में बाल हेल्पलाइन स्थापित न होना, ध्यान में आए।

(पैरा 4.6)

2010-11 से 2015-16 के दौरान, केन्द्रीय स्तर पर आरटीई योजना की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी तथा सात राज्यों/यूटी में आंतरिक लेखापरीक्षा करने में कमियाँ पाई गईं।

(पैरा 4.8)

अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं:

- I. वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपी एवं बी) को अंतिम रूप देने की समय सीमाओं की समीक्षा की जाए ताकि एडब्ल्यूपी एवं बी से इनपुटों को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने के लिए इसे जीओआई एवं राज्यों के बजट निर्माण प्रक्रिया के समरूप किया जा सके।
- II. मंत्रालय को आगामी वर्षों के अथशेष के साथ वर्ष के अंत में अव्ययित शेषों के साथ पुनर्मिलान करना चाहिए।
- III. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बकाया अग्रिमों की नियमित समीक्षा एवं समायोजन किया जाए।
- IV. सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) एवं राज्य कार्यान्वयन समितियां (एसआईएस), वित्त प्रबंधन एवं प्रापण (एफएमवपी) नियम पुस्तक का सख्ती से पालन करें और समय अनुसूची का पालन करें।
- V. राज्य सरकार, सभी पात्र बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु राज्य में पात्र बच्चों की पहचान करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण करवाएं।
- VI. अधिनियम के उद्देश्य के अनुपालन में ड्रापआउट दर को समाप्त करने के लिए सभी पात्र बच्चों की भर्ती सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय किये जाएं।
- VII. संबंधित सरकार विद्यालय में शिक्षकों की आवश्यकता का पुर्नमूल्यांकन करें और शिक्षकों की कमी/अधिकता की संभावना को निम्नतम करने की दृष्टि से शिक्षकों की तैनाती के लिए पद्धति बनाएं। बच्चों को उचित व उपयोगी शिक्षा प्रदान करना, शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
- VIII. संबंधित सरकार नियमित रूप से मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति एवं विवरण की समीक्षा करें।
- IX. लक्षित विद्यालयों/छात्रों तक प्राप्तियों एवं विवरणों के समुचित लेखांकन को सुनिश्चित करने के लिए पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों की खरीद को और अधिक युक्ति संगत किया जाए।

- X. आरटीई कार्य योजना के अनुसार स्कूल अवसंरचना आवश्यकताओं को तुरंत उपलब्ध कराया जाए।
- XI. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् का पुनर्गठन अपेक्षित है।
- XII. राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) का गठन सभी विद्यालयों में हुआ है, विद्यालय विकास योजनाएँ सभी एसएमसी द्वारा तैयार की गई हैं और योजना के प्रबंधन एवं मॉनीटरिंग में सुधार के लिए निर्धारित संख्या में एसएमसी बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- XIII. निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और ब्लॉक संसाधन केन्द्रों एवं समूह संसाधन केन्द्रों द्वारा आवश्यक आवधिक निरीक्षण कराया जाए।
- XIV. मुख्य लेखानियंत्रक यह सुनिश्चित करें कि योजना की केन्द्र स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा को नियमित रूप से संचालित किया जाए।

अध्याय - I प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई), अधिनियम 2009 (जिसे बाद में 'अधिनियम' कहा गया) 1 अप्रैल 2010 से कार्यशील हो गया। यह अधिनियम छः से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को अपने समीपवर्ती विद्यालयों में उसके/उसकी प्राथमिक शिक्षा के पूर्ण होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)¹ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का मुख्य साधन है। परिणामस्वरूप सर्व शिक्षा अभियान की रूपरेखा और मानदंडों को आरटीई अधिनियम और विभिन्न राज्यों के आरटीई नियमों² के साथ अनुरूपता के लिए मार्च 2011 में संशोधित किया गया था।

निःशुल्क शिक्षा का अभिप्राय किसी भी बच्चे को ऐसे शुल्क, प्रभार या खर्च से मुक्त करना है जो कि उसे अपनी प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त एवं पूर्ण करने में बाध्यकारी हो। **अनिवार्य शिक्षा**, संबंधित सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों पर यह उत्तरदायित्व डालती है कि वह छः से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को दाखिला, उपस्थिति एवं प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

यह अधिनियम राष्ट्रीय एवं राजकीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोगों³ को निरीक्षण की भूमिका सौंपता है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) एवं राज्य सलाहकार परिषद (एसएसी) अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए परामर्श देती हैं। अधिनियम, 2009 की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं-

- समीपवर्ती विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बच्चों का अधिकार (धारा-3)
- छः से चौदह वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को अनिवार्य दाखिला, उपस्थिति एवं प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना। (धारा-3)
- उचित आयु समकक्ष कक्षा में बच्चों का दाखिला (धारा-4)

¹ 2000-01 से संचालित भारत सरकार का सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम।

² यह अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर सारे राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में लागू है। जम्मू एवं कश्मीर में यद्यपि आरटीई लागू नहीं है, परंतु एसएसए लागू है।

³ बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आयोग को बनाया गया।

- केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों का आदान-प्रदान। (धारा-7)
- छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) भवन एवं अवसरचना, विद्यालय कार्यदिवस, और शिक्षक कार्यसमय से संबंधित मानदण्डों एवं प्रतिमान का वर्णन (धारा 19 एवं 25)।
- दशवर्षीय जनगणना, स्थानीय प्राधिकरण/राज्य विधानसभा/संसद का चुनाव और आपदा राहत के अतिरिक्त गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध, एवं उचित प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति (धारा-27)
- (i) शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न (ii) बच्चों के दाखिला संबंधी प्रतिच्छादन प्रक्रिया (iii) प्रतिव्यक्ति शुल्क (iv) शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत शिक्षण देना और (v) गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कार्य करने पर प्रतिबंध (धारा 13,17 और 18)
- बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा एवं निरीक्षण करना एवं राष्ट्रीय एवं राज्य बाल अधिकार सुरक्षा आयोग द्वारा शिकायतों का निवारण। (धारा- 31)

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण जो कि छः से चौदह वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में तीन मुख्य पहलुओं जैसे- प्रवेश, नामांकन, प्रतिधारण पर केन्द्रित है।

1.2 संगठनात्मक ढांचा

इस अधिनियम का कार्यान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एमएचआरडी) के अंतर्गत स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (डीएसईल) द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पूर्ण दायित्व राज्य सरकारों में निहित है और इस उद्देश्य के लिए राज्य कार्यान्वयन समितियाँ (एसआईएस) गठित की गई हैं।

1.3 वित्तीय सहायता

इस अधिनियम के अंतर्गत व्यय भारत सरकार (जीओआई) और राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र⁴ (यूटी) के बीच वर्ष 2014-15 तक 65:35 के अनुपात (उत्तर-पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के 8 राज्यों के लिए 90:10) और 60:40 का अनुपात (8 एनईआर राज्य और दो हिमालयी राज्य हिमाचल एवं उत्तराखंड के लिए 90:10 का अनुपात)

⁴ यूटी में दिल्ली, पुडुचेरी शामिल है।

2015-16 के लिए। जीओआई 2015-16 से यूटी के व्यय में पूर्ण रूप से योगदान दे रहा है।

2010-16 के दौरान, एसएसए के अंतर्गत एमएचआरडी एवं राज्य सरकार/यूटी के द्वारा जारी की गई निधियों में से ₹2,04,507.30 करोड़ का व्यय हुआ था।

1.4 प्राप्त आँकड़े

1994 में एमएचआरडी ने, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) के अंतर्गत एक स्कूल आधारित कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली की रूपरेखा और विकसित करने का निर्णय लिया, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए), नई दिल्ली को सौंपी गयी थी। एनयूईपीए में शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) विभाग, भारत में शैक्षणिक प्रबंधन सूचना प्रणाली को विकसित एवं सुदृढ़ करने में लगा हुआ है।

वर्ष 1995 के मध्य में, एनयूईपीए के द्वारा शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली (डाईस) नाम के सॉफ्टवेयर का प्रथम संस्करण (डीबेस) बनाया गया। यह प्रणाली सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक अनुभागों की आठ वर्षों की स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। इसमें शामिल शैक्षणिक वस्तुओं की अवधारणा एवं परिभाषाओं को राष्ट्रीय स्तर पर मानकीकृत किया गया है और समान रूप से सभी जिलों और राज्यों द्वारा इसका पालन किया गया है। यह विद्यालय, गांव, समुदाय, ब्लॉक एवं जिला स्तरों पर समय श्रृंखला आँकड़े प्रदान करता है।

2012-13 से, पहली बार कक्षा I से XII तक विद्यालय शिक्षा के लिए एक आंकड़ा प्राप्ति प्रारूप देश भर में उपयोग किया गया। तदुपरांत, डाईस को एकीकृत-डाईस (यूडीआईएसई) के नाम से जाना गया। यूडीआईएसई विद्यार्थियों, शिक्षकों, और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मापदण्डों पर सूचना प्राथमिक स्तर पर प्रदान करता है। यूडीआईएसई को "अधिकारिक आँकड़ों" की प्रतिष्ठा प्रदान की गई है और इसमें दो प्रकार के आँकड़ों को सम्मिलित किया गया है।

- i. www.dise.in राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरों पर समेकित संकलित आँकड़े रखता है, और

- ii. www.schoolreportcards.in यूडीआईएसई के अंतर्गत शामिल सभी विद्यालयों के लिए “विद्यालय रिपोर्ट कार्ड” (प्रत्येक विद्यालयों के लिए 400 से अधिक वैरिएबल सहित) एक पृष्ठ पर उपलब्ध है।

1.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिनियम में प्रावधानों के साथ अनुपालन किस सीमा तक किया गया एवं आवंटित धन का मितव्ययी एवं प्रभावी प्रयोग हुआ, सत्यापित करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी।

1.6 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में 2010-11 से 2015-16 तक की अवधि (छह वर्ष) शामिल है। लेखापरीक्षा में निम्न स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन को शामिल किया गया:

चार्ट 1: विभिन्न स्तरों पर अधिनियम का कार्यान्वयन

केन्द्रीय स्तर	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
राज्य स्तर	राज्य कार्यान्वयन समितियाँ
जिला/ब्लॉक स्तर	जिला नोडल विभाग
स्थानीय स्तर	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय

1.7 लेखापरीक्षा नमूना चयन

एमएचआरडी में और सभी राज्यों में (जम्मू और कश्मीर (जे एण्ड के) को छोड़कर) लेखापरीक्षा संचालित की गई थी और निम्नलिखित नमूना चयन पद्धति को अपनाया गया था।

1 स्तर: जिलों का चयन - एक राज्य के भीतर जिलों का 15 प्रतिशत, जिले में विद्यालयों की संख्या के रूप में आकार के साथ पद्धित के बिना आकार की संभाव्यता समानुपात प्रतिस्थापन (पीपीएसडब्ल्यूओआर) का उपयोग करके न्यूनतम 2 (दो) (एक जिले के साथ यूटी के मामले में, एक का चयन किया गया था) और अधिकतम 10 (दस) तक का चयन किया गया था। कुल 112 जिलों का चयन किया गया (परिशिष्ट-I)।

2 स्तर: ब्लॉक/तालुकों/उप जिला/क्षेत्रों का चयन - 4 ब्लॉकों (3 ग्रामीण और 1 शहरी) का चयन किसी जिले में प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूने पर किया गया था (एसआरएसडब्ल्यूओआर)।

3 स्तर: विद्यालयों का चयन - प्रत्येक जिले में एसआरएसडब्ल्यूओआर पद्धति के माध्यम से 30 स्कूलों का चयन किया गया था। तदनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,370⁵ स्कूलों का चयन किया गया।

2012-13 से 2015-16 तक की अवधि के लिए यूडीआईएसई के अंतर्गत हासिल आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। माध्यमिक शिक्षा आरटीई अधिनियम के तहत नहीं आती है, लेकिन तुलनात्मकता को आसान बनाने के लिए दिए गए अभियुक्तियों में सांख्यिकी को अपनाया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा 26 अप्रैल 2016 को एमएचआरडी के साथ एक प्रवेश सम्मेलन से शुरू हुई, जिसमें लेखा परीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्यों और मानदंडों पर चर्चा हुई। लेखापरीक्षा प्रक्रिया में विद्यालयों, ब्लॉकों, जिले, राज्यों और एमएचआरडी स्तरों पर अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित रिकॉर्डों की जांच शामिल थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समेकन एवं लेखापरीक्षा के समापन के बाद, एमआरएचडी के साथ 30 जनवरी 2017 को एक निर्गम सम्मेलन आयोजित किया गया था और एमएचआरडी के विचारों को शामिल करने के बाद रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। आगे, लेखापरीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत और अंत में राज्य महालेखाकार का संबंधित राज्य सरकारों के साथ प्रवेश और निर्गम सम्मेलन भी हुए थे। एमएचआरडी और संबंधित राज्य सरकारों/राज्य क्रियान्वयन समितियों से प्राप्त उत्तरों, जहां भी प्राप्त हुआ, को रिपोर्ट में उचित रूप से शामिल किया गया है।

1.9 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड व्युत्पन्न थे:

- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा संबंधित नियम;
- अधिनियम 2009 के आधार पर योजना दिशानिर्देश;
- अधिनियम के तहत व्यय के लिए संबंधित राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए मानक;

⁵ पुदुचेरी द्वारा 70 विद्यालय चयनित किए गए।

- एमएचआरडी/राज्य सरकारों/यूटी प्रशासन द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेश, सूचनाएं, परिपत्र, निर्देश;
- एमएचआरडी द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना तथा बजट;
- वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तक - एसएसए, 2010;
- सामान्य वित्तीय नियम एवं आऊटकम बजट; तथा
- शिक्षा के लिए जिला सूचना प्रणाली।

1.10 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना

रिपोर्ट का लेआउट निम्नानुसार है:-

- अध्याय 2 - वित्तीय प्रबंधन;
- अध्याय 3 - आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन; तथा
- अध्याय 4 - मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन।

1.11 आभार

हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए सहयोग की सराहना करते हैं।

अध्याय - II वित्तीय प्रबंधन

2.1 पृष्ठभूमि

अधिनियम की धारा 7(1) के अनुसार इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए निधियों को उपलब्ध कराने की समवर्ती जिम्मेदारी केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की होगी। प्रत्येक वर्ष, वित्त मंत्रालय एसएसए के अंतर्गत मानदंडों के कार्यान्वयन हेतु, एसएसए कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संशोधित रूपरेखा में निहित मानदंडों के अनुसार परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा प्रत्येक राज्य हेतु अनुमोदित परिव्यय के आधार पर बजट (बजटीय प्राक्कलन (बीई)/संशोधित प्राक्कलन (आरई) प्रदान/आवंटित करता है। एसएसए के बजट में आरटीई के प्रावधान शामिल हैं।

13वां वित्त आयोग (एफसी) ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए भी निधि निर्धारित की थी। 2010-15 के दौरान राज्यों को संवितरित किये जाने वाली निधियों की कुल राशि ₹24,068 करोड़ थी। किसी राज्य के पीएबी अनुमोदित परिव्यय को एफसी निधियों तक सीमित कर दिया जाता है एवं भारत सरकार तथा राज्य के अंश को निर्धारित अनुपात में उसके बाद परिकल्पित कर लिया जाता है।

एसएसए के अंतर्गत बजट प्रस्तावों को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीएवंबी) के रूप में तैयार किया जाता है, जिसमें एसएसए रूपरेखा में निर्धारित सभी हस्तक्षेपणीय उपाय के मानदण्ड आवृत होते हैं। वर्ष हेतु मद-वार बजट माँग एडब्ल्यूपीएवंबी में शामिल हैं एडब्ल्यूपीएवंबी प्रस्ताव दो भागों में परिकल्पित हैं, चालू वित्त वर्ष के लिए आयोजन तथा विगत वर्ष की प्रगति समीक्षा परियोजना का मूल्यांकन, जिसमें पिछले वर्ष के अधिशेष कार्य का चालू वर्ष में हस्तांतरण शामिल है। योजना की जांच मूल्यांकन दल द्वारा की जाती है और फिर उसकी समीक्षा परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय में प्राथमिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता के अधीन योजना आयोग, एकीकृत वित्त प्रभाग, श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रतिनिधियों, राज्यों से प्रतिनिधियों, मूल्यांकन


मिशन के सदस्य आदि के साथ की जाती है। पीएबी ने मदवार परिव्यय एवं एक समेकित परिव्यय को अंततः अनुमोदित किया जाता है।

जीओआई अंश एक वर्ष में दो किस्तों में जारी किया जाता है, अप्रैल में और सितंबर में। पहली किस्त दो हिस्सों में जारी की जाती है अर्थात् पहला हिस्सा अनौपचारिक किस्त के रूप में एवं दूसरा हिस्सा प्रथम किस्त के शेष के रूप में। अनौपचारिक किस्त को अप्रैल-मई में विगत वित्त वर्ष में किये गये व्यय के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक जारी किया जाता है। बकाया किस्त को जून-जुलाई माह में जारी किया जाता है बशर्ते राज्य का सुमेलित हिस्सा एवं विगत वर्ष का तत्कालिक उपयोग प्रमाण-पत्र हो। दूसरी किस्त को व्यय की गति, समानुपातित राज्य अंश की प्राप्ति, लेखापरीक्षित लेखा, बकाया अग्रिमों के समायोजन, आदि एवं चालू वर्ष के लिए तत्कालिक उपयोग प्रमाण पत्र के आधार पर सितंबर-अक्टूबर के माह में जारी की जाती है। तथापि, एसएसए के अलावा, शिक्षा मानकों के विकास से संबंधित मुख्यतः प्रारंभिक एवं माध्यमिक स्तर पर कुछ अन्य योजनाएं थी अर्थात् राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) एवं प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (2013-14 तक एनपीईजीईएल)। अंतिम दो योजनाएं एसएसए के तहत अलग बजट प्रावधानों के दो अतिरिक्त घटक थे और निधि प्रवाह निम्नानुसार है:

चार्ट 2: वर्ष 2013-14 तक निधि प्रवाह चार्ट



चार्ट 3: वर्ष 2014-15 तक निधि प्रवाह चार्ट



2.2 अधिनियम के अंतर्गत व्यय हेतु कोई अलग बजट प्रावधान का न होना

मंत्रिमंडल को टिप्पणी (अक्टूबर 2008) के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत छः से चौदह वर्ष के आयु वर्ग में जनसंख्या प्राक्कलन के आधार पर और 2008-09 से

2014-15 हेतु आरटीई के तहत वित्तीय आवश्यकता प्राक्कलन ₹2.28 लाख करोड़ का था।

अधिनियम की धारा 7(2) के अनुसार, केन्द्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु पूंजीगत एवं आवर्ती व्यय का प्राक्कलन तैयार करना था। तथापि, जीओआई ने अभी तक अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु कोई अलग बजट प्रदान नहीं किया है।

एमएचआरडी ने बताया (दिसंबर 2015) कि चूंकि एसएसए को अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु वाहन के रूप में चुना था, एसएसए के लिए बीई/आरई का आबंटन किया गया था और अधिनियम के तहत कोई अलग आबंटन नहीं किया गया था। एमएचआरडी ने आगे बताया (मई 2017) कि एसएसए (केजीबीवीएस सहित) के अंतर्गत पूर्व बजट प्रावधान अवसंरचना विकास, प्रबंधन तथा अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग के लिए किया गया है।

2.3 बजट प्राक्कलन एवं व्यय

अधिनियम की धारा 7(3) व्यवस्था करती है कि केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को, राजस्वों के सहायता अनुदान के रूप में विनिर्दिष्ट व्यय का ऐसा प्रतिशत उपलब्ध करायेगी, जैसा वह समय-समय पर राज्य सरकारों के परामर्श से अवधारित करे। जीओआई ने आरटीई से संबंधित अधिनियम द्वारा आवश्यकतानुसार अपने निधिकरण पैटर्न को निर्धारित नहीं किया है परंतु एसएसए हेतु केन्द्र एवं राज्यों/यूटी के मध्य हिस्सेदारी को 65:35 (90:10 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनइआर) में 8 राज्यों के लिए) के रूप में वर्ष 2014-15 तक के लिए निर्धारित किया है और बाद में उसे 2015-16 से 60:40 में संशोधित कर दिया (8 एनइआर राज्यों एवं दो हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए 90:10)। जीओआई 2015-16 से संघ शासित क्षेत्रों में व्यय हेतु पूरी तरह अंशदान करता है।

वित्त मंत्रालय प्रत्येक वर्ष के अगस्त/सितंबर माह में बजट परिपत्र जारी करता है जिससे प्रत्येक वर्ष बजट प्रावधान अक्टूबर/नवम्बर तक वित्त मंत्रालय को सौंपे जा सके तदनुसार एमएचआरडी राज्यों को उनके एडब्ल्यूपीएवंबी अग्रेषित करने के लिए परिपत्र जारी करता है।

वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका के पैरा 50.1 के अनुसार, बजट प्रक्रिया का आरंभ प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को राज्यों द्वारा एडब्ल्यूपी एवं बी के निर्माण के साथ और 15 अप्रैल तक परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदन के साथ होता है। चूंकि बजट प्रस्ताव अक्टूबर/नवंबर में एमएचआरडी द्वारा वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाते हैं, वही अनौपचारिक प्रकार के होते हैं जो पीएबी अनुमोदित आउटले के आधार पर नहीं होते हैं जिन्हें आगामी वर्ष के अप्रैल तक अंतिम रूप दिया जाता है। एसएसए के लिए 2010-11 से 2015-16 के दौरान राज्यों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पीएबी अनुमोदन एवं जीओआई बजट प्रावधान के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

तालिका 1: एसएसए हेतु अनुमोदन एवं जीओआई बजट प्रावधानों के समक्ष राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राज्य प्रस्ताव	पीएबी द्वारा अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय के अनुसार केन्द्र अंश	भा.स. में बजट प्रावधान*
1	2	3	4	5
2010-11	प्रस्तावित नहीं	44609.98	29610.38	19838.23
2011-12	81886.31	60347.53	40100.43	21000.00
2012-13	105244.62	68136.46	45421.35	23875.83
2013-14	96769.42	43810.08	25740.74	27258.00
2014-15	91482.06	51396.02	31947.36	28258.00
2015-16	91485.12	61036.53	38069.99	22000.00

स्रोत: पीएबी कार्यवृत्त, स्वीकृत उपयोग प्रमाणपत्र एवं मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत डाटा

* जे एवं के के लिए बजट प्रावधान भी शामिल

इसके अतिरिक्त, एसएसए के अंतर्गत बजट आबंटन हेतु राज्यों के प्रस्ताव परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा अनुमोदित परिव्यय से सतत रूप में अधिक थे तथा एसएसए रूपरेखा में निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्मित नहीं किया जाना कटौती का प्रमुख कारण था। भारत सरकार (जीओआई) के बजट प्रावधान पीएबी अनुमोदित परिव्यय पर आधारित नहीं थे क्योंकि पीएबी द्वारा अनुमोदन परिव्यय हेतु समय अनुसूची जीओआई के बजट अनुसूची के साथ संरेखण नहीं थीं।

एसएसए के अंतर्गत एमएचआरडी एवं राज्य/यूटी द्वारा वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान प्रदत्त निधियों के प्रति व्यय के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:

तालिका 2: उपलब्ध परिव्यय की तुलना में व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ अव्ययित शेष	केन्द्र निर्गम	राज्य निर्गम	अन्य प्राप्ति	कुल उपलब्ध परिव्यय	व्यय	कम उपयोग का प्रतिशत
1	2	3	4	5	7	8	9
2010-11	10680.76	17894.37	9631.47	591.48	38798.08	25563.08	34
2011-12	14398.23	18606.23	9596.50	1345.48	43946.44	25804.32	41
2012-13	12259.46	19756.82	11329.50	1245.55	45917.10	33852.77	26
2013-14	16963.77	21187.22	13249.87	1675.06	56538.84	38278.16	32
2014-15	17281.66	23360.02	10984.80	865.25	52491.73	39177.16	25
2015-16	14112.90	21739.19	15652.10	1366.40	52870.59	41831.80	21

स्रोत: एमएचआरडी द्वारा तैयार उपयोग प्रमाणपत्र से संकलित डाटा निम्न उपयोग प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किए गए: मेघालय (2010-11); मध्य प्रदेश (2011-12); राजस्थान (2012-13); हिमाचल प्रदेश (2015-16); महाराष्ट्र (2015-16); उत्तराखंड (2015-16)।

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य सरकारें/राज्य कार्यान्वयन समितियां 2010-11 से 2015-16 के दौरान 21 प्रतिशत से 41 प्रतिशत तक की निधियों का उपयोग करने में लगातार अक्षम रही थीं। इसके अतिरिक्त, एमएचआरडी द्वारा 2010-11 से 2015-16 के बीच सभी वर्षों में जारी उपयोग प्रमाणपत्र से यह भी पता चला कि वर्ष के अंत में अव्ययित/अंत शेष, आगामी वर्षों के अथ शेष के साथ मेल नहीं खाते थे।

एमएचआरडी ने अपने उत्तर (मई 2017) में स्वीकार किया कि जीओआई के बजट अनुमान वार्षिक योजना पर आधारित थे न कि राज्य एडब्ल्यूपीएण्डबी तथा पीएबी स्वीकृत अनुमानों के आधार पर थे। आगे बताया कि वर्ष की समाप्ति पर अव्ययित/अंत शेष का हमेशा अनुवर्ती वर्ष के अथ शेष के साथ मिलान किया गया था। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा को प्रदत्त उपयोग प्रमाणपत्र दर्शाते हैं कि वर्ष के अंत में अव्ययित/अंत शेष अनुवर्ती वर्ष के अथ शेष से मेल नहीं खाते हैं।

2.4 तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत अनुदान का निर्गम

तेरहवें वित्त आयोग (XIII एफ.सी) का अनुदान, परस्पर एसएसए हेतु राज्यों के अपने अंश के रूप में और जो राज्यों को अंशदान देना आवश्यक था, के मध्य की कमी को भरने पर केन्द्रित था। इसे प्रति वर्ष (2010-2015) संबंधित राज्यों के वित्त विभाग को प्रदान करना था, जिसे संपूर्ण निधियों को आरटीई/एसएसए

के अंतर्गत उपयोग हेतु राज्य कार्यान्वयन समिति को अंतरित करना था। अनुदान प्रारंभिक शिक्षा हेतु राज्यों के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए अतिरिक्त सहायता के लिए था। अनुदानों को इस अनुबंध के साथ जारी किया जाता था कि प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत व्यय (योजनागत जोड़ गैर-योजनागत) राज्य द्वारा वेतन को छोड़कर, वार्षिक रूप से कम से कम आठ प्रतिशत की दर से बढ़ना चाहिए।

तेरहवें वित्त आयोग (एफ सी) ने प्रारंभिक शिक्षा हेतु 2010-15 के दौरान राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से ₹24,068 करोड़ की निधियों को राज्यों में संवितरण हेतु (जम्मू व कश्मीर सहित) निर्धारित किया था। वित्त मंत्रालय ने 2010-15 के दौरान ₹22,159 करोड़ की धनराशि प्रदान की थी। तेरहवें वित्त आयोग की शर्त पूरा न होने के कारण 15 राज्य ₹1,909 करोड़ से वंचित रहे और इस तरह, कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

2.5 भारी अप्रयुक्त शेष

राज्य सरकारों द्वारा वर्ष दर वर्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारी शेषों का प्रतिधारण संबंधित प्राधिकारियों द्वारा राज्य/केन्द्र में खराब आंतरिक नियंत्रण का संकेतक था। वर्ष 2010-11 से 2015-16 के दौरान, यह देखा गया था कि 35 राज्यों/यूटी में, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर अप्रयुक्त राशि ₹12,259.46 करोड़ से ₹17,281.66 करोड़ के मध्य थी (*परिशिष्ट - II*)।

यह राज्य सरकारों द्वारा खराब योजना एवं निष्पादन प्रदर्शित करता है जिससे तीन वर्षों में अवसंरचना उपलब्ध कराने के लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पायी और अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों बाद भी यह नियत लक्ष्य बना रहा।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि अंत शेषों की प्रमात्रा को राज्य तथा यूटी को जारी निधियों के प्रति समायोजित किया गया है तथा इसकी विभाग द्वारा नियमित रूप से समीक्षा भी की गई है। तथापि उत्तर बड़े अप्रयुक्त शेषों के संबंध में मौन है।

2.6 बकाया अग्रिम

वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका (एफएमवपी) के पैरा 74.1 के अनुसार, जिला एवं उप-जिला स्तर पर जारी निधियों को प्रारंभ में अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और तदनुसार लेखा बही में दर्शाया जाता है। अग्रिम

यदि, खर्च न हुआ हो जिनके लिए लेखे को समायोजित नहीं किया गया हो तो उन्हें अग्रिमों के रूप में दर्शया जाना चाहिए व्यय के रूप में नहीं। इसी प्रकार की प्रक्रिया का जिला एवं उप-जिला स्तर पर निधियों के निर्गम हेतु पालन किया जाना चाहिए।

उपरोक्त मैनुअल के पैरा 93.1 के अनुसार, अग्रिमों को प्रतिवेदन के प्रयोजन हेतु व्यय के रूप में माना जाएगा। हालांकि, ये अग्रिम बही खाते में तब तक अग्रिम के रूप में बनी रहेगी जब तक प्रमाण-पत्र/ व्यय विवरणियां बही खाते में प्राप्त और समायोजित नहीं कर ली जाती। अग्रिमों को विनियमित/समायोजित करने के मानदण्डों के विवरण वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका के पैरा 75 में दिये गये हैं। जीएफआर प्रावधान भी एक वर्ष के अंदर अग्रिमों के समायोजन को निर्दिष्ट करता है।

मंत्रालय के अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि एसआइएस के पास 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की समाप्ति पर लगातार क्रमशः ₹10,984.85 करोड़, ₹15,053.63 करोड़ एवं ₹4,479.79 करोड़ की बड़ी राशि के अग्रिम बकाया थे (परिशिष्ट-III)। यह दर्शाता है कि एमएचआरडी और राज्य कार्यान्वयन प्राधिकारी मामले में पर्याप्त दूर दृष्टि प्रयुक्त करने में असफल रहे। राज्य/यूटी वार पूंजीगत एवं सामान्य शीर्ष दोनों के अंतर्गत बकाया अग्रिमों की स्थिति को राज्य कार्यान्वयन समितियों के वित्तीय नियंत्रकों की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में जीओआई द्वारा समीक्षा की जाती है। ऐसी अंतिम बैठक नवंबर 2015 में हुई थी जिसमें 30 सितंबर 2015 तक बकाया अग्रिमों की स्थिति पर चर्चा की गयी थी और सभी बकाया अग्रिमों, विशेषकर 31 मार्च 2014 तक एवं उसके पूर्व के ₹2,136.01 करोड़ के बकाया अग्रिमों पर बल दिया गया था। बाद की समीक्षा बैठकों के अभिलेखों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। एमएचआरडी ने तथ्यों को स्वीकार (मई 2017) करते समय बताया कि बकाया अग्रिमों के स्तर को 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में कम किया गया था।

2.7 वित्त वर्ष की समाप्ति पर सहायता-अनुदान का निर्गम

एसएसए रूपरेखा के पैरा 9.11.6 के अनुसार प्रत्येक वर्ष दो किस्ते जाएंगी, एक अप्रैल एवं सितंबर के मध्य व्यय हेतु अप्रैल में और दूसरा अक्टूबर से मार्च के मध्य व्यय हेतु सितंबर में। जीओआई प्रत्येक वर्ष अप्रैल में एक तदर्थ अनुदान

जारी करेगा। इन्हे उस वर्ष हेतु वार्षिक कार्य योजना एवं बजट (एडब्ल्यूपीवबी) के अनुमोदन के आधार पर तदुपरांत समायोजित कर लिया जाएगा। दूसरी किस्त व्यय की प्रगति और कार्यान्वयन की गुणवत्ता के आधार पर होगी।

जीओआई द्वारा 2010-16 के वर्षों के दौरान मार्च माह में सहायता-अनुदान निर्गम से संबंधित अभिलेख की समीक्षा नीचे दी गयी है:

तालिका 3: मार्च माह में जीओआई के निर्गम

वर्ष	निर्गम (₹ करोड़ में)
2010-11	2,034.10
2011-12	1,014.68
2012-13	2,545.18
2013-14	1,353.52
2014-15	984.07
2015-16	1,752.76

स्रोत: एमएचआरडी द्वारा तैयार यूसी

जीओआई द्वारा मार्च में निधियों का निर्गम तथा राज्यों द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को अनुवर्ती निर्गम खराब राजकोषीय अनुशासन को दर्शाता है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि विलंब पुनर्विनियोग तथा अपेक्षित दस्तावेजों में प्राप्ति/विसंगतियों में विलंब के कारण था।

2.8 विभिन्न स्तरों पर निधियों के निर्गम में विलंब

एसएसए रूपरेखा का पैरा 9.11.15 व्यवस्था करता है कि राज्य सरकार को अपने हिस्से को अनुमोदित अंशदान प्रबंधन के अनुसार केन्द्रीय अंशदान की प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर राज्य समिति को हस्तांतरित करना होगा। इसके अतिरिक्त, जहाँ भी संभव हो राज्य/यूटी प्रशासन निधियों के बैंकिंग चैनलों के माध्यम से राज्य से लेकर स्कूल स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक अंतरण प्रक्रिया की कोशिश करेगी। लेखापरीक्षा ने विभिन्न स्तरों पर निधियों के निर्गम के विलंब के अनेक मामले देखे अर्थात् केन्द्र से राज्य, राज्य से नोडल विभाग, नोडल विभाग से राज्यों में जिले/ब्लॉक/ विद्यालय स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन प्राधिकरणों तक जैसाकि नीचे दर्शाया गया है, जो विद्यालयों में अधिनियम के कार्यान्वयन में व्यवधान में प्रतिफलित हुआ।

तालिका 4: निधियों के निर्गम में विलंब

क्र.	राज्य का नाम	वर्ष	राज्य नोडल अभिकरण को निधि के निर्गम में औसत विलंब	राज्य नोडल विभाग से जिला तक 15 दिनों से अधिक और ऊपर निधि के निर्गम में विलंब (औसत)
1	मेघालय	2010-11	शून्य	32 दिन
		2011-12	शून्य	34 दिन
		2012-13	शून्य	44 दिन
		2013-14	शून्य	6 दिन
		2014-15	शून्य	69 दिन
		2015-16	शून्य	57 दिन
2	गोवा	2010-11 से 2015-16	30 दिन	30 दिन
3	राजस्थान	2010-11	30 दिन	उपलब्ध नहीं
		2011-12	30 दिन	उपलब्ध नहीं
		2012-13	37 दिन	उपलब्ध नहीं
		2013-14	32 दिन	उपलब्ध नहीं
		2014-15	25 दिन	उपलब्ध नहीं
		2015-16	30 दिन	उपलब्ध नहीं
4.	नागालैण्ड	2010-11	-	30 से 150 दिन
		2011-12	-	30 से 240 दिन
		2012-13	-	30 से 270 दिन
		2013-14	-	30 से 270 दिन
		2014-15	112 से 373 दिन	30 से 60 दिन
		2015-16		30 से 90 दिन
5.	अरुणाचल प्रदेश	2010-11	-	30 से 180 दिन
		2011-12	-	30 से 210 दिन
		2012-13	-	30 से 150 दिन
		2013-14	-	30 से 300 दिन
		2014-15	30 से 60 दिन	30दिन
		2015-16	3 से 90 दिन	30 से 150 दिन
6	मिजोरम	2014-15	25 से 118 दिन	उपलब्ध नहीं
		2015-16	10 से 33 दिन	उपलब्ध नहीं

एमएचआरडी ने तथ्यों को स्वीकार (मई 2017) किया तथा बताया कि विलंब वर्ष 2014-15 से केन्द्रीय सरकार की निधी प्रवाह नीति में परिवर्तन के कारण था। सभी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों के प्रवाह को प्रभावी रूप से

जाँच करने के लिए वर्ष 2017-18 से अंतिम स्तर तक लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को कार्यान्वित करने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

2.9 निधियों का अनियमित निर्गम/उपयोग

निधि का विपथन किसी अन्य मद पर व्यय हेतु, जिसका संस्वीकृत बजट अनुमानों में प्रावधान नहीं किया गया, वर्जित⁶ है जब तक कि विपथन एसएसए की पीएबी⁷ द्वारा स्वीकृत न हो। छः राज्यों/यूटी में एसएसए के नियमों के विरुद्ध निधियों के निर्गम, विपथन और उपयोग अनियमित निर्गम, तथा व्यय का ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है।

क्र.स.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	चण्डीगढ़	<p>➤ जीएफआर का नियम 129 तथा सीपीडब्ल्यूडी निर्माण कार्य नियमपुस्तक का पैरा 2.1 के प्रावधान अनुसार किसी कार्य को प्रारम्भ अथवा इससे संबंधित देयता का उत्तरदायित्व निर्धारण किया जाना चाहिए जब तक कि प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति/व्यय संस्वीकृति को उपयुक्त प्राधिकरण से प्राप्त न कर लिया जाए तथा निधियों का आबंटन न हो जाए। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने प्रकट किया कि शिक्षा सचिव सह अध्यक्ष एसएसए, चण्डीगढ़ प्रशासन ने वित्त विभाग चण्डीगढ़ प्रशासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना धनास में सरकारी प्रारंभिक विद्यालय की नई बिल्डिंग तथा अन्य विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के लिए ₹7.50 करोड़ की संस्वीकृति प्रदान की तथा कार्यकारी अभियंता, सीपी प्रभाग सं. 4, यूटी चण्डीगढ़ के पास ₹7.50 करोड़ जमा किए। इसका परिणाम ₹7.50 करोड़ की निधियों के अनियमित अंतरण में हुआ। अपने उत्तर में यूटी प्रशासन ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत सभी निधियों को एसएसए समिति के खाते में जमा कराया गया था। प्रक्रिया के अनुसार, वित्त अनुभाग, यूटी चण्डीगढ़ से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् एसएसए/आरटीई की विभिन्न मदों पर व्यय किया जा रहा था। इस मामले में विद्यालय की नई बिल्डिंग के निर्माण तथा कुछ अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिए, ₹7.50 करोड़ वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना एसएसए समिति द्वारा निधियां जारी की गई थी।</p> <p>➤ ऐसे स्कूल भवन पर ₹8.72 करोड़ का व्यय किया गया था (₹6.41 करोड़ - नवम्बर 2011) जोकि विवादित भूमि पर था और विवाद 2004 से न्यायालय में था। न्यायालय ने याचिकाकर्ता के हक में</p>

⁶ वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तक का पैराग्राफ 86.2 एवं 86.3

⁷ योजना एवं मूल्यांकन नियम पुस्तक का पैराग्राफ 4.10.1.2 एवं 4.10.1.3

		<p>जुलाई 2013 में निर्णय दिया था। इसके अतिरिक्त, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चण्डीगढ़ प्रशासन द्वारा दर्ज विशेष छुट्टी याचिका को खारिज कर दिया था (मार्च 2014)। इस दौरान, जुलाई 2015 में ₹2.31 करोड़ का अतिरिक्त बजट आबंटन भी किया गया था। शिक्षा विभाग/चण्डीगढ़ प्रशासन की व्यवहार्यता पहले ही पता लगाने में विफलता के कारण ₹8.72 करोड़ की निधि का अनियमित उपयोग दिखाता है।</p>																																										
<p>2.</p>	<p>आन्ध्र प्रदेश</p>	<p>➤ 2013-14 के दौरान ₹ 8.95 करोड़ की राशि का एसएसए अनुदान का राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) योजना को विपथन किया गया था। इसके अतिरिक्त 2014-15 में ₹0.55 करोड़ का व्यय एनपीईजीईएल योजना को समाप्त किए जाने के पश्चात् भी एसएसए अनुदान से निधियों का विपथन कर के एनपीईजीईएल योजना पर किया गया था जबकि 2014-15 से एमएचआरडी द्वारा एनपीईजीईएल योजना रोक दी गई थी।</p> <p>➤ 2012-13 से 2015-16 के दौरान अग्रिमों के रूप में निधियों को अन्य विभागों/अधिकारियों को विपथित कर दिया गया था जोकि एसएसए की रूपरेखा के अंतर्गत नहीं आता था जिसके कारणवश भुगतानों का अनियमित निर्गम हुआ था (2012-13 और 2013-14 की अवधि के लिए तेलंगाना क्षेत्र के अग्रिम लंबित है) जिसका विवरण नीचे दिया गया है:</p> <p style="text-align: center;">तालिका 5: एसएसए के दायरे के बाहर व्यय</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="667 1283 1396 1982"> <thead> <tr> <th>क्र.सं.</th> <th>कार्यकलाप</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>सीईओ, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए सोसायटी</td> <td>4.73</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>एपी सरकार प्रिंटिंग प्रेस</td> <td>0.43</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>स्कूल शिक्षा आयुक्त</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>महानिदेशक, एनआईआरडी, राजेंद्र नगर</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>नियंत्रक, एएनजीआरएयू, राजेंद्र नगर</td> <td>0.06</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>रजिस्ट्रार, आंध्र विश्वविद्यालय</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>वित्त अधिकारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>आईडीआरए, तिरुपति</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति</td> <td>0.02</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>प्रिंसिपल एनएसआर कॉलेज, हैदराबाद</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>प्राचार्य आईएसई, उस्मानिया विश्वविद्यालय</td> <td>0.01</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">कुल:</td> <td>5.73</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.सं.	कार्यकलाप	राशि	1.	सीईओ, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए सोसायटी	4.73	2.	एपी सरकार प्रिंटिंग प्रेस	0.43	3.	स्कूल शिक्षा आयुक्त	0.25	4.	महानिदेशक, एनआईआरडी, राजेंद्र नगर	0.08	5.	नियंत्रक, एएनजीआरएयू, राजेंद्र नगर	0.06	6.	रजिस्ट्रार, आंध्र विश्वविद्यालय	0.05	7.	वित्त अधिकारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय	0.05	8.	आईडीआरए, तिरुपति	0.02	9.	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.02	10.	एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति	0.02	11.	प्रिंसिपल एनएसआर कॉलेज, हैदराबाद	0.01	12.	प्राचार्य आईएसई, उस्मानिया विश्वविद्यालय	0.01	कुल:		5.73
क्र.सं.	कार्यकलाप	राशि																																										
1.	सीईओ, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए सोसायटी	4.73																																										
2.	एपी सरकार प्रिंटिंग प्रेस	0.43																																										
3.	स्कूल शिक्षा आयुक्त	0.25																																										
4.	महानिदेशक, एनआईआरडी, राजेंद्र नगर	0.08																																										
5.	नियंत्रक, एएनजीआरएयू, राजेंद्र नगर	0.06																																										
6.	रजिस्ट्रार, आंध्र विश्वविद्यालय	0.05																																										
7.	वित्त अधिकारी, हैदराबाद विश्वविद्यालय	0.05																																										
8.	आईडीआरए, तिरुपति	0.02																																										
9.	मौलाना आजाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद	0.02																																										
10.	एसवी विश्वविद्यालय, तिरुपति	0.02																																										
11.	प्रिंसिपल एनएसआर कॉलेज, हैदराबाद	0.01																																										
12.	प्राचार्य आईएसई, उस्मानिया विश्वविद्यालय	0.01																																										
कुल:		5.73																																										

3.	उत्तर प्रदेश	2010-11 तथा 2011-12 में क्रमशः कुल ₹5.30 करोड़ तथा ₹85.61 करोड़ (कुल ₹90.91 करोड़) की निधियों का एसएसए से राष्ट्रीय प्रारंभिक स्तरीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल) को विपथन किया गया था जबकि 2012-13, 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 में क्रमशः ₹26.14 करोड़, ₹5.17 करोड़, ₹54.86 करोड़ तथा ₹6.00 करोड़ (कुल ₹92.17 करोड़) का एनपीईजीईएल से एसएसए को विपथन किया गया था जबकि एनपीईजीईएल हेतु निधियों को 2013-14 से रोक दिया गया था।															
4.	गुजरात	वित्त प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका के पैरा 27.4 प्रावधान करता है कि तीन कक्षाओं वाले स्कूल प्रतिवर्ष अधिकतम ₹5,000/- प्रति स्कूल के अनुदान के अनुरक्षण के लिए पात्र होंगे जबकि तीन कक्षाओं से अधिक वाले स्कूल इस शर्त, कि जिले की कुल मिलाकर योग्यता ₹7500/- प्रति स्कूल प्रति वर्ष के आधार पर प्रतिवर्ष अधिकतम ₹10,000 प्रति स्कूल का रखरखाव अनुदान मिलेगा। प्रधानाध्यापक कक्ष और कार्यालय कक्ष इस उद्देश्य में नहीं गिने जाएंगे। तीन कक्षाओं वाले 1,268 स्कूलों ⁸ को प्रति वर्ष ₹7,500/- प्रति स्कूल की दर पर रखरखाव अनुरक्षण प्रदान किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, तीन प्रारंभिक स्कूल जिसमें कोई कक्षा नहीं थी को भी ₹7500/- प्रतिवर्ष की दर पर महीसागर जिले में रखरखाव अनुदान मिला था। इस प्रकार, डीपीसी द्वारा रखरखाव अनुदान के भुगतान के लिए दिशानिर्देशों का पालन न करने के कारण ₹31.70 लाख का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।															
5.	मणिपुर	<p>स्कूल भवनों के निर्माण के लिए प्रदत्त ₹3.31 करोड़ को निम्नलिखित कार्यों के लिए राज्य परियोजना अधिकारी द्वारा अप्राधिकृत रूप से विपथित किया गया था:</p> <p style="text-align: center;">तालिका 6: कार्यों की सूची</p> <p style="text-align: right;">(₹ करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="580 1406 1342 1870"> <thead> <tr> <th>क्रम.</th> <th>कार्य का नाम</th> <th>राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>एसपीओ और गेराज का नवीकरण, एसपीओ, एमएसए/एसएमए, बाबूपारा</td> <td>1.81</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>चौकीदार क्वार्टर का नवीकरण, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा</td> <td>0.11</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>लॉन यार्ड का विकास, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>परिसर के आसपास चारों ओर दीवार का सशक्तिकरण, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा</td> <td>0.09</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम.	कार्य का नाम	राशि	1	एसपीओ और गेराज का नवीकरण, एसपीओ, एमएसए/एसएमए, बाबूपारा	1.81	2	चौकीदार क्वार्टर का नवीकरण, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा	0.11	3	लॉन यार्ड का विकास, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा	0.10	4	परिसर के आसपास चारों ओर दीवार का सशक्तिकरण, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा	0.09
क्रम.	कार्य का नाम	राशि															
1	एसपीओ और गेराज का नवीकरण, एसपीओ, एमएसए/एसएमए, बाबूपारा	1.81															
2	चौकीदार क्वार्टर का नवीकरण, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा	0.11															
3	लॉन यार्ड का विकास, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा	0.10															
4	परिसर के आसपास चारों ओर दीवार का सशक्तिकरण, एसपीओ, एसएसए/एसएमए, बाबूपारा	0.09															

⁸ भरुच के 287 स्कूल (2013-14), महीसागर के 703 स्कूल (2015-16) और नादयाद जिले में बालासीनोर और वीरपुर तालुका के 139+139 स्कूल (2010-11 एवं 2011-12)

		5	एसपीओ कार्यालय के लिए लैपटॉप का क्रय, अधिकारियों को टीए/डीए, प्रशिक्षण, टेलिविजन का क्रय, वाहन को किराए पर लेना, फर्नीचर को खरीदना आदि	1.20
			कुल	3.31
6.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह		विम्बरलीगंज, कन्यापुरम में सरकारी माध्यमिक स्कूल (जीएमएस) में 320 प्रारंभिक तथा उच्च प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए 17 प्रारंभिक कक्षाएं (2012-13) थीं। अधिनियम 2009 के मानदंडों और मानकों की तुलना में, स्कूल में आवश्यकता से अधिक छः कक्षाएं थीं। हालांकि, एसएसए के पीएबी और यूटी मिशन प्राधिकरण ने चार अतिरिक्त कक्षाओं के लिए 2012-13 के दौरान निधियां अनुमोदित की थीं। ₹62.63 लाख की लागत पर मार्च 2016 में निर्माण कार्य पूरा हुआ था। इस प्रकार, आवश्यकता के बिना अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण के कारणवश ₹62.63 लाख का परिहार्य व्यय हुआ था। प्राधिकरण ने उत्तर दिया कि 17 कक्षाओं में से 10 को अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया था और केवल सात कक्षाओं को शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया गया था अतः नियमानुसार चार कक्षाओं का अभाव था जिनका निर्माण जीएमएस कन्यापुरम के लिए एसएसए के अंतर्गत किया गया था। प्राधिकरण का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानदंडों के अनुसार केवल 11 कक्षाओं की आवश्यकता थी। अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए गए 10 कमरों में से चार कमरों को शिक्षण उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जा सकता था। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कमरों का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था, उसे स्पष्ट नहीं किया गया था।	

निधियों का विपथन खराब आंतरिक नियंत्रण तंत्र को दर्शाता है।

2.10 निधियों का दुर्विनियोजन

निधियों के दुर्विनियोजन के संदेहपूर्ण मामले नीचे दिए गए हैं:

क्रम.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	ओडिशा	प्रधानाध्यापक द्वारा दुर्विनियोजन: पांच नमूना परीक्षित जिलों में, ₹1.04 करोड़ आहरित किए गए थे और 58 प्रधानाध्यापक द्वारा उन्हें आबंटित 80 अवसंरचनात्मक कार्य निष्पादित किए बिना ही, अपने पास रखा हुआ था। उन 58 प्रधानाध्यापक में से, 14 सेवानिवृत्त हो चुके थे, 4 का स्वर्गवास हो गया है तथा 2 फरार थे जबकि अन्य 38 सेवा में थे। यद्यपि, जिला परियोजना समन्वयको को मई 2016 में राशि की वसूली और एक प्रधानाध्यापक के मामले को छोड़कर चूक करने वाले प्रधानाध्यापक के

		<p>प्रति अनुशासनात्मक कार्रवाई की शुरुआत करने के निर्देश दिए गए थे, शेष 57 प्रधानाध्यापक के प्रति कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।</p> <p>वरिष्ठ तकनीकी सहायक (व.टीसी) द्वारा एसएसए निधि का दुर्विनियोजन: शहरी सरकारी स्कूलों में स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लिए, एसएसए के अंतर्गत ₹1.00 लाख प्रति कार्य की दर पर जिला परियोजना अधिकारी, सोनपुर द्वारा 13 निर्माण कार्य शुरू किए गए थे। उस समय के वरिष्ठ तकनीकी समन्वयक⁹ को जिला परियोजना अधिकारी द्वारा ₹8.00 लाख का अग्रिम जारी किया गया था (अगस्त 2011), व.टीसी. ने 14 स्कूलों के लिए ₹11.03 लाख की राशि के वाउचर पेश किए थे। यह पाया गया था कि व.टीसी द्वारा सामग्री और खुदाई लागत के लिए प्रस्तुत किए गए वाउचर नकली थे।</p> <p>मयूरभंज जिले में ₹1.36 करोड़ की कीमत वाले 25 निर्माण कार्यों के मामले में निर्माण कार्य को पूरा किए बिना प्रधानाध्यापक द्वारा पूरी निधि आहरित कर ली गई थी (2009-10 से 2012-13)। तकनीकी सलाहकार निर्माण कार्यों की प्रगति की जाँच करने और संबंधित डीपीसी/डीईओ को सूचित करने में विफल रहा। संबंधित डीपीसी/डीईओ चूक करने वाले प्रधानाध्यापक और अन्य स्टाफ के प्रति विभागीय कार्रवाई की शुरुआत करने के लिए जिम्मेदार थे परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।</p>
<p>2.</p>	<p>बिहार</p>	<p>डीपीओ और स्कूलों की नमूना जांच में, यह पाया गया था कि छः जिलों में 234 स्कूलों¹⁰ के प्रधानाध्यापक ने विद्यालय शिक्षा समिति (वीएसएस) के खाते से 2014-15 तक सिविल निर्माण कार्य के लिए रखे गए ₹12.06 करोड़¹¹ की निधियां आहरित की थीं। परंतु संबंधित सिविल निर्माण कार्य अभी तक अपूर्ण थे और अधिनियम की शुरुआत से तीन वर्षों की अवधि के भीतर लक्षित मूलभूत आवश्यकताएं भी प्राप्त नहीं की गई थीं। इसके अलावा, स्कूलों के प्रधानाध्यापक ने न तो समायोजन वाउचर प्रस्तुत किया और न ही राशि को जमा किया जबकि एफआईआर/न्यायालय मामले उनके विरुद्ध दर्ज थे। प्राप्तिकर्ता से राशि की वसूली न किए जाना (जुलाई 2016) दुर्विनियोजन के जोखिम के साथ भरा हुआ था।</p>

⁹ श्री ए.के. खानडयूल (वर्तमान रूप में डीपीसी, न्यायपारा में कार्यरत)

¹⁰ पू. चंपारण: 43 स्कूल, जामुई: 09 स्कूल, मधुबनी: 31 स्कूल, मुंगेर: 30 स्कूल, नालंदा: 17 स्कूल और पटना: 104 स्कूल, कुल = 234 स्कूल

¹¹ पू. चंपारण: ₹2.06 करोड़, जमुई: ₹ 0.53 करोड़, मुंगेर: ₹0.90 करोड़, मधुबनी: ₹1.52 करोड़, नालंदा: ₹0.38 करोड़ और पटना: ₹6.67 करोड़, कुल = ₹12.06 करोड़

3.	असम	<p>2010-11 से 2014-15 के दौरान धुबरी, कोकराझर, लखीमपुर और डरंग के चयनित जिलों में, 11,268 सिविल निर्माण कार्यो जैसेकि अतिरिक्त कक्षाओं, लड़कों के शौचालय और प्रधानाध्यापक कक्ष आदि के लिए विभिन्न स्कूल प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को ₹339 करोड़ संस्वीकृत और जारी किए गए थे, जिसमें से ₹21.92 करोड़ की लागत के 842 कार्य अभी तक अपूर्ण थे (मई 2016 तक)।</p> <p>₹21.92 करोड़ की संस्वीकृत राशि (जारी राशि ₹17.69 करोड़) के प्रति, ₹10.87 करोड़ का उपयोग सिविल निर्माण कार्य में किया गया था ₹5.47 करोड़ एसएमसी खाते में पड़े रहे और ₹1.35 करोड़ को एसएमसी के सचिव/अध्यक्ष द्वारा दुर्विनियोजित किया गया था।</p>
----	-----	--

निधियों का दुर्विनियोजन खराब आंतरिक नियंत्रण को इंगित करता है

2.11 कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग में निधियों का कम उपयोग

2.11.1 अनुसंधान, आकलन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण (आरईएमएस)

अनुसंधान, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण एक ऐसा हस्तक्षेप है जोकि एसएसए के अंतर्गत शिक्षा के गुणवत्ता आयामों पर ध्यान केंद्रित करता है। एसएसए रूपरेखा के पैरा 7.14 प्रावधान करता है कि आरईएमएस के अंतर्गत निधियों का उपयोग अनुसंधान गति विधियों की शुरुआत के लिए, उपलब्धि परीक्षा/मूल्यांकन करने और प्रभावी फील्ड आधारित मॉनिटरिंग के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधन व्यक्तियों का पूल बनाने के लिए किया जाएगा। आरईएमएस के अंतर्गत, विभिन्न स्तरों पर राज्य से स्कूलों में संसाधनों के विभाजन के लिए राज्य एसएसए मिशन के पास ₹1,450 प्रति स्कूल प्रति वर्ष उपलब्ध है। नौ राज्यों में आबंटित और उपयोग की गई निधियों की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7: आरईएमएस के अंतर्गत निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)					
क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष	आवंटित निधि	व्यय/उपयोग	कम उपयोग (%)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2010-16	2.85	1.53	1.32 (46.31)
2.	दमन एवं दीव	2010-16	4.83	3.03	1.80 (37.26)
3.	दिल्ली	2010-16	2.54	1.64	0.90 (35.43)
4.	गुजरात	2011-16	20.77	18.86	1.91 (9.21)
5.	झारखंड	2010-16	29.15	10.29	18.86 (64.69)

6.	महाराष्ट्र	2010-16	17.52	11.93	5.59 (31.90)
7.	राजस्थान	2010-16	57.37	26.33	31.04 (54.10)
8.	उत्तर प्रदेश	2010-16	34.59	18.40	16.19 (46.80)
9.	नागालैण्ड	2010-16	1.68	0.77	0.91 (54.61)

उपरोक्त तालिका राज्यों द्वारा 9 (गुजरात) से लेकर 65 (झारखंड) प्रतिशत तक निधियों की कम उपयोगिता दर्शाता है। निधियों की कम उपयोगिता का कारण जीओआई और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधियों का विलंबित निर्गम था।

शैक्षणिक इनपुट के सभी पहलुओं की मॉनिटरिंग तथा मूल्यांकन शिक्षा के सतत विकास तथा सुधार हेतु महत्वपूर्ण है। जैसे कि पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज तथा कक्षा प्रक्रिया मूल्यांकन तथा अनुसंधान गतिविधियों को करने में आरईएमएस के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग ने आरटीई उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा डाली।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि निधियां राज्यों को एक मुश्त में जारी की गई थीं न कि मध्यस्थता वार। इसलिए केन्द्र सरकार का व्यय के माध्यम एवं प्रतिमानों पर कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है। तथापि, उसने बताया कि 2016-17 से सभी मध्यस्थताओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है तथा राज्यों को गुणवत्ता सुधार मध्यस्थता हेतु निधियों के कुछ भाग को व्यय करने की सलाह दी गई है।

2.11.2 अध्ययन वृद्धि कार्यक्रम (एलईपी)

परिशिष्ट-1, एसएसए ढांचा का मापदण्ड ॥ बाल केंद्रीक अनुमानों के साथ रखते हुए पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तिकाओं तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री सहित पाठ्यक्रम सुधार को प्रारम्भ तथा स्थापित करने का प्रावधान करता है। आठ राज्यों में आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों की स्थिति को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 8: अध्ययन वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष	आवंटित निधि	व्यय/उपयोग	कम उपयोग(%)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2010-16	15.40	6.43	8.97 (58)
2.	झारखंड	2010-16	64.14	33.37	30.77 (48)
3.	मध्य प्रदेश	2010-16	142.79	121.22	21.57 (15)
4.	महाराष्ट्र	2010-16	126.30	101.86	24.44 (19)

5.	मेघालय	2010-16	14.47	1.67	12.80 (88)
6.	राजस्थान	2010-16	129.91	45.84	84.07 (65)
7.	उत्तर प्रदेश	2011-16	118.86	85.74	33.12 (28)
8.	नागालैण्ड	2010-16	1.77	1.00	0.77 (43)

उपरोक्त तालिका राज्यों द्वारा निधियों के कम उपयोग को दर्शाती है जो 15 से 88 प्रतिशत के बीच है। निधियों के कम उपयोग का कारण राज्य सरकारों/राज्य कार्यान्वयन समितियों द्वारा अप्रयुक्त योजना, भारत सरकार तथा संबंधित, राज्य सरकारों द्वारा निधियों का विलम्बित निर्गम था।

अध्ययन वृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के कम उपयोग का परिणाम शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा बच्चों के बाल केन्द्रीत पाठ्यक्रम सुधार से वंचित रहने में हुआ तथा इसलिए छात्रों की शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रभावित करता है।

2.11.3 समुदाय संघटन (सीएम)

परिशिष्ट-1 एसएसए रूपरेखा का मापदण्ड 25 व्यापक सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हेतु योजना, कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग हस्ताक्षरों में एक केन्द्रीय तथा विस्तृत घटक बनाने हेतु समुदाय संघटन का प्रावधान करता है। एसएसए भागीदारी बढ़ा कर समुदाय, अभिभावक, शिक्षक तथा विद्यार्थियों की जागरूकता तथा समुदाय संघटन का कार्य करता है। सात राज्यों में आबंटित तथा उपयोग की गई निधियों की स्थिति को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 9: समुदाय संघटन के अंतर्गत निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	वर्ष	आबंटित निधियां	व्यय/उपयोग	कम उपयोग (%)
1	आन्ध्र प्रदेश	2010-16	5.24	2.69	2.55 (49)
2	मध्य प्रदेश	2010-16	47.45	21.48	25.97 (55)
3	महाराष्ट्र	2010-16	46.15	22.24	23.91 (52)
4	मेघालय	2010-16	6.68	2.64	4.04 (60)
5	राजस्थान	2010-16	72.55	37.23	35.32 (49)
6	उत्तर प्रदेश	2010-16	37.96	28.91	9.05 (24)
7	दिल्ली	2010-16	2.37	1.06	1.31 (55)

जीओआई तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निधियों के विलम्बित निर्गम के कारण 24 से 60 प्रतिशत के बीच निधियों का कम उपयोग हुआ था।

निधियों के कम उपयोग ने एसएसए आरटीई की जागरूकता हेतु समुदाय संघटन के उद्देश्य को विफल किया। हस्ताक्षरों के अंतर्गत योजना की गई गतिविधियों को पूरी तरह से नहीं किया जा सका था तथा समुदाय संघटन के उद्देश्यों को आंशिक रूप से प्राप्त किया गया था।

2.12 राज्य कार्यान्वयन समितियों के वार्षिक लेखे में अनियमित चित्रण

एसएसए के वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तक के पैरा 106.2 के अनुसार, एसआईएस उचित लेखे और अन्य संबंधित अभिलेखों को अनुरक्षित करेंगे और समिति रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित रूप में इस तरह प्राप्ति एवं भुगतान लेखे और देयताओं की विवरणी शामिल करते हुए वार्षिक लेखे तैयार करेंगे।

चार राज्यों के वार्षिक लेखे में पाई गई अनियमितताओं का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	पाई गई विसंगतियां																			
1.	राजस्थान	राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद (आरसीईई) के वार्षिक लेखे की संवीक्षा से पता चला कि 15 जिला स्तरीय इकाइयों की अनुसूची में, 31.03.2015 तक ₹156.06 करोड़ की राशि बकाया थी। हालांकि, आरसीईई प्रमुख वार्षिक लेखे में बकाया राशि को 'शून्य' दर्शाया गया था।																			
2.	उत्तर प्रदेश	2010-16 के दौरान, जीओआई द्वारा ₹47,403.24 करोड़ का कुल व्यय सूचित किया गया था, जबकि उसी अवधि के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी में दर्शाया गया वास्तविक व्यय ₹45,797.05 करोड़ था।																			
3.	सिक्किम	<p>रोकड बही हर दिन होने वाली सभी धन अंतरणों का मुख्य अभिलेख होती है तथा सभी अन्य रजिस्टर इसके सहायक हैं। यह पाया गया था कि केन्द्र/राज्य सरकारों से प्राप्त सभी निधियां कई बार रोकड बही में लेखाबद्ध नहीं किया गया था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:</p> <p style="text-align: center;">तालिका 10: रोकड बही में ली गई राशि की तुलना में प्राप्त निधि (₹ करोड़ में)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">वर्ष</th> <th colspan="2">प्राप्त निधियां</th> <th colspan="2">रोकड बहियों की प्राप्ति की ओर में प्रविष्ट की गई वास्तविक राशि</th> </tr> <tr> <th>जीओआई का अंश</th> <th>राज्य का अंश</th> <th>जीओआई का अंश</th> <th>राज्य का अंश</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010-11</td> <td>44.69</td> <td>2.62</td> <td>34.69</td> <td>2.27</td> </tr> <tr> <td>2011-12</td> <td>40.23</td> <td>3.00</td> <td>43.21</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	प्राप्त निधियां		रोकड बहियों की प्राप्ति की ओर में प्रविष्ट की गई वास्तविक राशि		जीओआई का अंश	राज्य का अंश	जीओआई का अंश	राज्य का अंश	2010-11	44.69	2.62	34.69	2.27	2011-12	40.23	3.00	43.21	0
वर्ष	प्राप्त निधियां			रोकड बहियों की प्राप्ति की ओर में प्रविष्ट की गई वास्तविक राशि																	
	जीओआई का अंश	राज्य का अंश	जीओआई का अंश	राज्य का अंश																	
2010-11	44.69	2.62	34.69	2.27																	
2011-12	40.23	3.00	43.21	0																	

		2012-13	26.94	4.99	0	0
		2013-14	41.95	4.00	41.95	4.00
		2014-15	45.26	5.00	11.60	0
		2015-16	40.54	6.27	33.26	2.00
		कुल	239.61	25.88	164.71	8.27
		स्रोत: विभागीय डाटा				
		इस प्रकार, वर्तमान प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।				
4.	हरियाणा	<p>2009-15 के दौरान हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद को निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा (डीईई) द्वारा ₹2,147.14 करोड़ की राशि जारी की गई थी, परंतु परिषद द्वारा बनाए गए वार्षिक लेखे के सत्यापन/अनुरक्षित से पता चला कि केवल ₹2,027.36 करोड़ ही लेखे में दिखाया गया था और ₹109.78 करोड़ का शेष लेखे में दिखाया नहीं गया था।</p> <p>जून 2016 में परिषद ने बताया कि डीईई ने मुफ्त वर्दी/पाठ्यपुस्तकों और मरम्मत कार्य के लिए भी निधियां जारी की थीं। लेखे में केवल एसएसए से प्राप्त निधियां दर्शाई गई थी। यह आगे बताया गया था कि वर्ष 2009-10 में ₹15.26 करोड़ के अंतर का समाधान किया जाना शेष था जबकि वर्ष 2010-11 में ₹21.50 करोड़ को शिक्षकों के वेतन के भुगतान के प्रति समायोजित कर दिया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि उचित लेखाओं का अनुरक्षण नहीं हुआ था और शेष राशि का समाधान परिषद द्वारा नहीं किया गया था।</p>				

2.13 सनदी लेखाकार फर्मों द्वारा लेखाओं का प्रमाणीकरण

एसएसए के वित्तीय प्रबंधन तथा प्रापण नियम पुस्तिका का अध्याय VIII अनुबद्ध करता है कि एसआईएस के वार्षिक लेखाओं की सीएजी/राज्य एजी की पैनलबद्ध सूची से चयनित सीए फर्म द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी। सीए फर्म को प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त तक लेखापरीक्षा समाप्त करनी है तथा अपनी रिपोर्ट को यह प्रमाणित करते हुए कि उनकी जानकारी में लेखे सही एवं स्पष्ट हैं, 30 सितंबर तक प्रस्तुत करना है। राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर तक स्वीकृति हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को भारत सरकार को प्रेषित करेगी।

27 राज्यों/यूटी¹² के 2014-15 हेतु एसआईएस के लेखाओं के प्रमाणीकरण के अभिलेख की नमूना जांच ने प्रकट किया कि केवल 8 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन एवं दीव, दिल्ली, पंजाब तथा सिक्किम में सीए फर्म ने निर्धारित समय में लेखापरीक्षा समाप्त की तथा अन्य नौ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़ दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल में सीए फर्म ने निर्धारित समय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त, किसी भी राज्य सरकार ने निर्धारित तिथि तक भारत सरकार को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित नहीं किया था।

आगे लेखापरीक्षा जांच से प्रकट हुआ कि वर्ष 2014-15 हेतु 11 एसआईएस के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम तिथि (31 दिसंबर 2015) तक संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

सीए फर्मों द्वारा एसआईएस के लेखाओं के प्रमाणीकरण में समय सीमा के गैर-अनुपालन ने खराब वित्तीय अनुशासन को दर्शाया।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखाओं के प्रमाणन हेतु समय सीमा के गैर-अनुपालन को राज्यों/यूटी द्वारा लागू किया जाना चाहिए। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारित समय सीमा में संसद वार्षिक रिपोर्ट तथा एसआईएस के लेखापरीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत करना एमएचआरडी का कर्तव्य है जिसके लिए मंत्रालय द्वारा आवश्यक मॉनिटरिंग किये जाने की आवश्यकता है।

2.14 निष्कर्ष

आरटीई हेतु कोई अलग बजट नहीं है तथा इसे एसएसए के बजट में शामिल किया गया है। एडब्ल्यूपीएण्डबी का जीओआई तथा राज्यों में बजटीय कार्य हेतु इनपुट के रूप में उपयोग नहीं किया गया था। 2010-16 के दौरान एमएचआरडी के उपयोग प्रमाणपत्र के अनुसार दर्शाया गया अन्तिम शेष आगत वर्ष के प्रारम्भिक शेष से नहीं मिलता है। एसआईएस के पास निरंतर अंत शेषों तथा समायोजन हेतु लंबित अग्रिम थे। निधियों के विपथन/अनियमित निर्गम, निधियों के दुरुपयोग तथा अनुदान के अनियमित उपयोग, एसआईएस के वार्षिक लेखाओं

¹² आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़ छत्तीसगढ़, दमन व दीव, दिल्ली, दादर नगर हवेली, गोवा गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड पंजाब,ओडिशा राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा पश्चिम बंगाल

में अनियमित चित्रण तथा विभिन्न स्तरों पर निधियों के निर्गम में विलम्ब के मामले पाए गए थे। सीए फर्मों द्वारा एसआईएस के लेखाओं के प्रमाणीकरण में समय सीमा के गैर-अनुपालन ने खराब वित्तीय अनुशासन को दर्शाया।

2.15 अनुशंसाएं

हम यह अनुशंसा करते हैं कि:

- I. एडब्ल्यूपीएंडबी को अंतिम रूप देने की समय सीमाओं की समीक्षा की जाए ताकि एडब्ल्यूपीएण्डबी से इनपुटों को प्रभावी रूप से प्रयुक्त करने के लिए इसे जीओआई एवं राज्यों के बजट तैयार करने की प्रक्रिया के समरूप किया जा सके।
- II. मंत्रालय वर्ष के अन्त में बकाया अव्ययित शेष का आगामी वर्ष के प्रारंभिक शेष से समायोजन करे।
- III. कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा बकाया अग्रिमों की नियमित समीक्षा एवं समायोजन किया जाए।
- IV. सूचीबद्ध सीए एवं एसआईएस को वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका तथा समय अनुसूची का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए।

अध्याय - III

आरटीई अधिनियम, 2009 का अनुपालन

3.1 अधिनियम का विकास

संविधान (86वां संशोधन) अधिनियम, 2002 जिसे राष्ट्रपति की सहमति दिसम्बर 2002 में प्राप्त हुई संविधान में निम्नलिखित परिवर्तन करने की मांग करता है:

i) मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21-क का सम्मिलन:

“राज्य 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसा कि राज्य, विधि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।”.

ii) राज्य नीति के नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 का प्रतिस्थापन :

“राज्य 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक सभी बच्चों के लिए आरंभिक बाल निगरानी एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।”.

iii) मूल कर्तव्यों में अनुच्छेद 51-क में उपधारा (के) का सम्मिलन :

“ये भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा- (के) माता-पिता या अभिभावक अपने 6 और 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करने के लिए या जैसा मामला हो”

इसके फलस्वरूप, संशोधन के छः वर्ष के बाद निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2008 प्रस्तावित हुआ। अधिनियम संसद के दोनों सदनों से एक वर्ष के बाद पारित हुआ और इसे अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की “निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009” के रूप में सहमति प्राप्त हुई। यह अधिनियम जम्मू व कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस प्रकार, आरटीई अधिनियम, अनुच्छेद 21-क परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसे लागू होने में सात वर्षों से अधिक का समय लगा।

अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में, केन्द्रीय सरकार ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली,

2010 (आरटीई नियमावली) तैयार की। आरटीई नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार, अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु केन्द्र सरकार, नियत तिथि के छः माह की अवधि के भीतर, यह सुनिश्चित करेगी कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु इसके कार्यक्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हैं। कार्यान्वयन हेतु एसएसए ढांचे को आरटीई की दृष्टि, योजना, मापदण्डों तथा मानकों के अनुकूल मार्च 2011 में संशोधित किया गया है। संशोधित एसएसए ढांचा, जिसमें आरटीई के सभी प्रावधान शामिल हैं, पद्धतियों तथा कार्यान्वयन योजनाओं का एक विस्तृत ब्योरा प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत राज्य अपने विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक तथा संस्थानिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए अधिक विस्तृत दिशानिर्देश तैयार कर सकते हैं।

तत्पश्चात, आरटीई अधिनियम, 2009 को धार्मिक निर्देश प्रदान करने वाले मदरसों, वैदिक पाठशालाओं तथा शैक्षिक संस्थानों को अधिनियम की सीमा से बाहर रखने के लिए जुलाई 2012 में संशोधित किया गया था।

3.2 स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बच्चों के अभिलेखों का गैर-अनुरक्षण

आरटीई नियमावली के नियम 10 के अनुसार, स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार में सभी बच्चों का एक घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके 14 वर्ष के होने तक के अभिलेख का अनुरक्षण करेगा। अभिलेख का वार्षिक रूप से अद्यतन तथा लोक अधिकार क्षेत्र में अनुरक्षण किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2010-2016 के दौरान 14 राज्यों/यूटी में 14 वर्ष तक के बच्चों की सूचना को दर्ज तथा अद्यतन करने के लिए नियमित घरेलू सर्वेक्षण किए गए थे जबकि 21 राज्यों/यूटी¹³ में ऐसे कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए थे।

चूंकि, घरेलू सर्वेक्षण नहीं किए गए थे इसलिए अनिवार्य सूचना अर्थात् शून्य से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों की संख्या; स्कूल जा रहे बच्चों, स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या आदि को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा दर्ज तथा वार्षिक अद्यतन नहीं किया गया है।

¹³ अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह; आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम तथा राजस्थान।

उपयोग किया जा रहा डाटा प्रक्षेपण भारत की जनगणना 2011 तथा 35 राज्यों/यूटी में फैले विद्यालयों से प्राप्त डाटा पर भी आधारित था। स्थानीय प्राधिकरणों के माध्यम से उपयुक्त सरकारों द्वारा नियमित अद्यतन के अभाव में नामांकित किए जाने वाले बच्चों के लक्षित समूह का निर्धारण तथा एमएचआरडी द्वारा किया विश्लेषण अनुमानों पर आधारित था, सत्यापन योग्य नहीं है।

2014-15 तथा 2015-16 के दौरान स्कूल से बाहर बच्चों की संख्या (ओओएससी) के संबंध में उपलब्ध डाटा के चार सेटों अर्थात् राज्य सर्वेक्षण; यूडीआईएसई; एमएचआरडी सर्वेक्षण; तथा राज्य (एडब्ल्यूपीएवंबी) का तुलनात्मक विवरण, जैसा **परिशिष्ट- IV** में है, डाटा के सभी चारों सेटों के बेमेल होने को दर्शाता है। अतः, ओओएससी की संख्या के डाटा का संग्रहण/प्रक्षेपण की क्रियाविधि विश्वसनीय नहीं थी जिसने अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

एमएचआरडी ने बताया (जनवरी 2017) कि उन्होंने ओओएससी की परिभाषा सहित सभी डाटा परिभाषा के मानकीकरण का कार्य एनयूईपीए को सौंपा था। तथापि, मंत्रालय ओओएससी के डाटा के किसी भी सेट को प्रमाणित करने में असमर्थ था।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित सभी 21 राज्यों तथा यूटी ने अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के यूटी को छोड़कर, अपने एडब्ल्यूपीएण्डबी 2017-18 में सूचित किया है कि घरेलू सर्वेक्षण 2016/2017 में किया गया है।

3.3 परिवहन सुविधा पर व्यय

आरटीई नियमावली का नियम 6(4) बताता है कि छोटी बस्तियों से आने वाले बच्चों, जैसाकि उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पहचान की गई है, जहाँ आरटीई नियमावली के नियम 6(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रतिवास के क्षेत्र अथवा सीमाओं के भीतर कोई विद्यालय मौजूद नहीं है, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण कथित नियम में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा सीमाओं की राहत में पर्याप्त प्रबंधन, जैसे कि एक विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु मुफ्त परिवहन तथा आवास सुविधाएं प्रदान करेगा।

एमएचआरडी ने प्रतिवास विद्यालयों की स्थापना हेतु 3 वर्षों की समयसीमा अर्थात्, 31 मार्च 2013 नियत की थी। प्रतिवास विद्यालयों का अभाव/गैर-स्थापना छात्रों को प्रदत्त परिवहन सुविधा के प्रति भुगतान का कारण बनी। पांच राज्यों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां																				
1.	आन्ध्र प्रदेश	<p>2015-16 के दौरान राज्य की 49,803 बस्तियों में से 2189 बस्तियों के पास अपने प्रतिवास की निर्धारित सीमाओं के भीतर प्राथमिक विद्यालय नहीं थे तथा 2,242 बस्तियों उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बिना थीं। जबकि विद्यालयों की, आरटीई नियमावली के अनुसार स्थापना नहीं की जा सकी थी, राज्य कार्यान्वयन प्राधिकरणों तथा जिला प्राधिकरणों ने 2011-16 के दौरान 59,270 छात्रों पर ₹9.66 करोड़ का व्यय करके परिवहन सुविधा प्रदान करने का दावा किया।</p>																				
2.	गुजरात	<p>राज्य सरकार ने, छूट प्रदान प्रतिमानों की एवज में प्रत्येक वर्ष बच्चों हेतु परिवहन सुविधा का प्रस्ताव किया जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:-</p> <p style="text-align: center;">तालिका 11: परिवहन पर व्यय</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>परिवहन हेतु चयनित छात्र</th> <th>छात्र जिन्हें परिवहन प्रदान किया गया</th> <th>व्यय (₹ करोड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012-13</td> <td>51,653</td> <td>44,944</td> <td>11.16</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>79,535</td> <td>73,487</td> <td>12.96</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>79,508</td> <td>86,128</td> <td>21.15</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>99,989</td> <td>1,08,231</td> <td>28.19</td> </tr> </tbody> </table> <p>स्रोत: राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) द्वारा प्रदत्त आंकड़े</p>	वर्ष	परिवहन हेतु चयनित छात्र	छात्र जिन्हें परिवहन प्रदान किया गया	व्यय (₹ करोड़ में)	2012-13	51,653	44,944	11.16	2013-14	79,535	73,487	12.96	2014-15	79,508	86,128	21.15	2015-16	99,989	1,08,231	28.19
वर्ष	परिवहन हेतु चयनित छात्र	छात्र जिन्हें परिवहन प्रदान किया गया	व्यय (₹ करोड़ में)																			
2012-13	51,653	44,944	11.16																			
2013-14	79,535	73,487	12.96																			
2014-15	79,508	86,128	21.15																			
2015-16	99,989	1,08,231	28.19																			

		<p>तालिका स्पष्ट रूप से 2012-13 में 44,944 से 2015-16 में 1,08231 तक दोगुना परिवहन सुविधा की आवश्यकता को दर्शाती है, जो संकेत करती है कि सरकार ने सभी योग्य आवासों को प्रतिवास मापदंडों के अनुसार शामिल नहीं किया था, तथा इससे यह प्रभाव पड़ा कि परिवहन सुविधा पर अत्यधिक खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, पिछले तीन वर्षों के लिए, राज्य पीएबी को यह सूचित कर रहा था कि इसके सभी आवासों को प्रारंभिक तथा उच्च प्रारंभिक स्तर पर नियमित विद्यालयों द्वारा शामिल किया गया था, फिर भी यह परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा था।</p>
3.	मेघालय	<p>पीएबी स्वीकृतियों के विपरीत, परिवहन भत्ता ईस्ट हिल्स जिले में पात्र बच्चों को कम अदा किया गया था। राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) ने 271 बच्चों के लिए ₹8.13 लाख की योग्य राशि के प्रति केवल ₹6.50 लाख की जीआईए जारी की थी जिसका परिणाम ₹600/- प्रति व्यक्ति के परिवहन भत्ते के कम भुगतान में हुआ, जो कि कुल ₹1.63 लाख बनते हैं।</p> <p>तथापि, कम भुगतान के मामले को अंतिम निपटान हेतु जिला निगरानी समिति, ईस्ट खासी हिल्स द्वारा एसपीडी कार्यालय के साथ उठाया गया था।</p>
4.	महाराष्ट्र	<p>2014-15 में 17,874 बच्चे तथा 2015-16 में 14,087 बच्चे बिना विद्यालयों के 2216 दूरवर्ती आवासों में रह रहे थे। परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) ने परिवहन सुविधा को स्वीकृति इस शर्त के साथ दी थी कि राज्य सरकार परिवहन सुविधा हेतु पात्र निवासों को अधिसूचित करेगी। तथापि राज्य निवासों को अधिसूचित करने में विफल रहा।</p>
5.	उत्तर प्रदेश	<p>उत्तर प्रदेश में, 1,336 तथा 8,473 के बीच कम जनसंख्या वाले दूरवर्ती निवासों में रह रहे बच्चों के लिए 2012-16 के दौरान एडब्ल्यूपीएवंबी में</p>

	<p>परिवहन/मार्गरक्षण सुविधाओं को प्रति वर्ष प्रस्तावित किया गया था। इसके अतिरिक्त, 1403 तथा 9,792 के बीच के, शहर से वंचित बच्चों/शहरी क्षेत्रों में व्यस्यक संरक्षण के बिना बच्चों को भी परिवहन/मार्गरक्षण सुविधाएं प्रस्तावित की गई थी।</p> <p>तथापि, प्रस्ताव को पीएबी (2012-16) द्वारा इस टिप्पणी के साथ कि राज्य ने परिवहन के सीमा मापदण्डों को अधिसूचित नहीं किया था, स्वीकृत नहीं किया गया था। इस प्रकार, बच्चे अधिनियम के तहत अपने वैध अधिकार से वंचित रह गए।</p>
--	--

एसएसए मानदंडों के अनुसार 3 वर्षों के भीतर विद्यालयों की स्थापना न होने के कारण परिवहन सुविधा पर निरंतर एवं अतिरिक्त व्यय करना पड़ा।

3.4 निवल नामांकन अनुपात¹⁴ प्रवृत्ति

अधिनियम की धारा 8(क) (i एवं ii) के अनुसार छः से चौदह वर्षों तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना; तथा प्रारंभिक शिक्षा के अनिवार्य दाखिले, उपस्थिति तथा समापन को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। देश के निवल नामांकन अनुपात (एनईआर) को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 12: 2012-16 के दौरान निवल नामांकन अनुपात

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	निवल नामांकन अनुपात		
	प्राथमिक (कक्षा I - V)	उच्च प्राथमिक (कक्षा VI & VII)	माध्यमिक (कक्षा VIII - X)
2012-13	96.09	73.78	47.92
2013-14	90.41	72.54	46.86

¹⁴ निवल नामांकन अनुपात = $\frac{\text{एक वर्ष टी में कक्षा I - VII आयु 6 से 14 में कुल नामांकन} * 100}{\text{वर्ष टी में 6 से 14 के आयु समूह के कुल जनसंख्या}}$

2014-15	87.41	72.48	48.46
2015-16	87.30	74.74	51.26

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा

उपरोक्त तालिका प्रारंभिक कक्षाओं में निवल नामांकन अनुपात की वर्ष 2012-13 से 2015-16 में कम होती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

इसके आगे U-DISE डाटा के विश्लेषण में प्रकट होता है कि पुदुचेरी तथा आन्ध्र प्रदेश में प्राथमिक श्रेणी में क्रमशः 69.30 तथा 72.10 प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक श्रेणी में 60.53 प्रतिशत के साथ वर्ष 2015-16 के लिए न्यूनतम निवल नामांकन अनुपात पाए गए थे।

चूंकि निवल नामांकन अनुपात केवल उन बच्चों से संबंधित है जो सरकारी विद्यालय आयु से विद्यालय आयु जनसंख्या के भीतर है इसलिए यह कभी 100 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता। तथापि, यूडीआईएसई के अंतर्गत डाटा 100 प्रतिशत से अधिक दर्शाता है। उनपर **परिशिष्ट Vए-Vडी** में प्रकाश डाला गया है।

एमएचआरडी (जनवरी 2017) ने केन्द्र/राज्यों द्वारा डाटाबेस की गुणवत्ता को सुधारने हेतु अपनाए गए उपायों का स्पष्ट किया।

चूंकि छः से 14 वर्षों के आयु समूह में सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना उपयुक्त सरकार का दायित्व है इसलिए गलत एनईआर अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति पर संदेह उजागर करता है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि इसने यू-डीआईएसई के अंतर्गत एनयूईपीए द्वारा संग्रहित डाटा, विशेष तौर पर नामांकन तथा अवसंरचना पर, की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता पर चिंताओं का समाधान करने हेतु 2016-17 के विद्यालय-वार डाटा की मौजूदा प्रणाली का उन्नयन करने का निर्णय लिया।

3.5 सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में खराब अवधारण दर¹⁵

अधिनियम की धारा 8(एफ) तथा 9(ई) के अनुसार, उपयुक्त सरकार/स्थानीय प्राधिकरण प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के दाखिले, उपस्थिति तथा समापन को सुनिश्चित तथा निगरानी करेगा। वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 हेतु सभी प्रबंधन तथा सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में अवधारण दरें नीचे दी गई हैं:

तालिका 13: 2014-16 के दौरान अवधारण अनुपात

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	सभी प्रबंधन अवधारण दर		सरकारी प्रबंधन अवधारण दर	
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
2015-16	84.21	70.70	77.59	52.00
2014-15	83.74	67.38	73.75	48.46

स्रोत : यूडीआईएसई डाटा

उपरोक्त तालिका सभी प्रबंधन विद्यालयों की तुलना में सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में खराब अवधारण दर को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने वर्ष 2015-16 हेतु मिजोरम में 36.07 प्रतिशत के साथ प्रारंभिक श्रेणी में तथा महाराष्ट्र में 14.61 प्रतिशत के साथ उच्च प्रारंभिक श्रेणी में न्यूनतम अवधारण दर पाई। इसके अतिरिक्त, यूडीआईएसई के अंतर्गत प्राप्त डाटा अपूर्ण था तथा सभी राज्यों के डाटा के बिना अधिक अवधारण दर को परिकल्पित किया गया था। उदाहरणार्थ, प्रारंभिक श्रेणी हेतु 2015-16 के लिए अवधारण दर को छः राज्यों (चण्डीगढ़; दमन एवं दीव; दिल्ली; केरल; पुदुचेरी तथा तमिलनाडु) के डाटा के बिना परिकल्पित किया गया था।

तथापि, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु किए गए प्रयासों के बावजूद अवधारण अनुपात आरटीई अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों के पश्चात भी 100 प्रतिशत तक नहीं पहुंचा।

¹⁵ वर्ष टी हेतु अवधारण दर + 4 (एसआर) = $\frac{\text{वर्ष टी में कक्षा V में नामांकन} + 4 * 100}{\text{वर्ष टी में कक्षा I में नामांकन}}$

यह दर्शाता है कि अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों के बाद भी कक्षा I में भर्ती सभी बच्चों ने कक्षा VIII तक प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की थी।

3.6 अपूर्ण यूडीआईएसई ड्रॉपआउट¹⁶ डाटा

चार वर्षों की अवधि (2012-13 से 2015-16) से संबंधित ड्रॉपआउट के यूडीआईएसई डाटा के विश्लेषण को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 14: 2012-16 के दौरान ड्रॉपआउट दर

(आंकड़े प्रतिशत में)

वर्ष	प्राथमिक		उच्च प्राथमिक	
	सरकारी	निजी एवं अन्य	सरकारी	निजी एवं अन्य
2012-13	9.39	उ.न.	11.81	उ.न.
2013-14	4.86	4.39	19.60	5.45
2014-15	7.82	4.72	13.66	उ.न.
2015-16	5.10	2.60	11.73	उ.न.

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा उ.न. = यूडीआईएसई में उपलब्ध नहीं

इसके आगे यूडीआईएसई के उच्चतम ड्रॉपआउट दर विश्लेषण में प्रकट होता है कि सरकारी प्रबंधन विद्यालयों के संबंध में वर्ष 2015-16 के लिए उच्चतम ड्रॉपआउट दर असम में प्रारंभिक श्रेणी जहां ड्रॉपआउट दर 18.52 प्रतिशत थी तथा महाराष्ट्र में उच्च प्राथमिक श्रेणी में 35.34 प्रतिशत के साथ पाई गई थी।

अवधारण दर के मामले के समान यूडीआईएसई के अंतर्गत ड्रॉपआउट के प्राप्त डाटा अपूर्ण है तथा कोई निष्कर्ष प्राप्त करना संभव नहीं था। इसके अतिरिक्त, यूडीआईएसई के अंतर्गत प्राप्त ड्रॉपआउट दर अवधारण दर से मेल नहीं खाती है जो डाटा संकलन में कमियों को दर्शाता है।

3.7 एचआईवी प्रभावित बच्चों के प्रति भेदभाव

अधिनियम की धारा 9(ई) के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रह रहे प्रत्येक बच्चे द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के दाखिले, उपस्थिति तथा समापन को सुनिश्चित तथा निगरानी करेगा। गोवा सर्वशिक्षा अभियान (जीएसएसए) तथा गोवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

¹⁶ ड्रॉपआउट वह व्यक्ति है जो अध्ययन के एक कार्यक्रम को उसकी समाप्ति से पहले छोड़ देता है

(जीएससीपीसीआर) में अभिलेखों की संवीक्षा ने उजागर किया कि विद्यालयों ने 13 एचआईवी प्रभावित बच्चों सहित 43 बच्चों के दाखिले से इंकार किया। बच्चों को फिर नए विद्यालय में दाखिला दिया गया था जो प्रथम विद्यालय से 10 किलोमीटर दूर था। तथापि, नए विद्यालय ने एचआईवी से प्रभावित बच्चों के प्रति भेदभाव किया तथा केवल अन्य बच्चों का नामांकन किया जो एचआईवी से प्रभावित नहीं थे। शेष 30 बच्चे जो एचआईवी+ नहीं थे, उन्हें वापस मूल स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके पश्चात, इन 13 एचआईवी प्रभावित बच्चों को अन्य विद्यालयों में दाखिल किया गया जो उनका प्रतिवास विद्यालय नहीं था।

जीएसएसए (अगस्त 2014) ने बच्चों के भेदभाव के तथ्य को स्वीकार किया।

3.8 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) हेतु सुविधाएं

अधिनियम की धारा 3(2) विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के अध्याय 5 के साथ पठित, बताती है कि उपयुक्त सरकार तथा स्थानीय प्राधिकरण को सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विकलांग बच्चे की एक उपयुक्त वातावरण में मुफ्त शिक्षा तक पहुंच हो तथा उन्हें छात्रों को सामान्य विद्यालयों में समन्वय प्रदान करने हेतु प्रयास करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, आरटीई नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण विकलांग बच्चों हेतु उन सुविधाओं को प्रदान करेगा जो कि इन बच्चों को विद्यालय तक पहुंचने, सुरक्षित उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा को पूरा करने से रोकती होंगी। सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	असम	पहचान किए गए 6,07,182 सीडब्ल्यूएसएन में से 5,16,169 (85 प्रतिशत) को विद्यालयों में नामांकित किया गया था तथा शेष (15 प्रतिशत) को गृह आधारित शिक्षा प्रदान की गई थी। 2010-15 के दौरान नामांकित सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन भत्ता (टीए) प्रदान करने में कमी 66.27 प्रतिशत से 96.65 प्रतिशत के बीच थी।

		2015-16 के दौरान जीओआई से निधि की प्राप्ति नहीं होने के कारण कोई टीए प्रदान नहीं किया गया था।
2.	केरल	त्रिशुर तथा इडुक्की जिले में 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में, 42 से 79 सीडब्ल्यूएसएन 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान मुफ्त तथा सुरक्षित परिवहन के योग्य थे। तथापि, 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान इनमें से किसी भी छात्र को मुफ्त एवं उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान केवल 1 से 6 छात्रों को परिवहन सुविधा प्रदान की गई थी।
3.	तमिलनाडु	2010-14 के दौरान पहचान किए गए 22,310 से 25,468 सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि एसएसए द्वारा इस संघटक हेतु निधियां आबंटित नहीं की गई थी, जबकि विकलांग बच्चे समाविष्ट शिक्षा (आईईडी) के अंतर्गत निधियां आबंटित की गई थी। मार्च 2016 तक 20,588 सीडब्ल्यूएसएन को परिवहन प्रबंधन प्रदान नहीं किए गए थे।

इसके अतिरिक्त, 'विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा' पर वित्तीय प्रबंधन एवं प्रापण नियम पुस्तिका में पैरा 35 के अनुसार, सहायक साधनों की आवश्यकता वाले सभी बच्चों को सहायता एवं उपकरण तथा भौतिक पहुंच, विशेष उपकरण जैसी सहयोगी सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

सीडब्ल्यूएसएन को प्रदत्त अन्य सुविधाओं की नमूना जांच ने निम्नलिखित उजागर किया:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	उत्तर प्रदेश	समाविष्ट शिक्षा की योजना तथा कार्यान्वयन की नियमपुस्तिका के अनुसार हल्की विकलांगता (40 प्रतिशत से कम) से पीड़ित बच्चे सीडब्ल्यूएसएन को प्रदत्त लाभों के पात्र नहीं थे। 2010-16 के दौरान सीडब्ल्यूएसएन के रूप में दाखिल हुए 18.76 लाख बच्चे में से केवल 2.09 लाख बच्चों के पास विकलांगता प्रमाणपत्र था।

		तथापि, 16.67 लाख बच्चों, जिन्हें विकलांगता प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए थे, को भी सीडब्ल्यूएसएन के अंतर्गत लाभ प्रदान किए गए थे जो ₹256.49 करोड़ के अनियमित व्यय का कारण बना।
2.	गुजरात	2010-16 के दौरान 9,189 बच्चों को ब्रेल पुस्तकें प्रदान नहीं की गई थीं। एसपीडी ने बताया (सितम्बर 2016) कि पिछले दो वर्षों के दौरान ब्रेल पुस्तकें प्रदान नहीं की गई थीं क्योंकि ब्रेल पुस्तकों की स्वीकृत लागत वास्तविक लागत की तुलना में काफी कम थी तथा 2014-16 के दौरान ब्रेल पुस्तकों हेतु ऑनलाईन निविदा में कोई भागीदारी नहीं थी। तथापि एसपीडी का उत्तर इस पर मौन था कि क्यों सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे।
3.	तमिलनाडु	पांच नमूना जांच किए जिलों में उपकरण अर्थात् कैलिपर, कान की मशीन, व्हील चेयर तथा परिवहन प्रबंधनों के प्रावधान हेतु विकलांग बच्चे समाविष्ट शिक्षा (आईईडी) के अंतर्गत ₹35.75 करोड़ का अनुदान प्राप्त किया गया था। जिसमें से ₹3.03 करोड़ का शेष छोड़ते हुए ₹32.72 करोड़ का उपयोग किया गया था। ₹3.03 करोड़ की सीमा तक निधियों का अंत शेष होने के बावजूद 7,049 विकलांग बच्चों में से 798 को पात्र उपकरण प्रदान नहीं किए गए थे।

विकलांग बच्चों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु योजना दिशानिर्देश में पर्याप्त प्रावधान के मौजूद होने के बावजूद अनियमिताएं अभी भी निरंतर हैं।

3.9 पूर्व-विद्यालय शिक्षा हेतु सुविधाएं

अधिनियम की धारा 11 स्पष्ट करती है कि तीन वर्षों की आयु से ऊपर के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने तथा सभी बच्चों को छः वर्ष की आयु को पूरा करने तक बचपन की देखभाल तथा शिक्षा प्रदान करने के दृष्टांत से उपयुक्त सरकार को ऐसे बच्चों को मुफ्त पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करने हेतु आवश्यक प्रबंध करने चाहिए। अधिनियम का प्रावधान बाल अधिकार पर यूएन सम्मेलन (सितम्बर 1990) अनुकूल भी है जिसके लिए भारत एक पक्ष है।

छः वर्षों के व्यतीत होने जाने के बावजूद भी एमएचआरडी तीन से छः वर्षों के बीच बच्चों हेतु पूर्व विद्यालय शिक्षा की नीति तैयार करने में असमर्थ था।

पाँच राज्यों अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, मेघालय तथा पंजाब में कोई पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि यू-डीआईएसई के अनुसार 10 राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में पूर्व-प्रारंभिक कक्षाएं थीं। अधिकांश राज्य 3-6 वर्षों की आयु में बच्चों को प्रारंभिक विद्यालयों में सह स्थित आंगनवाड़ी केन्द्रों के साथ अभिसरण अथवा सरकारी विद्यालयों में पूर्व-प्रारंभिक कक्षाएं खोलने के माध्यम से शामिल कर रहे हैं। तथापि, तथ्य रहता है कि सरकार को अभी भी पूर्व-विद्यालय शिक्षा हेतु नीति तैयार करनी है तथा 50 प्रतिशत से अधिक राज्यों को अभी भी बच्चों को पूर्व-विद्यालय शिक्षा प्रदान करनी थी।

3.10 प्रति बच्चा-व्यय की प्रतिपूर्ति

अधिनियम की धारा 12(1)(सी) के अनुसार, अधिनियम की धारा 2(एन)(iv) के साथ पठित, एक असहायता प्राप्त विद्यालय, जो उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से किसी प्रकार की सहायता अथवा अनुदान प्राप्त नहीं कर रहा, प्रतिवास में कमजोर वर्गों तथा वंचित समूहों से संबंधित बच्चों को कक्षा 1 में उस कक्षा की कम से कम पच्चीस प्रतिशत संख्या की सीमा तक दाखिल करेगा तथा मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, विद्यालय धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत प्रतिपूर्ति के रूप में इसके द्वारा प्राप्त राशि के संबंध में एक अलग बैंक खाते का अनुरक्षण करेंगे (आरटीई नियम)।

2015-16¹⁷ हेतु, एमएचआरडी द्वारा 10 राज्यों के 11.13 लाख बच्चों के लिए ₹492.70¹⁸ करोड़ की राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी (औसतन लागत

¹⁷ 2014-15 में 250.65 करोड़ की राशि की 7 राज्यों के 5,05,117 बच्चों हेतु प्रतिपूर्ति की गई थी (औसतन लागत ₹4962 प्रति बच्चा प्रति वर्ष पर पहुंचती है)।

¹⁸ डीएसईएल, एमएचआरडी द्वारा जारी ओएम सं.एफ.सं. 2-21/2016 ई.ई.3 दिनांक 27 जुलाई 2016

₹4,424 प्रति बच्चा प्रति वर्ष पर पहुंची)। यह पाया गया था कि 10 राज्यों/यूटी, जिनको प्रतिपूर्ति की गई थी, के संबंध में ईकाई लागत प्रति बच्चा प्रति वर्ष (पीसीपीए) ₹5,400 (उत्तर प्रदेश) से ₹23,805 (तमिलनाडु) के बीच थी।

आरटीई नियमावली के उल्लंघन में आयोग्य संस्थानों को अधिक/अनियमित प्रतिपूर्ति से संबंधित मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	कर्नाटक	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ब्लॉकों की नमूना जांच से 124 विद्यालयों में व्यय की अस्वीकार्य मदों जैसे कि सांस्कृतिक गतिविधियों पर शुल्क, मरम्मत एवं अनुरक्षण पर अदा किए शुल्कों, किराए पर बीमा, यात्रा भत्ता आदि को शामिल करने के कारण ₹80.00 लाख के शुल्क की अधिक प्रतिपूर्ति उजागर हुई। • ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ), चन्नागिरी ने 16 विद्यालयों हेतु प्रतिपूर्ति राशि के ₹6.25 लाख रोके रखे। राशि को विद्यालयों से सांविधिक अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। राशि का दिसम्बर 2015 से मार्च 2016 तक बीईओ के बचत खाते में अनियमित रूप से रखना जारी रहा। • 2012-13 तथा 2015-16 के दौरान छ: बीईओ द्वारा ₹28.86 लाख की राशि का अधिक आहरण किया गया था तथा बचत खाते में रखा गया था। • असहायता प्राप्त विद्यालयों को प्रतिपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपने दावे के साथ विद्यालय के सीए द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखाओं को प्रस्तुत करना अपेक्षित था। 9 वस्वाकल्याण, भालकी, बिदर तथा हुमनाबाद तालूकाओं में 1304 असहायता प्राप्त विद्यालयों को 2012-13 से 2015-16 के दौरान प्रमाणित वार्षिक लेखाओं के बिना ₹13.15 करोड़ की प्रतिपूर्ति की गई थी।

2.	बिहार	2011-12 से 2013-14 हेतु तीन नमूना जांच किए गए जिलों पूर्वी चम्पारन (11 विद्यालय), मुधुबनी (3 विद्यालय), पटना (76 विद्यालय)) में 90 अपंजीकृत विद्यालयों को अनियमित रूप से ₹1.18 करोड़ के शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी क्योंकि प्रतिपूर्ति केवल पंजीकृत असहायता प्राप्त विद्यालयों को ही की जा सकती थी।
3.	मध्य प्रदेश	<ul style="list-style-type: none"> • तीन जिलों (बुरहानपुर, धार तथा झबूआ) में 2011-15 के दौरान 4,361 छात्रों हेतु 303 अपंजीकृत विद्यालयों को ₹1.01 करोड़ अदा किए गए थे। • 2011-16 के दौरान चार जिलों (बालघाट, दतिया, धार तथा रतलाम) में विभाग के डाटाबेस में खाता संख्याओं की गलत प्रवृष्टियों के कारण विद्यालयों को ₹1.63 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था तथा राशि चार जिला योजना समितियों (डीपीसी) के बैंक खातों में पड़ी थी। परिणामस्वरूप, विद्यालय अपने वैध बकायों से वंचित थे।
4.	उत्तराखण्ड	<p>आरटीई संशोधित अधिनियम 2012 की धारा 2(5) के अनुसार, मदरसा, वैदिक पाठशाला तथा धार्मिक अनुदेश प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान आरटीई अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। डीपीओ उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में 14 मदरसों को मार्च 2014 तक विद्यालय शुल्क के रूप में ₹19 लाख की प्रतिपूर्ति की गई।</p> <p>डीपीओ उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड ने गलती को स्वीकार किया तथा सुनिश्चित किया कि 2013-14 के पश्चात कोई आगे की प्रतिपूर्ति/सहायता प्रदान नहीं की गई थी। तथापि प्रतिपूर्ति की गई राशि की अभी भी वसूली की जानी है।</p>

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अशुद्धियों पर टिप्पणियां राज्य/यूटी से एकत्रित की जा रही हैं।

3.11 छात्रों को एक ही कक्षा में रखना

अधिनियम की धारा 16 अभिकल्पना करती है कि किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा के समापन तक किसी भी कक्षा में रोका अथवा विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 वर्ष से अधिक की आयु वाले बच्चों को 15 राज्यों¹⁹ में अधिनियम के उल्लंघन में प्रारंभिक कक्षाओं में रोका गया था।

कुछ विशिष्ट उदाहरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	असम	31 मार्च 2016 को समाप्त हो रही छः वर्षों की अवधि के दौरान 28,427 से 33,930 बच्चों को, जिन्होंने 14 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी, कक्षा VIII में रोका गया था। 14 वर्षों की आयु के ऊपर छात्रों को रोकने का कारण, प्रारंभिक चक्र का गैर-समापन था क्योंकि उन्हें समय पर अर्थात् शैक्षणिक वर्ष के प्रारम्भ में, दाखिल नहीं किया गया था तथा कुछ मामलों में छात्रों को कक्षा में खराब प्रदर्शन (धीमी गति से सीखने वाले) के कारण उन्हीं कक्षाओं (रिपीटर) में रोका गया था।
2.	राजस्थान	2010-16 के दौरान कक्षा I से VIII में नामांकित 83.17 लाख बच्चे बड़ी उम्र के थे। इसके अतिरिक्त, 14 वर्षों से अधिक के 17.60 बच्चे कक्षा III से VIII के बीच नामांकित पाए गए थे।
3.	अरुणाचल प्रदेश	प्राथमिक कक्षाओं और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में रोके गए बच्चों की संख्या 2011-16 की अवधि के दौरान क्रमशः 10,284 तथा 1,717 थी।
4.	केरल	<ul style="list-style-type: none"> शैक्षणिक वर्ष 2010-11 के दौरान त्रिशूर जिले में 5 विद्यालयों में 103 छात्रों तथा इडुकी जिले में 1 विद्यालय में 10 छात्रों को रोका गया था। अलपूझा जिले में केरल उच्च न्यायालय के आदेशों के बावजूद एक छात्र को 2015-16 के दौरान 6वीं से 7वीं कक्षा में प्रोन्नति से इंकार करना जारी रहा।

¹⁹ अंडमान एवं निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादरा नागरा हवेली, दमन एवं दीव, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम तथा उत्तर प्रदेश।

5.	सिक्किम	संयुक्त प्रत्यक्ष निरीक्षण के दौरान यह पाया गया था कि पूर्वी जिले में एक विद्यालय, रॉगनेक, जेएचएस, ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 114 छात्रों (दाखिल 2105 में से) को उसी कक्षा में रोका था।
----	---------	---

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से छात्रों को एक ही कक्षा में न रोकने की नीति के उल्लंघन पर टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

3.12 मान्यता के बिना असहायता प्राप्त विद्यालयों का कार्य

अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार कोई विद्यालय, जब तक अधिनियम को अनुबंधित अनुसूची में विनिर्दिष्ट मापदण्डों तथा मानकों को पूरा नहीं करता है, स्थापित अथवा मान्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। जहाँ इस अधिनियम के प्रारम्भ से पहले विद्यालय स्थापित किया गया है वह ऐसे प्रारम्भ की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर अपने स्वयं के व्ययों पर ऐसे मापदण्डों तथा मानकों को भी पूरा करेगा। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, जहाँ विद्यालय उप-धारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि (3 वर्ष) के भीतर मापदण्डों तथा मानकों को पूरा करने में विफल होता है तो निर्धारित प्राधिकरण उसकी उप धारा (3) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पद्धति में ऐसे विद्यालय को प्रदान पंजीकरण वापस लेगा। बाद में, उपधारा (4) के अनुसार, उपधारा (3) के अंतर्गत मान्यता के वापस लेने की तिथि से कोई विद्यालय कार्य करना जारी नहीं रखेगा तथा कोई व्यक्ति जो मान्यता के वापस लेने के पश्चात भी विद्यालय का चलना जारी रखता है तो वह दण्ड का जिम्मेदार होगा जो एक लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है तथा उल्लंघनों को जारी रखने के मामले में प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसे उल्लंघन जारी रहे, के लिए प्रतिदिन दस हजार रुपये तक के दण्ड का जिम्मेदार होगा।

लेखापरीक्षा ने पांच राज्यों में अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने में विचलन पाए:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	छत्तीसगढ़	रायपुर तथा अम्बिकापुर में जिला कार्यालयों में सरकार को 70 प्राथमिक विद्यालयों (पीएस) तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों (यूपीएस) का पंजीकरण समाप्त करने की सिफारिश की गई थी (जुलाई 2016) परंतु अम्बिकापुर में केवल 11 पीएस तथा यूपीएस का पंजीकरण समाप्त किया गया था।
2.	केरल	1,666 असहायता प्राप्त विद्यालय 31 मार्च 2016 तक बिना पंजीकरण के कार्य कर रहे थे।
3.	झारखण्ड	चार नमूना जांच किए गए जिलों (देवघर, गिरिडिह, पाकुड़ तथा सिमडेगा) में, कार्य कर रहे 547 निजी विद्यालयों में से 352 निजी विद्यालयों ने जनवरी 2013 से दिसम्बर 2015 के दौरान मान्यता हेतु आवेदन किया था। डीपीओ/डीएसई द्वारा जांच के पश्चात इनमें से 101 विद्यालय मान्यता हेतु योग्य पाए गए थे। तथापि, इनको जुलाई 2016 तक मान्यता प्रदान नहीं किया गया था क्योंकि प्रस्ताव निदेशक प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के पास लंबित थे तथा इन विद्यालयों को कोई सरकारी निधि प्रदान नहीं की गई है।
4.	गुजरात	नमूना जांच किए जिलों में 2,052 मौजूदा असहायता प्राप्त विद्यालय गुजरात राज्य आरटीआई नियमावली, 2012 के कार्यान्वयन से चार वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी पंजीकरण प्रमाणपत्र के बिना कार्य कर रहे थे। डीपीईओ तथा डीईओ ने बताया (मई -अगस्त 2016) कि मौजूदा असहायता प्राप्त विद्यालयों को मान्यता का मामला प्रगति में था।

5.	उत्तराखण्ड	उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड में, 2015-16 के दौरान 109 विद्यालय अपेक्षित मान्यता प्रमाणपत्र के बिना कार्य कर रहे थे तथा मार्च 2016 तक उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, मान्यता के बिना विद्यालय चलाने हेतु दण्ड का उद्ग्रहण करने के बजाए इनमें से दो विद्यालयों को धारा 12(1)(सी) के तहत कुल ₹2.84 लाख के शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति की गई थी।
----	------------	--

मान्यता में विलंब तथा बिना मान्यता के विद्यालयों के कार्य करने के कारण अधिनियम के मापदंडों तथा मानकों का गैर-अनुपालन हुआ।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अशुद्धियों पर राज्य/यूटी से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

3.13 अधिनियम के उल्लंघन में कैपिटेशन शुल्क का उद्ग्रहण

अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, कोई विद्यालय अथवा व्यक्ति, बच्चे का दाखिला कराते समय, किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा तथा बच्चा अथवा बच्ची अथवा उसके माता-पिता अथवा अभिभावक किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे कोई भी विद्यालय अथवा व्यक्ति, प्रावधानों के उल्लंघन में कैपिटेशन शुल्क प्राप्त करता है अथवा बच्चे को स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन लाता है तो उसे शास्ति लगाकर दण्डित किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि तेलंगाना राज्य में शिक्षा विभाग ने 21 विद्यालयों को कक्षा I से VIII तक में दाखिले हेतु स्क्रीनिंग जांच करने तथा बच्चों से कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण करने हेतु नोटिस (मार्च-दिसम्बर 2014) जारी किए थे। इनमें से नौ विद्यालयों को ₹15.29²⁰ करोड़ का दण्ड लगाया गया था। तथापि, यह पाया गया कि विद्यालयों से दण्ड लगाने की तिथि से

²⁰ 1. मेरीडियन विद्यालय, माधापुर, हैदराबाद (₹0.10 करोड़), 2. सीएचआईआईसी विद्यालय कौंदापुर, हैदराबाद (₹0.15 करोड़), 3. दिल्ली पब्लिक स्कूल, खाजागुडा (₹0.10 करोड़), 4. एसपीआर उच्च विद्यालय, वारंगल (₹6.62 करोड़), 5. ग्रीनवुड उच्च विद्यालय, हनम्कोडा (₹1.81 करोड़), 6. ओससेस उच्च विद्यालय (₹0.31 करोड़), 7. तेजस्वी उच्च विद्यालय, हनम्कोडा (₹0.78 करोड़), 8 संत ग्रेगोरियल उच्च विद्यालय, वारंगल (₹2.92 करोड़), तथा 9. नेशनल उच्च विद्यालय, वारंगल (₹2.50 करोड़)

लगभग दो वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी अगस्त 2016 तक कोई राशि प्राप्त नहीं की गई थी।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अशुद्धियों पर राज्य से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही है।

3.14 छात्र-शिक्षक अनुपात

अधिनियम की धारा 25 कहती है कि इस अधिनियम के लागू होने के तीन वर्षों के अन्दर (31 मार्च 2013), उपयुक्त सरकार एवं स्थानीय प्राधिकरण को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक विद्यालय में अनुसूची में निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) रखा गया है।

अधिनियम की अनुसूची (यू/एस 19 व 25/भाग-II) के अनुसार, प्राथमिक के साथ-साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात निम्नानुसार था:

तालिका 15: आरटीई के अंतर्गत शिक्षकों के मानदंड

कक्षा	छात्रों की सं.	आवश्यक शिक्षकों की सं.
प्राथमिक (I से V)	60 छात्रों तक	2 शिक्षक
	61-90 छात्र	3 शिक्षक
	91-120 छात्र	4 शिक्षक
	121- 200 छात्र	5 शिक्षक + एक प्रधानाध्यापक
	200 छात्रों से अधिक	प्रति 40 छात्र पर एक शिक्षक + प्रधानाध्यापक
उच्च प्राथमिक (VI से VIII)	प्रति 35 छात्र	1 शिक्षक
		एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक
		विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा प्रत्येक के लिए एक शिक्षक
		कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भौतिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा हेतु अंशकालिक निर्देशन

ये नियम स्पष्टतः एकल शिक्षक विद्यालयों का निषेध करते हैं। लेखापरीक्षा ने 11 राज्यों में शिक्षकों की तर्कहीन नियुक्ति के मामले पाये जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	छत्तीसगढ़	<p>प्रतिकूल एवं अतिरिक्त दोनों ही तरह के पीटीआर के मामले पाये गये थे। 2015-16 में, 30,919 पीएस एवं 13,408 यूपीएस में से, 4,362 पीएस, एवं 2,112 यूपीएस में प्रतिकूल पीटीआर था और 13,947 पीएस एवं 8,227 यूपीएस में अधिक पीटीआर थे।</p> <p>ध्यानकर्षण किये जाने पर, विभाग ने बताया कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। हलांकि, विभाग शिक्षकों की तैनाती को तर्क संगत करने में असफल रहा।</p>
2.	बिहार	<p>2010-16 के दौरान सरकारी विद्यालयों का पीटीआर (पीएस एवं यूपीएस दोनों) 50:1 से 61:1 ते मध्य रहा। 3,269 पीएस (आठ प्रतिशत) एवं 127 यूपीएस (एक प्रतिशत) 2015-16 के दौरान बिहार में एक शिक्षक के साथ चल रहे थे।</p>
3.	मेघालय	<p>राज्य परियोजना निदेशक, राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरण मेघालय (एसईएमएएम) के 2010-16 के दौरान अभिलेखों की संवीक्षा में 224 एकल शिक्षक विद्यालयों के बावजूद एक अनुकूल पीटीआर अनुपात प्रकट हुआ जो 31 मार्च 2016 शिक्षकों के तर्कहीन तैनाती को दर्शाता है।</p>
4.	मध्य प्रदेश	<p>18,940 से 48,132 पीएस एवं 13,763 से 15,107 यूपीएस में 2010-16 के दौरान प्रतिकूल पीटीआर थे। आरटीई अधिनियम की आवश्यकता के विरुद्ध नमूना परीक्षित जिलों में 2,925 शिक्षक एवं 729 मुख्य शिक्षक 2,444 पीएस में अधिकता में थे तथा 751 शिक्षक तथा 621 पूर्ण कालिक मुख्य शिक्षक, 886 यूपीएस में अधिकता में थे।</p> <p>17,938 (15 प्रतिशत) से 20,245 (18 प्रतिशत) विद्यालय 2010-2016 के दौरान एक शिक्षक द्वारा चलाये जा रहे थे। आठ जिलों में, 1,329 पीएस एवं यूपीएस में कोई शिक्षक नहीं था।</p> <p>तीन शिक्षकों की आवश्यकता के विपरीत, 7,269 (24</p>

		प्रतिशत) (2013-14) से 7,937 (26 प्रतिशत) (2015-16) यूपीएस में दो शिक्षक उपलब्ध थे।
5.	गुजरात	5,698 छात्रों के लिए 64 विद्यालयों में 2013-14 के दौरान कोई शिक्षक नहीं था और 677 विद्यालयों में मार्च 2016 तक केवल एक शिक्षक था। दूसरी तरफ मार्च 2016 तक 1,539 पीएस एवं 4,243 यूपीएस में क्रमशः 843 एवं 7,333 अतिरिक्त शिक्षक थे। प्रारंभिक शिक्षा के निदेशक द्वारा पीएस एवं यूपीएस में शिक्षकों की तर्कसंगत तैनाती के लिए कोई प्रयास नहीं किये गए थे।
6.	आन्ध्र प्रदेश	5,282 पीएस (15 प्रतिशत) एवं 35 यूपीएस (0.67 प्रतिशत) में 31 मार्च 2016 तक एक ही शिक्षक था तथा 1928 पीएस (5.5 प्रतिशत) एवं 829 यूपीएस (16 प्रतिशत) प्रतिकूल पीटीआर के साथ थे।
7.	हरियाणा	2015-16 में 788 पीएस (8.86 प्रतिशत) एवं 269 यूपीएस (4.79 प्रतिशत) एक शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
8.	ओडिशा	राज्य में 2,023 (3.4 प्रतिशत) विद्यालय 2015-16 के दौरान एक शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे। नमूना परीक्षित जिलों में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2,379 छात्रों (2015-16) वाले 85 विद्यालय दो से तीन शिक्षकों के मानदंड के स्थान पर एक ही शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
9.	पंजाब	1,406 पीएस (10.78 प्रतिशत) एवं 228 यूपीएस (3.61 प्रतिशत) एक ही शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
10.	राजस्थान	11,071 पीएस (29 प्रतिशत) एवं 365 यूपीएस (दो प्रतिशत) 2015-16 के दौरान दो एवं तीन शिक्षकों के मानदंड के स्थान पर एक ही शिक्षक के साथ कार्य कर रहे थे।
11.	तमिलनाडु	राज्य ने 2015-16 के दौरान 197 (2.39 प्रतिशत) एकल शिक्षक विद्यालयों के साथ (154 सरकारी विद्यालय एवं 43 सरकारी अनुदान प्राप्त विद्यालय) काम करना जारी रखा।

सतत रिक्तियों एवं उपलब्ध शिक्षकों के समुचित तैनाती के अभाव के कारण विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात प्रतिकूल रहा। प्रतिकूल अनुपात एवं एकल शिक्षक विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता एवं सीखने के वातावरण को प्रभावित करते हैं।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धारित पीटीआर मानदंडों को सभी विद्यालय पूरा करें, राज्यों और यूटी पर प्रभाव डाल रही है।

3.15 शिक्षक कक्षा अनुपात में विपरीत प्रवृत्ति

अधिनियम की धारा 19 और संबद्ध अनुसूची में निहित है कि प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्षा तथा एक कार्यालय-सह-भण्डार-सह-मुख्य शिक्षक का कमरा होना चाहिए। विगत चार वर्षों के दौरान 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' के तहत डाटा से प्रकट हुआ कि शिक्षक-कक्षा अनुपात में बढ़ोतरी हुई जो ऐसे विद्यालयों की संख्या बढ़ोतरी का संकेतक है जहाँ शिक्षकों के लिए कक्षाओं की कमी थी जो कि 2012-13 में 8,94,329 से बढ़कर 2015-16 में 9,58,820 हो गए थे, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया है:

तालिका 16: शिक्षक कक्षा अनुपात

वर्ष	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या	विद्यालयों की सं. जिनमें कक्षाओं से अधिक शिक्षक थे	प्रतिशत
2012-13	14,31,703	8,94,329	62.47
2013-14	14,48,712	10,17,496	70.23
2014-15	14,45,807	9,83,359	68.01
2015-16	14,49,078	9,58,820	66.17

स्रोत: यूडीआईएसई डाटा

तालिका से, यह देखा गया कि 2012-13 में 62.47 प्रतिशत विद्यालयों को एक कक्षा में एक से अधिक शिक्षक को रखना पड़ा था और 2015-16 में यह बढ़कर 66.17 प्रतिशत हो गई, इससे अधिनियम के तहत निर्धारित मानदण्डों की अनुपालना हेतु मौजूदा विद्यालयों में कक्षाओं को बढ़ाने की आवश्यकता उत्पन्न हुई।



चित्र 1: दुबाचुरी के 656 सं. एलपीएस-बिलासीपाड़ा, धुबरी जिला (असम) के एक ही कमरे में तीन कक्षाएं (कक्षा I, II एवं क - श्रेणी) चल रही हैं।

एमएचआरडी ने बताया (दिसम्बर 2016) कि 2000-01 के बाद से 17.59 लाख अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण हुआ, परंतु हालांकि, मार्च 2016 तक, तथ्य रहे हैं कि 9.59 लाख विद्यालय प्रतिकूल शिक्षक कक्षा अनुपात वाले हैं।

3.16 गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु शिक्षकों की तैनाती

अधिनियम की धारा 25(2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, किसी गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए किसी शिक्षक की तैनाती दशवर्षीय जनगणना, आपदा राहत दायित्व अथवा स्थानीय प्राधिकरण या राज्य विधानसभाओं या संसद के निर्वाचन से संबंधित दायित्वों, जैसा भी हो, के अलावा और कहीं नहीं की जाएगी।

एमएचआरडी ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के आधार पर सभी राज्यों/यूटी को गैर-शैक्षणिक दायित्वों के लिए शिक्षकों की तैनाती हेतु दिशानिर्देश जारी किया था (सितम्बर 2010) जो स्पष्ट करता है कि शिक्षकों की तैनाती स्थानीय प्राधिकरण/राज्य विधानसभाओं/संसद के चुनाव से संबंधित दायित्वों के लिए की जा सकती है जिनमें अन्य बातों के साथ, निर्वाचन के आयोजन, प्रशिक्षण एवं निर्वाचन सामग्री के संग्रहण पर व्यतीत समय शामिल है। इसके अतिरिक्त, चुनाव तालिका समीक्षा से संबंधित अन्य सभी दायित्व अवकाशों में और गैर-शैक्षणिक घण्टों में तथा गैर-शैक्षणिक दिनों में की जा सकती थी।

लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मामलों में मानदण्डों का उल्लंघन करते हुए गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए शिक्षकों की तैनाती देखी गयी थी:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	आन्ध्र प्रदेश	जनगणना और निर्वाचन दायित्वों के अतिरिक्त, 37 शिक्षकों को लोक प्रतिनिधियों के पीए एवं 28 शिक्षकों को अन्य प्रतिनिधियों पर पदासीन किया गया था जो शिक्षा से संबंधित नहीं थे। विभाग ने बताया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मददेनजर, सभी जिलाधीशों एवं जिला शैक्षणिक अधिकारियों को इस तरह तैनात किए गए शिक्षकों को वापस बुलाने का निर्देश दिया गया था। जिलाधीशों द्वारा अभी कार्रवाई की जानी शेष थी।
2.	असम	असम के चयनित चार जिलों में से तीन में, 1,559 प्रारंभिक शिक्षक 2014-15 की अवधि में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका (एनआरसी) ²¹ के अद्यतन हेतु फील्ड सत्यापन में संलग्न थे।
3.	केरल	केरल के थिस्सुर एवं इडुक्की जिलों में 12 पंचायतों ने 12 शिक्षकों की तैनाती (थिस्सुर एवं इडुक्की दोनों में से प्रत्येक जिले में छः) ग्राम सभा, समन्वयन एवं कार्यान्वयन अधिकारी जैसे गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए की थी।
4.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में, 133 विद्यालय शिक्षक 2010-16 की अवधि में प्रति वर्ष 30 से 45 दिनों के लिए सारांश समीक्षा/ निर्वाचन उपस्थिति के अद्यतन हेतु संलग्न रहे।
5.	मिजोरम	पीएस एवं यूपीएस शिक्षकों को मंडलों, ब्लॉक, जिले तथा राज्य स्तरीय कार्यालयों में समन्वयक, परियोजना सहायक, आंकड़ा प्रविष्टि संचालन आदि के कार्यों में अनियमित रूप से संलग्न किया गया था। इससे 2010-16 के दौरान एसएसए निधियों से अदा किये गये वेतन के प्रति ₹37.22 करोड़ का वित्तीय प्रभाव पड़ा।

²¹ एनआरसी, असम राज्य सरकार द्वारा परियोजना समन्वयक, नागरिकता पंजिका के माध्यम से राष्ट्रीय नागरिकता पंजिका, 1951 के अद्यतन हेतु उपक्रमित एक परियोजना है जो जनगणना से अलग है।

6.	पंजाब	1,609 शिक्षकों को जिला संसाधन व्यक्तियों (डीआरपी) एवं ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों (बीआरपी) के रूप में तैनात किया गया था। निर्गम बैठक के दौरान, विभाग ने बताया कि सभी बीआरपी एवं डीआरपी, वे जिन्हें गैर-शैक्षणिक प्रयोजनों हेतु नियुक्त किया गया था, उन्हें विद्यालयों में वापिस बुला लिया गया है।
7.	राजस्थान	2010-16 के दौरान, 14 जिलों में 112 शिक्षकों को नगर परिषद, जिला परिषद एवं राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद आदि के कार्यालयों में दायित्व के निर्वहन हेतु तैनात किया गया था।
8.	तेलांगना	नमूना जांच किए गए 2 जिलों में 67 शिक्षकों को अन्य कार्यों अर्थात् शैक्षणिक प्रयोजन के अलावा कार्यों के लिए तैनात किया गया था।
9.	उत्तराखण्ड	268 शिक्षकों को राज्य में समूह संसाधन समन्वयक (सीआरसी) के रूप में प्रबंधन आधार पर तैनात किया गया था। एसपीओ ने बताया कि नियमित सीआरसी की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है, परंतु चयन प्रक्रिया को न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण स्थगित कर दिया गया था।

अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर शिक्षकों की तैनाती से बच्चों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि एनयूईपीए ने शिक्षकों द्वारा शैक्षिक और गैर-शिक्षण गतिविधियों पर बिताए गए समय के आकलन के लिए अध्ययन किया था और रिपोर्ट विचाराधीन है।

3.17 पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों का अधिप्रापण/वितरण

अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के प्रावधानों के अनुसार, बच्चों को सीखने की सामग्री प्रदान करना राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त, आरटीई नियमों के नियम 4(3) (घ) के अनुसार, विद्यालय विकास योजना में पाठ्य पुस्तकों एवं वर्दियों को पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकता, और जो पीएबी अनुमोदित परिव्यय का भाग हो, जैसी बच्चों की हकदारी शामिल होगी।

पाठ्य पुस्तकों/वर्दियों की अधिप्राप्ति एवं संवितरण में अनियमितता के मामलों को नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	अरुणाचल प्रदेश	<p>एसएसए के वित्तीय नियमों 121.6 (5) के अनुसार, ठेकेदारों को अग्रिम भुगतान मात्र निर्माण कार्य के संबंध में ही किया जाना चाहिए न कि माल एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु।</p> <p>लेखापरीक्षा ने पाया कि, उपरोक्त नियम का उल्लंघन करते हुए एसपीडी, एसएसए ने 2010-11 से 2014-15 के दौरान चार आपूर्तिकर्ताओं को कार्य/पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति हेतु ₹20.08 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया था जो पुस्तकों की कुल कीमत का 73.59 से 100 प्रतिशत तक था। इस प्रकार, ₹20.08 करोड़ का अग्रिम चार आपूर्तिकर्ताओं को किया गया जो कि अनियमित था अपितु अनुचित पक्षपात भी दर्शाता है।</p> <p>लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि 2013-14 के दौरान मैसर्स शांति एंटर प्राइजेज, नाहार्लागुन को ₹4.73 करोड़ का पूर्व भुगतान किये जाने के बावजूद ₹10.88 लाख मूल्य की 12,299 पाठ्य पुस्तकें एसपीडी, एसएसए तक कभी नहीं पहुंची। आपूर्तिकर्ता से शेष पाठ्य-पुस्तकों की पूर्ति हेतु कोई अनुवर्ती कार्रवाई दर्ज नहीं पायी गई।</p>
2.	छत्तीसगढ़	<p>मिशन निदेशक के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम (सीटीबीसी) ने 2012-13 से 2015-16 के दौरान ₹250 प्रति बच्चे की सीमा (एसएसए रूपरेखा में निर्धारित मानदंड) के स्थान पर प्रति बच्चे ₹256 से ₹317 तक मूल्य पर 26,27,818 छात्रों की संख्या (कक्षा VI से VIII) को पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति की थी। यह ₹7.70 करोड़ के अतिरिक्त व्यय में प्रतिफलित हुआ।</p> <p>मिशन निदेशक ने बताया (मई 2016) कि पाठ्य-पुस्तकों की आपूर्ति का अनुमोदित बजट प्रावधान के अंदर भुगतान</p>

		किया गया था। उच्च मूल्यों पर खरीद के मामले का जबाव नहीं मिलता।
3.	महाराष्ट्र	<p>महाराष्ट्र प्रारंभिक शिक्षा परिषद (एमपीएसपी) कक्षा VIII तक के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में दाखिल बच्चों को मुफ्त वितरण के लिए पाठ्य पुस्तकें और कार्यपुस्तिकाओं के मुद्रण के लिए महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक और पाठ्यक्रम अनुसंधान ब्यूरो (एमएसबीटीबी एवं सीआर), पुणे को आदेश देता है। 2010-14 के दौरान, 57.81 करोड़ पुस्तकों में से, 17.09 करोड़ किताबों (29.56 प्रतिशत) की आपूर्ति एमएसबीटीबी एवं सी आर द्वारा अकादमिक सत्र की शुरुआत के पश्चात् की गई थी। एक से लेकर छः माह तक के विलंब थे। परिणामस्वरूप, समय पर किताबों को बच्चों में वितरित नहीं किया गया था।</p>
4.	झारखण्ड	<p>2010-16 के दौरान सरकारी एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों में कुल दाखिला 3.25 करोड़ था, तथापि, इस अवधि के दौरान पाठ्य-पुस्तकों के केवल 2.79 करोड़ सेट ही मुद्रित हुए थे। परिणामस्वरूप, 45.81 लाख बच्चे 2010-16 के दौरान पुस्तकों की कम छपाई के कारण मुफ्त पाठ्य-पुस्तकों से वंचित रह गए थे।</p> <p>चार चयनित जिलों (देवघर, गिरडि, पाकुड एवं सिमडेगा) में, 2010-16 के दौरान 16.83 लाख छात्रों के बीच पुस्तकें नहीं बांटी गयी थीं। इसके अतिरिक्त, दो जिलों, (गिरडि एवं पाकुड) के नमूना परीक्षित 42 विद्यालयों में I से VIII कक्षा तक के 35,225 छात्रों में 12,576 छात्रों को 2010-16 के दौरान मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें नहीं मिली थी।</p> <p>झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) ने बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति एवं पुस्तक बैंक में पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता के आधार पर पाठ्य-पुस्तकों की छपाई की निर्णय लिया था।</p> <p>राज्य का उत्तर स्वीकार्य नहीं है चूंकि पुस्तकों का वितरण नामांकन के आधार पर होना चाहिए न कि उपस्थिति के आधार पर।</p>

5.	केरल	छात्रों के सभी श्रेणियों में वर्दियों की आपूर्ति करनी आवश्यक थी, परंतु गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) के पात्र छात्रों को 2012-16 के दौरान वर्दियों प्रदान नहीं की गई थी।
6.	मध्य प्रदेश	<p>राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र (आरएसके) के अभिलेखों से प्रकट हुआ कि 2010-16 के दौरान 26.49 करोड़ पुस्तकों के आपूर्ति आदेश के प्रति 42.88 लाख पुस्तकों की कम आपूर्ति हुई थी। जिन जिलों में एमपी पाठ्य-पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकें प्रदान नहीं की गयी थी उनके द्वारा सत्र की शुरुआत के बाद अतिरिक्त मॉग रखी गई थी। इससे पाठ्य-पुस्तकों की विलंबित आपूर्ति हुई थी।</p> <p>विभिन्न विषय की 1,10,933 पुस्तकें तीन जिलों (बालघाट, दतिया एवं रतलाम) में 2013-16 के दौरान वितरित नहीं की गयी थी और तीन जिलों (बालघाट, बर्हानपुर एवं दतिया) में 4,32,497 पुस्तकें सत्र की शुरुआत के बाद जुलाई से नवम्बर माह में बाँटी गयी थीं।</p> <p>डीपीसी द्वारा कहा गया कि विलंबित संवितरण, निगम से आपूर्ति में देरी के कारण हुआ था और भविष्य में पाठ्य-पुस्तकों का समय पर संवितरण का ध्यान रखा जाएगा।</p>
7.	ओडिशा	<p>सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से कक्षा VIII के 54,99,796 विद्यार्थियों के लिए 2014-15 के दौरान 2.77 करोड़ की मुफ्त पाठ्यपुस्तकों की आवश्यकता के प्रति, केवल 2.69 करोड़ किताबों की आपूर्ति की गई थी जिसके कारणवश 7.5 लाख पुस्तकों की कम आपूर्ति हुई थी।</p> <p>परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान 59,710 विद्यार्थियों को किताबों का पूरा सेट प्राप्त नहीं हुआ था और कक्षा IV से VIII तक के 1,38,636 विद्यार्थियों को आंशिक रूप से पुस्तकें प्राप्त हुई थीं।</p>

8.	मेघालय	पीएबी संस्वीकृत परिव्ययों के प्रति निधियों के कम निर्गम (₹37.79 करोड़) के कारण 2012-15 (वर्ष 2015-16 के अलावा) के दौरान 82 से 97 प्रतिशत पात्र बच्चों को मुफ्त स्कूली वर्दियों से वंचित रखा गया था। 2012-16 के दौरान, 9,44,828 बच्चों को मुफ्त स्कूली वर्दियों से वंचित रखा गया था।
9.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर जिला (पश्चिम बंगाल,), 13 स्कूलों के प्रभारी शिक्षकों ने सूचित किया कि 2014-15 के दौरान वितरित वर्दी की गुणवत्ता काफी खराब थी। इसके अतिरिक्त, यह पाया गया था कि कालियागंज मिलानमोयी मुफ्त प्राथमिक स्कूल, उत्तर दिनजपुर के 17 बच्चों के अभिभावकों ने मानक से कम गुणवत्ता वाली वर्दियों को प्राप्त करने से मना कर दिया था।
10.	उत्तर प्रदेश	3 नमूना-जांच जिलों (महाराजगंज, गाज़ीपुर और सोनभद्र) की नमूना-जांच से पता चला कि 2014-16 के दौरान आवश्यकता से अधिक 24.73 लाख किताबों का क्रय किया था जिनकी कीमत ₹ 3.19 करोड़ थीं।

समय पर स्कूली किताबों के गैर-संवितरण और मानक से कम वर्दियों का संवितरण/गैर संवितरण प्रदान की जा रही शिक्षा को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित राज्यों के पास मामला प्रेषित कर दिया है।

3.18 स्कूलों के अवसंरचनात्मक विकास में अनियमितताएं

अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार, स्कूल भवन, शिक्षण स्टाफ और सीखने की सामग्री सहित अवसंरचना प्रदान करना राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार, कोई भी स्कूल स्थापित या मान्यता-प्राप्त नहीं हो सकता जबतक कि वह अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट मानदंड और मानकों को पूरा न करता हो। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 19 के अनुसार और अधिनियम से संलग्न अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक स्कूल के पास हर मौसम

में उपयुक्त भवन होना चाहिए जिसमें (i) एक कक्षा के लिए कम से कम एक अध्यापक और एक कार्यालय-सह-भंडार-सह-मुख्यध्यापक का कक्ष; (ii) बाधा-मुक्त पहुँच; (iii) लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय; (iv) सभी बच्चों के लिए स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा; (v) खेल का मैदान; (vi) चारदीवारी/फेंसिंग द्वारा स्कूल भवन सुरक्षित करने के लिए व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए। अधिनियम में अनिवार्य था कि तीन वर्षों के भीतर अर्थात् 31 मार्च 2013 तक स्कूली अवसंरचना के लिए प्रावधान किया जाएगा। अवसंरचना विकास में अनियमितताओं के मामलों पर नीचे चर्चा की गई है:

3.18.1 अपर्याप्त अवसंरचना

सात राज्यों/यूटी में लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि अवसंरचनात्मक सुविधाओं में कमियां थी जिसका उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) चण्डीगढ़

खुदा अली शेर, चण्डीगढ़ में सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल की नमूना जांच से पता चला कि बीम में बड़ी दरारों और रिसावों के कारण स्कूल का भवन असुरक्षित था। स्कूल प्रधानाचार्य के निवेदन के बावजूद (जुलाई 2014), इंजीनियरिंग विभाग द्वारा कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए थे और स्कूल अभी भी असुरक्षित भवन में चल रहा था, इस प्रकार विद्यार्थियों (लगभग 200) पर जोखिम बना हुआ था।

विभाग ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2016)।

(ii) त्रिपुरा

उत्तर त्रिपुरा जिले में धर्मनगर नगर पालिका परिषद के अंतर्गत



चित्र 2: बांस के शेड में चल रहा स्कूल



दुर्गापुर जे.बी. स्कूल की भौतिक जांच से पता चला कि स्कूल 2004 से आंगवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) में कार्य कर रहा था।

उसी प्रकार, ढलाई जिला में गंगानगर ब्लॉक के अंतर्गत कुम्भरम पारा जेबी स्कूल 2001 से अस्थाई बांस की शेड में चल रहा था। ढलाई जिले मे दुमबरनगर ब्लॉक गंडाचेरी के अंतर्गत राजधान चौधरी पारा जे.बी. स्कूल भी 2004 से जीसीआई शीट से निर्मित अस्थायी कमरे में चलाया जा रहा था।

परिणामस्वरूप, शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल माहौल इन तीन स्कूलों में मौजूद नहीं था।

(iii) केरल

1,412 स्कूलों ने सितम्बर 2016 तक फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए थे। सार्वजनिक शिक्षा निदेशालय, केरल ने सूचित किया कि 146 स्कूल असुरक्षित स्थिति में थे।

(iv) झारखंड

चार चयनित जिलों में से दो (गिरिध एवं पाकुर) में, 14 स्कूल बिना भवन के थे। दो सरकारी प्रारंभिक स्कूलों में एक स्कूल में मौजूदा छः कक्षाओं में से तीन और अन्य स्कूल में तीन कमरे अप्राधिकृत कब्जे में थे और इसलिए शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाए जा रहे थे।

(v) पुडुचेरी

दो चयनित जिलों में 378 स्कूलों की नमूना जांच से पता चला कि 6 स्कूल किराए के भवनों में चलाए जा रहे थे, 2 जिलों के 70 नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 17 स्कूल बिना खेल के मैदान के थे, 37 स्कूल बिना बाधा मुक्त पहुंच के थे, और 2 स्कूल बिना चारदीवारी के थे। एक स्कूल में, एस्बेस्टस शीट में कवर जीर्ण पुरानी रसोई भवन में 2 कक्षाएं चलाई जा रही थी।

(vi) दिल्ली

दिल्ली नगर निगमों (डीएमसी) में, संबंधित डीएमसी के शिक्षा विभाग की मांग पर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा स्कूलों में निर्माण एवं नवीकरण कार्य किए जाते हैं। 2009-16 के दौरान, उत्तर और दक्षिण

डीएमसी के शिक्षा विभागों ने 95 स्कूलों में विभिन्न निर्माण कार्यों की मांग की थी। जुलाई 2016 तक इन निर्माण कार्यों की स्थिति को नीचे तालिकाबद्ध किया गया है।

तालिका 17: निर्माण कार्यों की स्थिति

निर्माण कार्य	स्कूलों की संख्या	प्रस्तावित निर्माण कार्य	निष्पादित निर्माण कार्य	निष्पादित न किए निर्माण कार्य (%)
कक्षा	78	1317	380	937 (71)
हॉल	28	29	9	20 (69)
शौचालय ब्लॉक	34	271	100	171 (63)
सीटे (टायलेट)	6	83	16	67 (81)
चारदीवारी	18	18	5	13 (72)
द्वार	1	1	0	1 (100)

लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता लगा:

- आठ स्कूलों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ था क्योंकि उनके संबंधित शिक्षा विभागों द्वारा बजट उपलब्ध नहीं करवाया गया था।
- उत्तर एमसीडी में चौबीस निर्माण कार्यों और दक्षिण एमसीडी में 25 निर्माण कार्यों की शुरुआत नहीं हुई थी जबकि मांगें 7 से 78 माह पूर्व इंजीनियरिंग विभाग द्वारा प्राप्त कर ली गई थीं।
- 50 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो जाने और ₹1.16 करोड़ का व्यय करने के पश्चात् भी मेट्रो स्टेशन के निर्माण के कारण नगर निगम प्रारंभिक स्कूल, गोपाल नगर का निर्माण कार्य बीच में ही छोड़ दिया गया था।

(vii) तमिलनाडु

चयनित जिलों में 150 स्कूलों की नमूना जांच से पता चला कि 9 स्कूलों में राज्य राजमार्ग, नदी और बाँध को पार करने के लिए बाधा मुक्त पहुंच नहीं थे, एक स्कूल में टूटी हुई टाइल की छत के गलियारे में कक्षाओं का संचालन हुआ था; 19 स्कूल टाइल छत वाले भवनों में कार्यान्वित थे; 3 स्कूल एस्बेस्टोस शीट की छत के भवनों

में थे; 11 स्कूल जीर्ण भवनों में थे; और 19 स्कूलों में रसोईघर शेड नहीं था।

(viii) उत्तर प्रदेश

➤ 105 स्कूल बिना भवन के थे; 403 स्कूल जीर्ण भवनों में चलाए जा रहे थे; और 858 स्कूल किराए के भवनों में चलाए जा रहे थे।

➤ बाहरायच, गोरखपुर, सुलतानपुर और उन्नाव जिलों में 26 स्कूल भवनों में प्रत्येक में (कुल 58 स्कूल) 2 से 3 पीएस/यूपीएस थे। इस प्रकार, अधिनियम के कार्यान्वयन के छः वर्षों के पश्चात् भी स्कूलों को उचित स्कूल भवन प्रदान नहीं किए गए थे।



चित्र 3 : बाहरायच में स्कूल

➤ पीएस पायसी, गोरखपुर के प्रत्यक्ष सत्यापन से पता चला कि विद्यालय डेयरी/गोटेरी के रूप में उपयोग किया जा रहा था तथा पीएस पायसी भी यूपीएस पायसी के भवन में चल रहा था।



चित्र 4: पायसी में विद्यालय

उपरोक्त मामले बुनियादी ढांचे की अपर्याप्तता का संकेत करते हैं जो छात्रों के लिए खतरा बनता है और गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने में असफल रहा है।

3.18.2 चारदीवारी

अधिनियम की धारा 19 के अनुसार और अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में चारदीवारी/बाड़ द्वारा विद्यालय की सुरक्षा हेतु व्यवस्था सहित एक सभी-मौसम भवन होना चाहिए। 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' के (आंकड़ों के) डाटा के विश्लेषण से पता चला कि 2012-13 के दौरान, 64 प्रतिशत विद्यालयों में चारदीवारी थीं। यह 2015-

16 के दौरान 68 प्रतिशत तक बढ़ी। अतः, आज तक, 32 प्रतिशत विद्यालय बिना चारदीवारी के हैं।

एमएचआरडी (दिसंबर 2016) ने बताया कि चार दीवारें उन स्कूलों को प्रदान की गई थीं जो राजमार्गों, तालाबों, रेलवे लाइनों, जंगलों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और अतिक्रमण आदि के नियमों के पास स्थित थीं। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरटीई अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में एक अनिवार्य शर्त के रूप में, चार दीवार/बाड़ द्वारा विद्यालय की सुरक्षा के लिए व्यवस्थाओं सहित मिलकर एक सभी-मौसम भवन प्रदान किया जाना चाहिए।

3.18.3 विद्युतीकृत विद्यालय

एसएसए रूपरेखा के पैरा 6.4.3 के तहत प्रावधान है कि विद्यालय भवनों को विद्युतीकृत किया जाना चाहिए। चार साल की अवधि के लिए 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' आंकड़ों का विश्लेषण नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 18: विद्युतीकृत विद्यालय

क्र. सं.	वर्ष	सरकारी प्रबंधन विद्यालयों की कुल सं.	विद्युतीकृत विद्यालयों की सं.	सरकारी प्रबंधन विद्युतीकृत विद्यालयों की प्रतिशतता
1.	2012-13	10,62,147	5,36,431	50.50
2.	2013-14	10,89,892	5,35,910	49.17
3.	2014-15	10,78,021	5,87,653	54.51
4.	2015-16	10,75,036	6,23,152	57.97

स्रोत: यूडीआईएसई आंकड़ों

यद्यपि विद्युतीकरण की स्थिति में मामूली सुधार हुआ है, सरकारी प्रबंधन विद्यालयों में केवल 57.97 प्रतिशत विद्युतीकृत हैं। यद्यपि सरकार विद्यालयों में कम्प्यूटर की सहायता से सीखने पर जोर दे रही है, अधिनियम के कार्यान्वयन के छह साल बाद भी, 42.03 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली नहीं थी जो कि लाभार्थियों को सीखने की आधुनिक तकनीकों और सरकार द्वारा परिकल्पित सीखने के एक माहौल का उपयोग करने से बाधित करती है।

एमएचआरडी ने बताया (जनवरी 2016) कि स्कूल में बाहरी विद्युतीकरण की जिम्मेदारी राज्य विद्युत बोर्ड की थी।

3.18.4 रैंपों वाले विद्यालयों की संख्या

अधिनियम के धारा 19 के नियमों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में बाधा मुक्त पहुंच होनी चाहिए। विद्यालयों में रैंपों के प्रावधान के संदर्भ में पिछले चार वर्षों के 'विद्यालय रिपोर्ट कार्ड' आंकड़ों का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 19: रैंप वाले विद्यालय

वर्ष	सरकारी विद्यालय			बिना सहायता प्राप्त विद्यालय		
	सं.	रैंप के साथ	%	सं.	रैंप के साथ	%
2012-13	10,62,147	2,05,286	19.32	353952	33,503	9.47
2013-14	10,89,892	2,57,488	23.62	344521	46,706	13.55
2014-15	10,78,021	3,92,454	36.40	354200	85,897	24.25
2015-16	10,75,036	3,80,332	35.37	360758	86,617	24.00

स्रोत: यूडीआईएसई डेटा

तालिका विद्यालयों में रैंप के प्रावधान में सुधार को दर्शाती है, लेकिन अभी भी संतोषजनक से दूर है क्योंकि 76 प्रतिशत विद्यालय अभी भी बिना रैंप के थे, जिसने सीडब्ल्यूएसएन छात्रों के शिक्षा में बाधा पहुंचायी।

एमएचआरडी ने बताया (जनवरी 2017), कि यूडीआईएस आंकड़ों के अनुसार, 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान अपेक्षित एवं रैंपों वाले विद्यालयों का प्रतिशत क्रमशः 82.33, 77.37 और 82.60 था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि धारा 19 के अनुसार, कोई भी विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक वह मानदंडों और मानकों को पूरा नहीं करते।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित राज्यों के पास मामला प्रेषित कर दिया है।

3.19 निधियों को अवरुद्ध करना

आठ राज्यों में अभिलेखों की जांच से पता चला कि विभिन्न अभिकरणों द्वारा निधियां अवरुद्ध हुई थी जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.म.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	चण्डीगढ़	सरकारी मॉडल उच्च माध्यमिक स्कूल के निर्माण के लिए 2010-11 के दौरान ₹541.48 लाख की राशि (एसएसए अंश ₹257.20 लाख जमा यूटी अंश ₹284.28 लाख) जारी किया गया था। हालांकि, कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था (अगस्त 2016) क्योंकि संशोधित साइट योजना का अनुमोदन अभी तक प्रतीक्षित था। इसके कारणवश ₹541.48 लाख की निधियां अवरूद्ध हुई थीं।
2	तेलंगाना	खम्माम जिले में 666 स्कूलों में विद्युतिकरण के लिए ₹103.91 लाख की राशि जारी की गई थी (2012-13)। हालांकि, कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई थी और मार्च 2016 तक निधियां अप्रयुक्त पड़ी हुई थीं।
3	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप लोक निर्माण कार्य विभाग (एलपीडब्ल्यूडी) को 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान जमा कार्य के लिए ₹2.56 करोड़ की राशि जारी की गई थी जो कि व्यर्थ पड़ी थी क्योंकि एलपीडब्ल्यूडी द्वारा कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया इसलिए राशि को 2014-15 में एमएचआरडी को वापस कर दिया गया था।
4.	ओडीशा	अनुमोदन के 4 से 7 वर्षों के पश्चात् भी 135 अवसंरचनात्मक कार्य शुरू नहीं किए गए थे, जिसके कारणवश ₹5.22 करोड़ अवरूद्ध हुए थे। धन व्यर्थ पड़ा हुआ है क्योंकि स्कूलों की तैयारी में कमी थी और आवश्यकता आधारित योजना अनुपस्थित थी। जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) द्वारा सामुदायिक भागीदारी में कमी और अनुचित निगरानी भी पाए गए थे।
5.	पुडुचेरी	सिविल निर्माण कार्यों के लिए रखे गए ₹463.53 लाख में से, आठ स्कूलों में 19 कमरों के निर्माण के लिए चिन्हित ₹160.17 लाख साढ़े चार वर्षों तक अप्रयुक्त

		रहा था जिसके कारणवश ₹160.17 लाख अवरुद्ध पड़े रहे।
6.	उत्तर प्रदेश	2010-12 के दौरान, 12,542 स्कूलों में से 99 स्कूल निर्माणधीन थे। भूमि विवादों और अपर्याप्त निधियों के कारण 542 स्कूलों में निर्माण की शुरुआत नहीं हुई है जिसके कारणवश जिला परियोजना कार्यालय (डीपीओ) स्तर पर ₹38.14 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुई थीं।
7.	दमन एवं दीव	<ul style="list-style-type: none"> दीव के कलेक्टर ने दो सरकारी माध्यमिक (लड़के एवं लड़कियों) स्कूलों को पास के सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूल भवन में नवम्बर 2014 में स्थानांतरित किया था क्योंकि भवन संरचनात्मक रूप से कमजोर और असुरक्षित थे। इन भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए ₹50 लाख आवंटित किए गए थे। हालांकि, जून 2016 तक इनमें कोई प्रगति नहीं हुई थी। 2010-11 से 2012-13 की अवधि के दौरान, एसएसए के अंतर्गत तीन स्कूल भवनों के निर्माण के लिए ₹79.50 लाख का पूंजीगत अनुदान संस्वीकृत किया गया था जिसका उपयोग जून 2016 तक नहीं किया गया था।
8	नागालैण्ड	2012-13 के दौरान, पीएबी ने 97 नए सरकारी प्रारंभिक स्कूल (जीपीएस) (₹28.11 करोड़) का निर्माण और 41 सरकारी माध्यमिक स्कूल (जीएमएस) (₹14.43 करोड़) में सुधार अनुमोदित किया था। हालांकि, निर्माण कार्यों की शुरुआत नहीं हुई थी और इन अनुमोदित स्कूलों के लिए कोई व्यय नहीं किया गया था जिसके कारणवश ₹42.54 करोड़ की निधि अवरुद्ध हुई थी।

3.20 अधिप्रापण में अनियमितताएँ

3.20.1 फर्नीचर के अधिप्रापण पर ₹80.44 लाख का अनियमित भुगतान

डीपीसी, सुरगुजा, छत्तीसगढ़ ने यूपीएस के लिए 7,495 मेजों और बेंचों की आपूर्ति के लिए 10 फर्मों को ₹2.35 करोड़ की कीमत के आपूर्ति आदेश दिए

(फरवरी 2011) थे और ₹2.70 करोड़ का भुगतान किया था। 2011 के दौरान अग्रिम भुगतान किया गया था। भुगतान में ₹34.58 लाख की राशि का मूल्य वर्धित कर (वैट) शामिल था जिसे वैट अधिनियम की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से रोका जाना था और सरकारी खाते में जमा किया जाना था। संबंधित फर्मों ने सरकारी खाते में वैट की राशि जमा नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, चार फर्मों ने ₹45.86 लाख की कीमत के 2,532 मेजों और बेंचों की आपूर्ति नहीं की थी (जुलाई 2016)। गैर-आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी (जुलाई 2016)।

इस प्रकार, डीपीसी, सुरगुजा ने फर्नीचर के प्रापण पर ₹80.44 लाख का अनियमित भुगतान किया था।

3.20.2 छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और दिल्ली में कम्प्यूटरों/सहायक उपकरणों के अधिप्रापण में अनियमितताएं

(i) लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले (एलएफडी) कम्प्यूटरों के साथ कम्प्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण कार्यक्रम (सीएएल) के अंतर्गत 288 यूपीएस के लिए सीएएल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को पीएबी ने ₹9.00 करोड़ संस्वीकृत किए थे (अक्टूबर 2010)।

₹3.29 करोड़ की कुल लागत पर स्कूलों के लिए 246 कम्प्यूटर उपकरणों की आपूर्ति के लिए महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान (डीजीएस एवं डी) अनुबंध दर के अंतर्गत पंजीकृत फर्म को राजीव गांधी शिक्षा मिशन (आरजीएसएम) द्वारा आपूर्ति आदेश जारी किया गया था (अक्टूबर 2010)। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपकरणों की आपूर्ति अन्य फर्म द्वारा की गई थी जोकि डीजीएस एवं डी अनुबंध दर के अंतर्गत पंजीकृत नहीं थी और फर्म को ₹3.29 करोड़ का भुगतान भी जारी कर दिया गया था। इस प्रकार, ₹3.29 करोड़ का कम्प्यूटर उपकरण का प्रापण अनियमित था।

आरजीएसएम निदेशक ने बताया (मई 2016) कि दूसरी फर्म प्रथम फर्म का प्राधिकृत विक्रेता थी जिसे आपूर्ति आदेश दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आरजीएसएम ने प्रथम फर्म के साथ अनुबंध समाप्त किए बिना दूसरी पार्टी को आपूर्ति आदेश जारी कर दिया था। इसके अलावा, द्वितीय फर्म डीजीएस एवं डी के अंतर्गत पैनल में भी नहीं थी।

(ii) त्रिपुरा में एसएसए की अभिनव गतिविधियों के अंतर्गत सीएएल कार्यक्रम के लिए 2011-12 के दौरान पीएबी ने ₹1.85 करोड़ अनुमोदित किए थे। तदनुसार, एमएचआरडी ने मार्च 2012 में राज्य शिक्षा मिशन, त्रिपुरा को ₹1.85 करोड़ प्रदान किए थे। राज्य शिक्षा मिशन



ने केन्द्रीय रूप से ₹59.33 लाख (5 वर्षों के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए ₹5.82 लाख सहित) के 160 कम्प्यूटर सेटों का प्रापण किया था और मई 2013 में आठ ब्लॉक संसाधन समन्वयकों (बीआरसी)/शहरी संसाधन समन्वयन (यूआरसी) में संवितरित किए गए थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्तर त्रिपुरा जिले के अंतर्गत गौरनगर, बीआरसी में एक बैच के अलावा बीआरसी/यूआरसी द्वारा कोई कम्प्यूटर प्रशिक्षण नहीं संचालित किया गया था। कम्प्यूटरों में से 26 का उपयोग आईएस/डीईओ बीआरसी आदि के कार्यालय में किया जा रहा था, 22 गैर-कार्यात्मक हो चुके थे और मार्च 2013 से बीआरसी/यूआरसी के पास 112 व्यर्थ पड़े हुए थे जैसाकि उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है। कम्प्यूटरों का प्रयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था जिसके लिए उसका प्रापण किया गया था और परिणामस्वरूप अध्यापकों को अभिनव प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अभिप्रेत लाभ अपूर्ण रहें थे।

(iii) 2010-16 के दौरान, प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकता मिशन (यूईईएम), दिल्ली ने सीएएल गतिविधियों अर्थात् स्कूलों की अवसंरचना तकनीक सहायता, हार्डवेयर/साफ्टवेयर सीएएल सामग्री के विकास, तकनीकी कर्मियों, प्रोग्रामरों एवं विशेषज्ञों, आदि के लिए ₹20.84 करोड़ का कुल प्रावधान किया गया था, जिसमें से केवल ₹7.01 करोड़ का उपयोग किया गया था, मार्च 2016 तक ₹13.83 करोड़ अनुप्रयुक्त रहा था जोकि कुल बजट का 66 प्रतिशत था।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि मुद्दे पर स्पष्टीकरण के लिए संबंधित राज्यों के पास मामला प्रेषित कर दिया है।

3.21 विद्यालयों के संचालन में अनियमितताओं के मामले

- एक यूपीएस अर्थात् गोलगांव जू. हाई स्कूल, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल यद्यपि, 2015-16 के दौरान कार्यात्मक दिखाया गया, लेखापरीक्षा के निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया था। सत्यापन पर, यह सूचित किया गया था कि शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण दिसंबर 2013 के बाद से स्कूल बंद कर दिया गया था। गांव (गोलगांव) के पास 6 से 7 किलोमीटर के भीतर कोई यूपीएस नहीं था। अतः, कानूनी तौर पर उस गांव के पास के विद्यालय के पात्र छात्रों को शिक्षा के अधिकार की गारंटी नहीं दी गई थी।
- खीखीर्तोला एफ.पी. विद्यालय, उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल एक उर्दू माध्यम विद्यालय है। लेकिन, पिछले पांच वर्षों से उर्दू शिक्षक इस विद्यालय में उपलब्ध नहीं था, यहां तक कि पिछले पांच वर्षों से उर्दू लिपी की किताबें भी स्कूल में उपलब्ध नहीं कराई जा सकीं। स्कूल के प्रभारी शिक्षक ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में शिक्षक की कमी के कारण तथा अच्छी स्थिति में कक्षा के कमरे की अनुपलब्धता के कारण भी विद्यालय में कक्षाएं आयोजित नहीं की गईं। यद्यपि, स्कूल के दौरान केवल मध्यांतर भोजन परोसा जा रहा था।

3.22 यूडीआईएसई एवं राज्य (यों) के डाटा के बीच अंतर

पांच हस्तक्षेपों के लिए राज्यों में नमूना-जांच की गई विद्यालयों के लेखापरीक्षा के दौरान एकत्र किए गए आंकड़ों की तुलना यूडीआईएसई से संबंधित डाटा से की गई थी। सूचना में अंतर नीचे सारणीबद्ध है।

तालिका 20: यूडीआईएसई एवं राज्य (यों) के डाटा में अंतर

(प्रतिशत)

राज्य	जिले का नाम	विद्यालय भवन का प्रतिशत		बाधा रहित पहुंच		लड़कों एवं लड़कियों के लिए अलग शौचालय		सभी बच्चों को सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल सुविधा		विद्यालय भवन दीवार तथा बाड़ें की सुरक्षा	
		ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी	ए	बी
असम	लखीमपुर	40.66	82.71	26.00	40.00	43.33	79.17	50.00	81.65	33.33	23.09
	कोकराझार	-	-	36.66	39.32	60.00	58.25	33.33	52.51	30.00	11.61
	दुबरी	-	-	33.33	17.69	33.33	83.00	33.33	88.48	16.66	10.83
	डारंग	-	-	23.33	16.88	50.00	42.92	20.00	42.55	3.33	16.01
गोवा	दक्षिण गोवा	100	100	53.33	21.96	100	100	100	100	76.66	73.41
	उत्तर गोवा	100	100	56.66	43.61	99.9	98.56	100	100	80	81.20

बिहार	जमुई	89.65	91.84	79.31	30.99	62.06	94.33	75.86	86.00	55.17	36.71
	मधुबनी	92.59	92.59	0.00	15.28	33.33	100.00	70.37	95.05	25.92	59.21
	मोतीहारी	96.55	81.78	86.20	20.78	79.31	74.42	93.16	87.53	37.93	47.94
	मुंगेर	78.57	89.10	10.71	4.10	25.00	98.99	35.71	99.74	35.71	57.25
	नालंदा	82.14	97.67	67.85	15.84	53.57	92.43	67.85	93.19	39.28	59.15
	पटना	78.57	93.36	3.57	20.09	64.28	97.85	82.14	95.99	28.57	59.59
राजस्थान	बाड़मेर	100	98.66	65.00	45.44	90.00	99.88	95.00	97.19	60.00	79.19
	झुनझुनु	100	98.77	100	39.64	95.00	100.00	95.00	100.00	95.00	91.03
	राजमसंद	100	100	70.00	34.32	90.00	100.00	85.00	99.80	55.00	77.90
	सीकर	100	99.33	100	26.39	100	100	95.00	97.72	65.00	88.13
	उदयपुर	95.00	100	85.00	19.52	95.00	99.00	95.00	94.54	65.00	67.65
यूपी	सोनभद्र	100	100	3.66	7.15	80.00	100	66.66	94.23	70.00	95.31
	सुल्तानपुर	100	100	20.00	22.18	53.33	97.13	56.66	94.68	40.00	49.67
	उन्नाव	100	100	31.04	18.46	51.72	99.81	48.27	99.48	24.14	71.66
	बहराईच	100	99.68	30.00	47.75	70.00	99.88	70.00	97.57	46.66	53.01
	गोरखपुर	100	100	18.75	9.15	37.50	99.80	37.50	98.95	12.50	41.33
	महराजगंज	100	100	26.66	9.94	66.66	100.00	80.00	99.03	50.00	43.44
	लखीमपुर	100	99.79	43.33	67.18	83.33	99.79	93.33	98.57	43.33	53.56
	कानपुर देहात	100	99.95	44.83	12.36	72.41	99.65	82.75	99.90	62.06	62.16
	फर्रुखाबाद	100	100	25.00	32.73	46.42	99.73	57.14	98.17	50.00	55.91
पुडुचेरी	पुडुचेरी	90.00	100	30.00	75.88	100	100	100	100	100	96.15
	करईकाल	83.33	100	20.00	43.26	93.33	93.26	96.66	100	93.33	94.68
तमिलनाडु	विरुधुनगर	100	99.80	100	5.42	100	99.21	86.66	100	43.33	66.86
	त्रिची	100	100.00	100	47.67	90.00	98.95	100	100	23.33	67.64
	तिरुवरूर	96.66	99.57	86.66	83.35	90.00	99.04	100	100	53.33	83.56
	विल्लुपुरम	100	99.90	86.66	47.76	90.00	99.03	96.66	100	36.66	65.63
अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग	100	99.38	0.00	6.74	40.00	100.00	50.00	93.25	70.00	73.00
	पश्चिम सियांग	100	100	0.00	-	75.00	94.04	60.71	80.95	57.14	40.87
छत्तीसगढ़	धमतारी	100	99.44	100	52.76	76.66	100.00	86.66	99.58	60.00	69.54
	रायपुर	100	99.12	100	61.99	73.33	100.00	93.33	99.85	86.66	88.37
	राजनंदगांव	100	99.26	100	37.10	80.00	100.00	93.33	99.12	33.33	61.98
	सुरगुजा	100	99.84	100	53.00	93.33	100.00	96.66	99.94	46.66	44.68
गुजरात	भरुच	100	100	90.00	56.55	90.00	94.97	93.33	100.00	90.00	96.31
	कच्छ	100	100	80.00	51.57	100	94.68	86.66	100.00	90.00	89.68
	महिसागर	100	100	80.00	32.10	93.33	100.00	93.33	100.00	76.66	84.18
	नर्मदा	100	100	86.66	33.38	83.33	99.22	80.00	99.95	76.66	90.20
	सूरत	100	100	90.00	45.14	90.00	94.07	90.00	100.00	96.66	95.39
झारखंड	देवघर	100	99.90	60.71	32.67	85.71	99.39	78.57	98.47	60.71	41.24
	गिरीडीह	100	99.68	51.72	26.70	86.21	99.31	83.76	95.71	2.69	11.74
	पाकुड़	100	99.90	37.04	21.33	74.07	99.42	85.19	90.76	25.93	15.04
	सिमडेगा	100	99.89	83.33	13.52	93.33	90.04	70.00	88.96	26.67	14.61
लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	100	100	100	37.77	100	100	100	100	66.66	57.77
नागालैंड	दीमापुर	100	98.32	83.33	26.75	80.00	100	46.66	78.26	16.66	39.46
	मोन जिला	100	100	90.00	72.72	70.00	100	33.33	82.25	26.66	48.05
त्रिपुरा	दलाई	93.33	100	80	7.92	73.33	100	70.00	71.78	8.00	11.40
	उत्तर त्रिपुरा	96.66	100	76.66	22.97	73.33	100.00	70.00	90.99	23.33	16.21
उत्तराखंड	टेहरी गढ़वाल		99.24	100		80.00	93.42	76.66	93.65	56.66	65.36
	उधमसिंह नगर		98.86	96.66		76.66	92.65	83.33	98.86	70.00	90.28

हरियाणा	कैथल	100	100	90.00	30.51	86.66	91.70	100	100.00	80.00	97.84
	पानीपत	100	98.12	86.66	30.21	90.00	92.50	73.33	98.67	93.33	97.65
	फतेहाबाद	100	100	63.33	23.26	93.33	93.67	83.33	100.00	86.66	99.05

स्रोत: राज्य प्रतिवेदनों से संकलित डाटा (ए- राज्य, बी - यूडीआईएसई)

तालिका से पता चला कि:

- लखीमपुर, असम को छोड़कर भवनों वाले विद्यालयों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा संकलित राज्य डाटा और यूडीआईएसई डाटा में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।
- विद्यालयों में बाधा-मुक्त पहुंच के प्रावधान के लिए लगभग सभी राज्यों के सभी जिलों में बदलाव देखा गया है।
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालयों के बारे में, जबकि यूडीआईएसई ने एक संतोषजनक स्थिति का चित्रण किया था, लेखापरीक्षा द्वारा संकलित राज्य डाटा स्पष्ट विचलन दर्शाते हैं।
- शेष दो हस्तक्षेपों में, एक मिश्रित प्रवृत्ति थी। कुछ जिलों में एक व्यापक विविधता थी और कुछ जिलों में राज्य के डाटा यूडीआईएसई आंकड़ों के साथ मिल गए थे।

इसके अतिरिक्त, विद्यालय रिपोर्ट कार्ड डाटा (41 संकेतक) को कर्नाटक के 5 चयनित जिलों के 150 नमूना-जांच वाले विद्यालयों में सुविधाओं के प्रत्यक्ष सत्यापन के माध्यम से सत्यापित किया गया था और विद्यालय रिपोर्ट कार्ड डाटा और संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन डाटा के बीच पाई गई भिन्नता पाई गई। विवरण **परिशिष्ट-VIक** में शामिल किया गया है। इसी तरह, ओडिशा के 150 नमूना विद्यालयों में लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे की वास्तविक स्थिति यूडीआईएसई डाटा से मेल नहीं खाती। विवरण **परिशिष्ट-VIख** में शामिल किया गया है।

यूडीआईएसई आंकड़ों में विविधता से संकेत मिलता है कि डाटा लेने और उनकी वैधता में कमी थी। यूडीआईएसई डाटा प्रवेश, वैधता, सत्यापन और नमूना जांच को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

3.23 लेखापरीक्षा द्वारा पाये गये अच्छे कार्य

लेखापरीक्षा ने संतोषजनक प्रदर्शन या लक्ष्य को पूरा करने में बाधा देने वाले कारकों की पहचान की है। उद्देश्यों को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे कार्यों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (i) कर्नाटक में, सार्वजनिक जागरूकता कार्यक्रमों, जैसे, थेइंदिरा मेला, डाकालाथी आंदोलना और विशेषा डाकालाथी आंदोलना के माध्यम से हर साल नामांकन बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार की गई थी।
- (ii) केरल के ब्लॉक संसाधन केंद्र, वेल्लंगल्लूर, त्रिशूर जिले में मार्च, 2015 से एक नोट बुक उत्पादन इकाई शुरू की गई थी ताकि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की माताओं के लिए स्वयं-रोजगार की सुविधा मिल सके। ब्लॉक पंचायत ने 'कटाई' और 'स्टेपलर' मशीनों के साथ इकाई प्रदान की थी। बीआरसी वेल्लंगल्लूर ने इन माताओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया। पुण्यम नामक इकाई में एक पंजीकृत सोसाइटी ने विनिर्माण इकाई में बीआरसी, वेल्लंगल्लूर के अंतर्गत 5 पंचायतों में विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे बच्चों की माताओं के खाली समय का उपयोग किया। इस प्रकार, माताएं अपने बच्चों के साथ-साथ अपने घर के कार्यों में बाधा डाले बिना अपनी सुविधानुसार समय निकाल कर आय अर्जित कर सकती हैं।



3.24 निष्कर्ष

प्रारंभिक शिक्षा तक पहुंच एक विशेषाधिकार नहीं है, यह कानूनी तौर पर लागू करने योग्य अधिकार है और फिर भी, कई बच्चे अभी भी स्कूल में नहीं हैं। प्रारंभिक शिक्षा के लिए पात्र बच्चों की संख्या उपयुक्त सरकार के

अंतर्गत स्थानीय अधिकारियों द्वारा घरों के सर्वेक्षणों के माध्यम से अनुरक्षित और अद्यतन नहीं किया जा रहा है। यूडीआईएसई डाटा में लिया गया डाटा/अनुमान के संदर्भ में असंगतता है और लिया गया डाटा उचित स्तरों पर मान्य नहीं है। 14 वर्ष की आयु से अधिक के बच्चों को अधिनियम के उल्लंघन में प्रारंभिक कक्षाओं में रखा गया था। अधिनियम के कार्यान्वयन के छह वर्षों के बाद भी विद्यालय मान्यता के बिना चल रहे थे। राज्यों में प्रतिकूल पीटीआर का पता चला जिसने अधिनियम के प्रावधान के साथ समकालीन बनाने के लिए शिक्षकों के खराब संग्रहण को दर्शाया। उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन में गैर-शैक्षिक उद्देश्यों में शिक्षकों की तैनाती ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता किया। तीन वर्ष (मार्च 2013) की समय सीमा के भीतर विद्यालयों के लिए निर्धारित अवसंरचना के प्रावधान अभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

3.25 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि:

- i. राज्य सरकारें राज्यों में योग्य बच्चों की पहचान करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण करवाएं और सभी पात्र बच्चों को प्रावधान के अंतर्गत अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करें।
- ii. अधिनियम के उद्देश्य के अनुसार, सभी योग्य बच्चों के नामांकन में स्कूल अथवा विद्यालय छोड़ने वालों की संख्या को समाप्त करने के लिए विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं।
- iii. उपयुक्त सरकार, विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता का पुनः-मूल्यांकन कर सकती है और अध्यापकों की कमी/अधिक होने की संभावना को कम करने के लिए शिक्षकों की तैनाती के लिए एक रोडमैप विकसित कर सकती है, क्योंकि बच्चों को प्रासंगिक और उपयोगी शिक्षा प्रदान करना शिक्षकों की उपलब्धता पर निर्भर है।
- iv. उपयुक्त सरकार नियमित रूप से मुफ्त पाठ्य पुस्तकों की आपूर्ति और वितरण की समीक्षा कर सकती है।

- v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि लक्षित विद्यालयों/छात्रों तक पुस्तकें/यूनिफार्म पहुंचे, इनका उचित लेखाकरण तथा खरीद/वितरण को और सुव्यवस्थित करना चाहिए।
- vi. आरटीई रोडमैप के अनुसार, आधारभूत आवश्यकताओं को तुरंत उपलब्ध कराया जा सकता है।

अध्याय - IV मॉनीटरिंग एवं मूल्यांकन

4.1 पृष्ठभूमि

आरटीई अधिनियम की धारा 21 प्रावधान करती है कि एक विद्यालय एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा जिसमें स्थानीय प्राधिकरण, उस विद्यालय में दाखिला दिए गए बच्चों के माता-पिता अथवा अभिभावकों तथा शिक्षकों के चयनित प्रतिनिधि शामिल होंगे। एसएमसी विद्यालय के प्रबंधन को मॉनीटर करेगी, विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) तैयार करेगी तथा उसकी सिफारिश करेगी, उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करेगी तथा ऐसा कोई भी कार्य करेगी जो निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 31 के अनुसार राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) तथा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) इस अधिनियम के द्वारा अथवा अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करेंगे तथा बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच भी करेंगे। इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 33 एवं 34 के अनुसार, राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसी) तथा राज्य सलाहकार समिति (एसएसी) का आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के एक प्रभावी रूप से कार्यान्वयन पर केन्द्र तथा राज्य को सलाह देने हेतु गठन किया जाएगा।

4.2 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद

एमएचआरडी ने अधिनियम की धारा 33 के अनुपालन में 08 जुलाई 2010 को एनएसी स्थापित की थी। एनएसी का कार्य एक प्रभावी रूप से आरटीई अधिनियम के प्रावधानों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना था। मानव संसाधन विकास मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष है। सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, निदेशक, एनसीईआरटी, कुलपति, एनयूईपीए, अध्यक्ष एनसीटीई तथा अध्यक्ष एनसीपीआर पदेन सदस्य हैं तथा 9 अन्य सदस्यों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनित किया गया था।

इसकी स्वयं की स्वीकृत अनुसूची (26 अगस्त 2010) के अनुसार, एनएसी को अधिनियम के प्रारम्भ के शुरू के 3 वर्षों में प्रत्येक तिमाही में बैठक

करनी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएसी ने 2010-11 एवं 2011-12 में केवल दो बार, 2012-13 एवं 2013-14 में एक बार बैठक की थी तथा इसके पश्चात बैठक नहीं की है। इसके अतिरिक्त, नवम्बर 2014 के पश्चात एनएसी का पुनर्गठन नहीं किया गया है। एमएचआरडी ने सूचित किया (जनवरी 2017) कि नई एनएसी का गठन प्रक्रियाधीन था। इस प्रकार, एनएसी जिसे एक प्रभावी रूप से अधिनियम के कार्यान्वयन पर सलाह देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, बड़े पैमाने पर अप्रभावी रही तथा नवम्बर 2014 से अस्तित्व में नहीं रही।

एमएचआरडी ने बताया कि जीओआई ने 2001 में सर्वशिक्षा अभियान के राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की है जिसके अधीन शासी परिषद (जीसी) और कार्यकारिणी परिषद (ईसी) कार्य करते हैं। जीसी 2001 से केवल एक बार मिली थी और ईसी का पुनर्निर्माण प्रक्रियाधीन है। हालांकि, एनएसी का गठन न किए जाने के बारे में उत्तर में कुछ नहीं कहा गया है।

4.3 राज्य सलाहकार परिषद (एसएसी)

अधिनियम की धारा 34 परिकल्पित करती है कि राज्य सरकार को एक प्रभावी रूप से अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने हेतु उनको सलाह देने के लिए, अधिसूचना द्वारा, एसएसी का गठन करना चाहिए।

राज्य सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्रालय/विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष है। एसएसी के कार्य करने की प्रक्रियाओं के अनुसार, इसे उस समय जब अध्यक्ष उपयुक्त समझे नियमित रूप से बैठक करनी थी परंतु इसकी अंतिम तथा अगली बैठक के बीच तीन महीनों का अंतर नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 35 राज्यों/यूटी में से सात²² ने एसएसी का गठन नहीं किया था तथा 28 राज्यों/यूटी, जहां एसएसी गठित की गई थी, में तेरह राज्यों ने अधिनियम के कार्यान्वयन के तीन वर्षों के पश्चात एसएसी को गठित किया। इनमें से, महाराष्ट्र ने केवल फरवरी 2016 में एसएसी का गठन किया।

इसके अतिरिक्त, उन 28 राज्यों, जिनमें एसएसी गठित की गई थी, में से 17 राज्यों/यूटी ने तीन महीनों से कम के अंतराल में एसएसी बैठक कराने

²² दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, झारखण्ड, मणिपुर, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखण्ड।

की अधिनियम की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया था। वास्तव में, 11 राज्यों/यूटी²³ ने एसएमसी की एक भी बैठक नहीं की थी।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

4.4 विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी)

आरटीई नियमावली का नियम 3 प्रावधान करता है कि अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत स्थापित एसएमसी को प्रत्येक विद्यालय में, असहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर, अधिनियम के कार्यान्वयन के छः महीनों के भीतर गठित तथा प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात पुनर्गठित किया जाना चाहिए। एसएमसी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि विद्यालय की सभी मूल आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं तथा विद्यालयों में निरीक्षण प्रदान करने की अतिरिक्त भूमिका अदा करते हुए समुदाय तथा विद्यालय के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क के रूप में कार्य करती है।

4.4.1 (क) एसएमसी का गठन न करना

लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने 12 राज्यों/यूटी में एसएमसी के गठन की स्थिति को उजागर किया जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 21: एसएमसी का गठन

क्र.सं.	राज्य	नमूना जांच किए गए विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जिन्होंने एसएमसी का गठन नहीं किया	गठित न की गई एसएमसी की प्रतिशत
1	बिहार	169	21	12%
2	कर्नाटक	150	62	41%
3	केरल	60	25	41%
4	मध्य प्रदेश	240	28	12%
5	मिजोरम	60	14	23%
6	पंजाब	90	4	5%
7	राजस्थान	100 ²⁴	4	4%
8	तमिलनाडु	150	24	16%

²³ अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, सिक्किम, उत्तर प्रदेश

²⁴ नमूना जांच किए गए सरकारी स्कूल

9	पश्चिम बंगाल	90	79	88%
10	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	60	14	23%
11	दिल्ली	60	02	3%
12	पुदुचेरी	70	7	10%

एसएमसी का गठन न करना अधिनियम में अभिकल्पित निरीक्षण से वंचित करता है।

4.4.1 (ख) एसएमसी के गठन में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने एसएमसी के गठन में एक माह से तीन वर्षों के बीच के विलम्ब पाए जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	झारखंड	चार चयनित जिलों में 120 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में एसएमसी के गठन में 3 माह से 2 वर्षों के बीच का विलम्ब था।
2	मिजोरम	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से केवल 3 ने अधिनियम के कार्यान्वयन के छः महीनों के भीतर एसएमसी का गठन किया था। 60 में से 23 विद्यालयों ने प्रत्येक दो वर्ष में एसएमसी का पुनर्गठन नहीं किया था।
3	पंजाब	47 विद्यालयों में एसएमसी को अधिनियम के कार्यान्वयन से 6 महीनों के भीतर गठित नहीं किया गया था।
4	त्रिपुरा	दो जिलों में 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में 18 विद्यालयों में एसएमसी के गठन का विलम्ब 1 से 37 महीनों के बीच था।
5	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 10 विद्यालयों में एसएमसी का छः महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर गठन नहीं किया गया था।
6	चण्डीगढ़	30 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में से 18 विद्यालयों ने छः महीनों के भीतर एसएमसी गठित नहीं की है।
7	दिल्ली	60 चयनित विद्यालयों में से 50 विद्यालयों में एसएमसी का गठन 1 से 31 महीनों के विलम्ब के बीच किया गया था। दो डीएमसी विद्यालयों में एसएमसी का मार्च 2016 तक गठन नहीं किया गया था।

4.4.2 एसएमसी की बैठकों में कमी

आरटीई नियमावली का नियम 3(5) अनुबंध करता है कि एसएमसी कम से कम माह में एक बार बैठक करेगी, बैठकों के कार्यवृत्त तथा निर्णयों को उचित प्रकार से दर्ज किया जाएगा तथा लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। विभिन्न राज्यों में एसएमसी बैठकों की स्थिति का परिशिष्ट VII में ब्यौरा दिया गया है।

परिशिष्ट यह दर्शाता है कि एसएमसी बैठकों में कमी थी जिसने पणधारियों के साथ रचनात्मक सवाद तथा विद्यालय प्रणाली के अच्छी तरह कार्य करने हेतु सुदृढ़ बनाने से वंचित किया।

4.4.3 विद्यालय विकास योजना (एसडीपी) को तैयार न करना

अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक एसएमसी एक एसडीपी तैयार करेगी जो उपयुक्त सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली योजनाओं तथा अनुदानों का आधार है। एसडीपी विद्यालय के कार्यों में सुधार की एक सामरिक योजना है। लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने प्रकट किया कि 2015-16 के दौरान नौ राज्यों/यूटी नामतः बिहार, हरियाणा, झारखण्ड, लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैण्ड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में एसएमसी द्वारा कोई एसडीपी तैयार नहीं की गई थी जबकि निम्नलिखित राज्यों/यूटी में स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 22: विद्यालय विकास योजनाएं तैयार करना

क्र.सं.	राज्य	नमूना जांच किए गए विद्यालय	एसडीपी तैयार की गई	एसडीपी तैयार नहीं की गई	तैयार न किए जाने की प्रतिशतता
1	छत्तीसगढ़	120	87	33	27%
2	गोवा	60	4	56	93%
3	गुजरात	117 ²⁵	59	58	50%
4	कर्नाटक	150	105	45	30%
5	केरल	60	47	13	21%

²⁵ नमूना जांच किए गए सरकारी स्कूल

6	मध्य प्रदेश	231	52	179	77%
7	मणिपुर	60	27	33	55%
8	ओडिशा	150	85	65	43%
9	पंजाब	90	26	64	71%
10	सिक्किम	57	12	45	79%
11	तमिलनाडु	150	37	113	75%
12	चण्डीगढ़	30	6	24	80%
13	दमन एवं दीव	60	30	30	50%
14	दिल्ली	60	38	22	37%

बाल विकास में प्रभावी रूप से सहयोग करने हेतु विद्यालय तथा स्थानीय समुदाय को सामंजस्य में कार्य करना है। एसडीपी के अभाव में विद्यालय सुसंगत विकास से वंचित रहे।

4.4.4 पहचान किए गए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान न करना

आरटीई नियमावली का नियम 5 अनुबंध करता है कि राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्वामित्व तथा प्रबंधित विद्यालय की एसएमसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करेगा। एसएमसी को विशेष रूप से तैयार उपयुक्त शिक्षण सामग्री के आधार पर प्रशिक्षण को आयोजित करना अपेक्षित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आठ राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, सिक्किम, तमिलनाडु में एसएमसी द्वारा पहचान किए गए बच्चों हेतु कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था जबकि नीचे दिए गए पांच राज्यों में एसएमसी द्वारा पहचान किए गए बच्चों हेतु आंशिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया था:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1	असम	120 चयनित विद्यालयों में से 95 (79 प्रतिशत) में एसएमसी ने न तो विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों की पहचान की थी और न ही ऐसे प्रशिक्षण का आयोजन किया था।
2	झारखण्ड	2010-16 के दौरान, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले 1.60 लाख बच्चों के लक्ष्य में से निधियों की उपलब्धता के बावजूद, केवल 1.21 लाख (77 प्रतिशत) बच्चों को एसएमसी द्वारा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।
3	केरल	2 जिलों में 60 चयनित विद्यालयों में एसएमसी ने 52 छात्रों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था जिन्हें 3 विद्यालयों में उपयुक्त दाखिला दिया गया था।
4	महाराष्ट्र	72 चयनित विद्यालयों में से 9 में संबंधित एसएमसी द्वारा कोई विशेष प्रशिक्षण का प्रबंध नहीं किया गया था जहां यह अपेक्षित था।
5	राजस्थान	2010-16 के दौरान, विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता वाले 2.80 लाख बच्चों में से एसएमसी द्वारा केवल 1.30 लाख (46 प्रतिशत) बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने में एसएमसी की विफलता का परिणाम यह हुआ कि पहचान किए गए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया गया तथा वे अधिनियम के अनुसार शेष कक्षा के साथ शैक्षिक रूप से सफलतापूर्वक एकीकृत नहीं हो पाए।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

4.5 निरीक्षणों में कमी

संबंधित राज्य सरकार के अधिकारियों/स्टाफ अर्थात् ब्लाक स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ), ब्लॉक संसाधन केन्द्रों (बीआरसी), समूह संसाधन केन्द्रों (सीआरसी) द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनित विभिन्न नोडल अधिकारियों द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण किए जाने थे। लेखापरीक्षा में नमूना जांच ने निम्नलिखित राज्यों में निरीक्षणों की स्थिति को उजागर किया:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	अरुणाचल प्रदेश	नमूना जांच किए गए 60 विद्यालयों में बीआरसी तथा सीआरसी द्वारा 2010-16 के दौरान प्रत्येक दो महीनों में एक बार के बजाए वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण किया गया था।
2.	आन्ध्र प्रदेश	2 चयनित जिलों में, 2010-16 हेतु लक्षित 37,296 निरीक्षणों में से विभिन्न नोडल अधिकारियों अर्थात् जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ), उप शिक्षा अधिकारियों (डीवाईडीओ) तथा मण्डल शिक्षा अधिकारियों (एमईओ) द्वारा केवल 21,415 निरीक्षण किए गए थे।
3.	छत्तीसगढ़	एक जिले में चार नमूना जांच किए गए डीईओ में से 91 प्रतिशत विद्यालयों का 2010-16 के दौरान निरीक्षण नहीं किया गया था। तथापि, 16 नमूना जांच किए गए ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) में से 10 बीईओ में दो से 89 प्रतिशत विद्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया था।
4.	हिमाचल प्रदेश	नमूना जांच किए गए ब्लॉकों में 3,189 निरीक्षणों के प्रति 2010-16 के दौरान केवल 1,198 निरीक्षण किए गए थे।
5.	केरल	2 चयनित जिलों में 2010-16 हेतु लक्षित 1,080 निरीक्षणों में से विभिन्न नोडल अधिकारियों अर्थात् शिक्षा उपनिदेशक (डीडीई), डीईओ तथा सहायक शिक्षा अधिकारी (एईओ) द्वारा केवल 267 निरीक्षण किए गए थे।
6.	मध्य प्रदेश	2012-13 के दौरान 15,300 प्रति वर्ष के लक्ष्य के प्रति जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किए गए विद्यालयों के निरीक्षण 853 से 11,047 के बीच थे।
7.	महाराष्ट्र	2011-12 से 2014-15 के दौरान 2,66,715 विद्यालयों में से बीएलओ/बीआरसी/सीआरसी द्वारा 28,532 विद्यालयों का एक बार भी दौरा नहीं किया गया था तथा बीआरसी/सीआरसी द्वारा 41,657 विद्यालयों का वर्ष में पांच बार से कम दौरा किया गया था।
8.	मेघालय	2010-16 के दौरान दो चयनित जिलों में 60 नमूना जांच किए गए विद्यालयों में एक जिले में 42 प्रतिशत विद्यालयों का एक बार भी निरीक्षण नहीं किया गया। अधिकांश विद्यालयों (दो जिलों में क्रमशः 68 प्रतिशत तथा 42 प्रतिशत) का 2010-16 के दौरान केवल 1-5 बार निरीक्षण किया गया था।

9.	तमिलनाडु	2010-16 के दौरान 150 नमूना जांच किए विद्यालयों में से नौ विद्यालयों का कभी भी निरीक्षण नहीं किया गया था, 31 विद्यालयों का 1 से 5 बार के बीच, 21 विद्यालयों का 6 से 10 बार के बीच निरीक्षण किए गए थे।
10.	उत्तर प्रदेश	2010-16 के दौरान, बीआरसी, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एनपीआरसी) तथा बीआरसी/एनपीआरसी द्वारा निरीक्षणों की कमी क्रमशः 9 से 100, 7 से 100 तथा 2 से 100 प्रतिशत के बीच थी।
11.	पश्चिम बंगाल	जिले में एक को छोड़कर 12 नमूना जांच किए गए ब्लकों के विद्यालय के किसी भी उप-निरीक्षक द्वारा विद्यालयों का दौरा नहीं किया गया था। 10 परिमण्डल संसाधन केन्द्रों (सीएलआरसी) में 2010-11 से 2015-16 तक विद्यालयों के उप-निरीक्षकों द्वारा दौरे की प्रतिशतता 3 से 50 प्रतिशत के बीच तथा 9 सीएलआरसी में यह 51 से 117 प्रतिशत के बीच थी।

विद्यालयों का निरीक्षण मूल सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, मध्याह्न भोजन, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों की उपस्थिति आदि की स्थिति को मॉनीटर करने हेतु महत्वपूर्ण है। विद्यालयों के आवधिक निरीक्षण/पर्यवेक्षण का अभाव आरटीई के कार्यान्वयन के निरंतर निर्धारण की मॉनिटरिंग में बाधा डालता है।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

4.6 शिकायत निवारण तंत्र

अधिनियम की धारा 31 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर) को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है ताकि वह अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करे और बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकारों से संबंधित शिकायतों की जांच कर सकें।

4.6.1 राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3, अधिनियम की धारा 31 के संदर्भ में, प्रावधान करती है कि केन्द्र सरकार प्रदत्त शक्तियों के उपयोग तथा इसको सौंपे गए कार्यों को करने हेतु एनसीपीसीआर का गठन करेगी। राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीपीसीआर बाल अधिकार के संरक्षण तथा बाल अधिकारों के उल्लंघन के मामलों तथा इससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को मॉनीटर करता है।

4.6.1.1 यूडीआईएसई डाटा तथा एनसीपीसीआर द्वारा किए गए मॉनिटरिंग सर्वेक्षणों में अंतर

जुलाई-अगस्त 2014 के दौरान, एनसीपीसीआर ने वर्ष 2014-15 हेतु बिहार, कर्नाटक महाराष्ट्र तथा ओडिशा में चार शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में 38 विद्यालयों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य अप्रैल 2014 में वर्ष 2012-13 हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, एमएचआरडी (एनयूईपीए) द्वारा संग्रहित यूडीआईएसई डाटा की यथार्थता का निर्धारण करना था। तथापि, यूडीआईएसई तथा एनसीपीसीआर सर्वेक्षण दल द्वारा संग्रहित डाटा के बीच विसंगतिया थी जैसा नीचे उल्लेख किया गया है:

तालिका 23: यूडीआईएसई डाटा तथा एनसीपीसीआर डाटा में विसंगतियां

क्र.स.	राज्य/ब्लॉक	संकेतक	संकेतक वाले विद्यालयों की संख्या	
			यूडीआईएसई डाटा (2012-13) के अनुसार	एनसीपीसीआर डाटा (2014-15) के अनुसार
1.	कर्नाटक/ लिगांसुगूर	लड़कों के शौचालय	10	8
		लड़कियों के शौचालय	10	8
		पेयजल	10	9
		छात्र कक्षा अनुपात	7	5
		छात्र शिक्षक अनुपात	8	7
		शिक्षक कक्षा अनुपात	9	6
2.	महाराष्ट्र/धारूर	लड़कियों के शौचालय	10	9
		पेयजल	7	1
		पुस्तकालय	6	4

		सीमा दीवार	3	2
3.	ओडिशा/लांजीगढ़	रैम्प	8	6
4.	बिहार/पुपरी	रैम्प	9	7
		छात्र कक्षा अनुपात	2	0
		छात्र शिक्षक अनुपात	2	0
		शिक्षक कक्षा अनुपात	4	0

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि संकेतकों को पूरा करने वाले विद्यालयों की संख्या यूडीआईएसई डाटा की तुलना में एनसीपीसीआर सर्वेक्षण के अनुसार कम थीं जो यूडीआईएसई डाटा की प्रमाणिकता पर प्रश्न उठाता है।

किसी भी शैक्षणिक कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए, कुशल सूचना प्रणाली के साथ प्रभावी मॉनिटरिंग अनिवार्य है। यूडीआईएसई डाटा की यथार्थता के अभाव में अधिनियम की प्रभावी मॉनिटरिंग कठिन थी।

4.6.1.2 लंबित शिकायतें

अधिनियम का पैरा 31(1) (ख एवं ग) अनुबंध करता है कि एनसीपीसीआर, उसको सौंपे गए कार्यों के अतिरिक्त, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करेगा तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कदम उठाएगा। इसके अतिरिक्त, एसएसए ढॉचे का पैरा 8.3.4 शिकायत निवारण प्रणाली के निम्नलिखित क्षेत्रों में एनसीपीसीआर को अधिकार प्रदान करता है- (i) शिकायतों का पंजीकरण; (ii) शिकायतों की जांच; (iii) शिकायतों पर प्रतिक्रिया; (iv) आग्रह प्रक्रिया।

मार्च 2016 तक 993²⁶ शिकायतें एनसीपीसीआर के पास लंबित थी जैसा नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

²⁶ इसमें आंध्रप्रदेश से संबंधित 455 शिकायतें शामिल हैं।

तालिका 24: शिकायतों की स्थिति-एनसीपीसीआर

वर्ष	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निपटान की गई शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की प्रकृति	
				अवसरचना	अन्य
2010-11	1,742	1,588	154	23	131
2011-12	1,677	1,156	521	327	194
2012-13	726	568	158	33	125
2013-14	297	201	96	23	73
2014-15	115	88	27	7	20
2015-16	61	24	37	7	30
कुल	4,618	3,625	993	420	573

स्रोत: एनसीपीसीआर प्रबंधन द्वारा प्रदत्त डाटा

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 14(1) प्रावधान करती है कि एनसीपीसीआर के पास, शिकायतों से संबंधित किसी मामले में जांच करते समय, एक सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, जैसे सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत मुकदमा करना, अर्थात् किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति का सम्मन तथा लागू करना और शपथ पर उसकी जांच करना।

एनसीपीसीआर में लंबित शिकायतों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि मार्च 2016 तक, शारीरिक दण्डों, दाखिले से इंकार, शिक्षकों की गैर-उपस्थिति आदि जैसे मामलों से संबंधित प्राप्त 25 शिकायतें दो वर्षों से अधिक से निपटान हेतु लंबित थी। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 14 के अंतर्गत उपरो उल्लेखित शक्तियों के बावजूद एनसीपीसीआर ने शक्तियों का उपयोग नहीं किया था तथा राज्यों अभिकरणों को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सामान्य प्रकार से पत्र तथा स्मारक लिखे जिसका परिणाम लंबित शिकायतों के निपटान में विलम्ब में हुआ। 2016 तक एनसीपीसीआर द्वारा केवल छः शिकायतों से संबंधित सुनवाई हेतु दो सम्मन जारी किए गए थे।

एनसीपीसीआर ने उत्तर दिया (नवम्बर 2016) कि शिकायतों की जांच करना एनसीपीसीआर की विस्तृत मॉनिटरिंग का एक भाग है जिसमें अनुसंधान कार्यक्रम, दौरे आदि करना भी शामिल है जो लघु अवधि संविदात्मक स्टाफ की नियुक्ति के कारण प्रभावित है। सम्मन सुनवाई के संबंध में

एनसीपीसीआर ने उत्तर दिया कि सम्मन को केवल अध्यक्ष, एनसीपीसीआर की स्वीकृति से जारी किया जा सकता है तथा सम्मन सुनवाई प्रक्रिया की समीक्षा करने की प्रक्रिया आयोग द्वारा पहले ही प्रारम्भ कर दी गई है।

4.6.2 राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एससीपीसीआर)

राज्य स्तर पर, एससीपीसीआर बाल अधिकार के संरक्षण, बाल अधिकार के उल्लंघन के मामलों तथा उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को मॉनीटर करता है।

4.6.2.1 एससीपीसीआर का गठन

अधिनियम की धारा 31(3) प्रावधान करती है कि जहां राज्य में एससीपीसीआर गठित नहीं की गई है वहां उपयुक्त सरकार को, धारा 31 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्यों को करने के उद्देश्य से, उसी प्रकार तथा ऐसे नियम एवं शर्तों के तहत, जैसा निर्धारित किया जाए, ऐसे प्राधिकरण का गठन करना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि 35 राज्यों में से, 10 राज्यों में एससीपीसीआर/आरईपीए (बाल संरक्षण अधिकार हेतु एक अंतरिम प्राधिकरण) का गठन अप्रैल 2010 तक किया गया था, जबकि बाकी 25 राज्यों में एससीपीसीआर/आरईपीए का गठन जून 2010 से अप्रैल 2015 के बीच किया गया था (परिशिष्ट-VIII)।

4.6.2.2 बाल हैल्पलाइन की स्थापना न करना

आरटीई नियमावली का नियम 28 प्रावधान करता है कि एससीपीसीआर को एक बाल हैल्पलाइन की स्थापना करनी चाहिए जिसके अंतर्गत बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएं जिन्हें इसके द्वारा एक पारदर्शी आनलाइन क्रियाविधि द्वारा मॉनीटर किया जाए। तथापि, लेखापरीक्षा की नमूना जाँच में पाया गया कि 12 राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश तथा पुदुचेरी में शिकायतें प्राप्त करने तथा इसकी आगे की मॉनिटरिंग हेतु बाल हैल्पलाइन स्थापित नहीं की गई थी।

4.6.2.3 लंबित शिकायतें

अधिनियम की धारा 32 अनुबंध करती है कि प्राथमिक शिकायत से संबंधित आग्रह का एससीपीसीआर द्वारा निर्णय किया जाएगा जैसा बाल अधिकार

संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त है। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पाया गया कि 11 राज्यों के एससीपीसीआर/राज्य शिकायत निवारण प्राधिकरणों में मार्च 2016 तक शिकायतों की लंबितता थी:

तालिका 25: शिकायतों की स्थिति-एससीपीसीआर

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	प्राप्त शिकायतें	निपटान की गई शिकायतें	लंबित शिकायतें
1.	असम	2010-16	356	शून्य	356
2.	गोवा	2010-16	46	10	36
3.	गुजरात	2013-16	49	23	26
4.	कर्नाटक	2015-16	117	68	49
5.	मध्यप्रदेश	2010-16	426	128	298
6.	ओडिशा	2010-16	17,796	17,527	269
7.	पंजाब	2012-16	156	107	49
8.	राजस्थान	2010-16	1,041	378	663
9.	तेलंगाना	2014-16	323	296	27
10.	उत्तराखंड	2013-16	176	137	39
11.	पश्चिम बंगाल	2010-16	360	50	310

बाल हैल्पलाइन के अभाव तथा शिकायतों के निपटान में विलम्ब का परिणाम बच्चों के शिकायत निवारण के एक महत्वपूर्ण अधिकार जैसा अधिनियम के अंतर्गत अभिकल्पना की गई थी, से वंचित रहने में हुआ।

4.7 संस्थानों द्वारा मॉनिटरिंग में पाई गई अनियमितताएं

एसएसए ढाँचे के पैरा 7.12.3 के अनुसार, शिक्षा विभाग, सामाजिक विज्ञान और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के अंतर्गत विश्वविद्यालयों सहित संस्थानों को राज्य और यूटी में एसएसए कार्यान्वयन की आवधिक मॉनिटरिंग का काम सौंपा गया है। मॉनिटरिंग संस्थानों को फील्ड दौरे तथा जमीनी स्तर पर हर छह महीने की अवधि में एसएसए की प्रगति पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी।

संस्थानों द्वारा मॉनिटरिंग में अनियमितताओं के मामले नीचे वर्णित हैं:

क्र.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
1.	गुजरात	गुजरात राज्य बाल अधिकार आयोग (जीएससीपीसीआर) को प्रति स्कूल प्रति वर्ष ₹50/- की राशि पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग के लिए आवंटित की गई थी, जिसका उपयोग जीएससीपीसीआर द्वारा अनुमोदित मॉनिटरिंग योजना पर किया जाना था। मानदंडों के अनुसार, जीएससीपीसीआर की मॉनिटरिंग योजना एसएसए की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जानी थी। 2013-16 के दौरान मॉनिटरिंग के लिए जीएससीपीसीआर को ₹86.83 लाख की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से केवल ₹18.69 लाख (15 सितंबर 2016) का उपयोग आयोग ने किया था। आवंटित निधियों का गैर-उपयोग मुख्य रूप से कार्यकारी समिति (अगस्त 2016) द्वारा मॉनिटरिंग योजना का अनुमोदन नहीं होने के कारण हुआ। यद्यपि, मॉनिटरिंग योजना आयोग द्वारा जुलाई 2016 में ही प्रस्तुत की गई थी।
2.	त्रिपुरा	एसएसए के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए एमएचआरडी ने त्रिपुरा विश्वविद्यालय को मॉनिटरिंग संस्थान के रूप में कार्य सौंपा। मॉनिटरिंग संस्थानों (एमआई) को क्षेत्रीय दौरे करने थे और हर छह महीनों में जमीनी स्तर पर एसएसए की प्रगति पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी। यह चक्र हर दो वर्षों में दोहराया जाना था। 2010-11 से 2015-16 के दौरान, मॉनिटरिंग संस्थान ने निर्धारित 12 के प्रति केवल तीन छमाही दौरो का आयोजन किया। परिणामस्वरूप, एसएसए के कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग में कमी रही।
3.	आंध्र प्रदेश	अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के अनुसार, विद्यालय कक्षा 1 में, गैर-अनुदान वाले विद्यालयों में वर्ग की कुल क्षमता के 25 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश देगा। भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), अहमदाबाद ने 2014-15 के दौरान धारा 12(1)(ग) के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया और पाया कि इस धारा को राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। गैर-अनुदान वाले विद्यालय न्यायालय में इस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं।
4.	उत्तर प्रदेश	राज्य आरटीई नियमों का नियम 25(2) प्रावधान करता है कि बाल अधिकारों के बारे में कोई भी शिकायत अपने सदस्य सचिव (मुख्य शिक्षक) के माध्यम से ग्राम/वार्ड शिक्षा समितियों को दी जाएगी, जिसमें से पहली और दूसरी अपील ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए एबीएसए और क्रमशः जिला पंचायत/नगर पालिका में की जाएगी। इन शिकायतों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन मॉनिटरिंग तंत्र के माध्यम से यूपी बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा की जानी थी। बेसिक शिक्षा परिषद में इन शिकायतों के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग तंत्र की स्थापना के बारे में कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया

		गया था। इस प्रकार, राज्य में आरटीई नियमों के तहत प्रभावी मॉनिटरिंग तंत्र स्थापित नहीं किया गया था।
5.	हरियाणा	अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समग्र मॉनिटरिंग के बारे में तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के लिए 2011-12 के दौरान ₹5.30 करोड़ का प्रावधान किया गया था, लेकिन तीसरे पक्ष का मूल्यांकन नहीं किया गया था।
6.	पुडुचेरी	पीएबी ने नमूना आधार पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए परियोजना प्रबंधन योजना के तहत ₹10.00 लाख की एकमुश्त राशि को मंजूरी दी। नवंबर 2014 से मार्च 2015 तक वर्ष 2014-15 के लिए एसएसए पर तीसरे पक्ष के मूल्यांकन सर्वेक्षण के लिए पुडुचेरी विश्वविद्यालय को नियुक्त किया गया। 2014-15 में पुडुचेरी विश्वविद्यालय को ₹8.00 लाख की राशि का इस निर्देश के साथ भुगतान किया गया था कि सर्वेक्षण रिपोर्ट अगली परियोजना अनुमोदन बोर्ड बैठक से पहले पहुंचे। यद्यपि, जुलाई 2016 तक पुडुचेरी विश्वविद्यालय द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई थी।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

4.8 आंतरिक लेखापरीक्षा का अभाव

4.8.1 केन्द्रीय स्तर पर कोई आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र न होना

आंतरिक लेखापरीक्षा संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रधान लेखा कार्यालयों के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग के माध्यम से आयोजित की जाती है। प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीसीसीए) को भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित मंत्रालय की सभी योजनाओं के आंतरिक लेखापरीक्षा का संचालन करना था। 2010-11 से 2015-16 के दौरान, एसएसए योजना की आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित नहीं की गई थी।

पीसीसीए ने उत्तर दिया (नवंबर 2016) कि आंतरिक लेखापरीक्षा मंत्रालय की वार्षिक लेखापरीक्षा योजना के आधार पर आयोजित की जाती है जो समयबद्धता तथा मानवशक्ति की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती है और जब इस योजना की लेखापरीक्षा वार्षिक लेखापरीक्षा योजना में सम्मिलित होगी तब इसकी आंतरिक लेखापरीक्षा की जाएगी। इस प्रकार, नियंत्रणों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन की अनदेखी की गई।

4.8.2 राज्य स्तर पर आंतरिक लेखापरीक्षा

एसएसए के वित्तीय प्रबंधन और प्रापण मैनुअल के पैरा 104.3 के अनुसार, राज्य कार्यान्वयन समिति को उचित आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली शुरू करनी चाहिए और एडब्ल्यूपीएण्डबी में अनुमोदित निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन-हाउस आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की जांच-प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहिए। तथापि, एसएसए के वित्तीय प्रबंधन और प्रापण मैनुअल के पैरा 104.4 में निर्दिष्ट है कि उन राज्यों में जहां एक आंतरिक लेखापरीक्षा दल उपलब्ध नहीं है, अर्हताबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्मों को आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए लगाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में नमूना जांच में पता चला कि सात राज्यों/यूटी में, आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन में निम्न उल्लेखित कमियां थीं:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभ्युक्ति
1.	हरियाणा	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय (डीईई) और परिषद में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली नहीं थी।
2.	लक्षद्वीप	2010-16 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।
3.	नागालैंड	2014-15 और 2015-16 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा निधियों के निर्गम नहीं होने के कारण नहीं हुई थी।
4.	राजस्थान	2013-14 के बाद आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।
5.	सिक्किम	2010-16 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।
6.	उत्तर प्रदेश	2010-15 के दौरान 1,61,000 विद्यालयों में से, केवल 39,455 विद्यालयों की लेखापरीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) द्वारा की गयी थी और प्रत्येक तीन वर्षों में एक बार विद्यालयों के लेखापरीक्षा के मानदंड का पालन नहीं किया गया था।
7.	पुडुचेरी	वर्ष 2013-14 के लिए विद्यालय स्तर पर कार्यान्वयन इकाइयों के लेखाओं की आवधिक लेखापरीक्षा नहीं की गयी थी।

राज्यों में आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन में कमियां आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता दर्शाती है।

4.9 सिविल कार्य का तीसरे पक्ष का मूल्यांकन

एसएसए ढांचे का पैरा 6.10.2 बताता है कि सिविल कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, तीसरे पक्ष मूल्यांकन (टीपीई) के माध्यम से, सिविल कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का एक स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य है। लेखापरीक्षा में पाए जाने वाले मामले नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
1.	मध्य प्रदेश	परियोजना स्वीकृति बोर्ड (पीएबी) ने अपनी 162वें (अप्रैल 2011) और 177वें (मार्च 2012) बैठकों में स्वतंत्र रूप से सभी निर्माण कार्यों की तकनीकी गुणवत्ता का आकलन करने का निर्णय लिया। यह देखा गया कि बुरहानपुर और मोरेना के दो जांच-परीक्षा किए गए जिलों में 2013-16 के दौरान सिविल कार्य का तीसरा पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया था।
2.	गोवा	मूल्यांकन अध्ययन आयोजित करने के लिए कोई विशेषज्ञ नहीं लगाए गए। टीपीई के लिए विशेषज्ञों को लगाने के लिए जीएसएसए के भाग में असफलता और सिविल कार्यों की गुणवत्ता पर वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त न करने के कारण एसएसए प्रशासन एसएसए के संविधानों के तहत सिविल कार्यों में अच्छी प्रथाओं को जानने से वंचित रहा।

उचित मूल्यांकन और निर्धारण रिपोर्टों की अनुपस्थिति में, गुणवत्ता आश्वासन के प्रभाव यथा इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये सुधारों की परिकल्पना के अनुसार अच्छे कार्यों को उजागर करना, क्षमता और कमजोरियों को लाना और साझा नहीं किया जा रहा था।

एमएचआरडी ने बताया (मई 2017) कि संबंधित राज्यों से टिप्पणियां एकत्रित की जा रही हैं।

4.10 बच्चों द्वारा सीखने का स्तर मूल्यांकन/छात्रों द्वारा कम अकादमिक उपलब्धि

अधिनियम की धारा 29 उपयुक्त सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया को प्रस्तुत करती है। इसके अलावा, अनुसंधान मूल्यांकन मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण (आरईएमएस) के तहत, छात्रों की सीखने की उपलब्धि में वृद्धि का मूल्यांकन समय-समय पर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाना चाहिए।

बच्चों के सीखने स्तर के मूल्यांकन से संबंधित चार राज्यों के मामले/छात्रों द्वारा कम शैक्षणिक उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
1.	ओडिशा	<p>ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओपीईपीए) ने 2013-14 के दौरान भाषा, गणित और सामाजिक अध्ययनों में अध्ययन किए, जिसमें क्रमशः 2014-15 और 2015-16 में सभी 30 जिले और छह नमूना जिले शामिल थे। 2014-15 में 666 पीएस और यूपीएस की कक्षा - II, III, VI और VIII के 17,887 छात्रों को शामिल करने वाले राज्य की नवीनतम अध्ययन रिपोर्ट के विश्लेषण में पता लगा कि:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 333 प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा- II के 4,426 छात्रों में से 16 प्रतिशत बच्चे पत्र नहीं पढ़ सके जबकि 80 प्रतिशत बच्चे शब्द नहीं पढ़ सके। • कक्षा III के 4,320 छात्रों ने भाषा की परीक्षा में 52 प्रतिशत अंकों का औसत प्राप्त किया। नमूना छः में से तीन जिलों के परिणाम राज्य के औसत से नीचे थे। • कक्षा-VI के मामले में, 4,983 छात्रों का मूल्यांकन छह जिलों के मध्य औसत से हुआ जो 42.55 रहा। गणित में, सीखने की उपलब्धि 27 से 41 प्रतिशत तक थी। सामाजिक अध्ययन में, उपलब्धि 27 से 39 प्रतिशत तक थी। • कक्षा-VIII में मूल्यांकन किए गए 4,158 छात्रों में, केवल एक जिला 48.75 प्रतिशत मध्य औसत के प्रति भाषा में 50 प्रतिशत की उपलब्धि के स्तर पर पहुंच पाया। सामाजिक अध्ययन में, 65 फीसदी छात्रों ने 40 फीसदी से कम पाए। सभी छः जिलों में गणित में उपलब्धि स्तर 40 प्रतिशत से नीचे था।
2.	पश्चिम बंगाल	<p>'उत्कर्ष अभिज्ञान' नामक एक मूल्यांकन कार्यक्रम के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2013 से 2015 के दौरान एक अध्ययन स्तर का आकलन किया गया, जिसमें पता चला कि विशेष रूप से नमूना जांच किए गए जिलों सहित राज्य के 7 से 10 जिलों में पढ़ाई और गणितीय कौशल की कमी थी।</p> <p>नवम्बर-दिसंबर 2014 के दौरान 18 शैक्षणिक जिलों में शिक्षा केंद्र (एसएसके) और माध्यमिक शिक्षा केंद्र (एमएसके) में एक</p>

		मूल्यांकन अभ्यास किया गया जिसमें 2,37,301 एसएसके के शिक्षार्थियों (11,88,992 में से) और 70,798 एमएसके शिक्षार्थियों (3,40,641 में से) ने भाग लिया। मूल्यांकन के परिणाम से ज्ञात हुआ कि एसएसके छात्रों के 17.97 प्रतिशत और एमएसके छात्रों के 54.58 प्रतिशत ने 45 प्रतिशत से नीचे स्कोर करके सी ग्रेड स्कोर किया।																
3.	हिमाचल प्रदेश	वर्ष 2013-16 के दौरान एसपीडी, एसएसए द्वारा छात्रों के सीखने की उपलब्धि और प्रगति में वृद्धि का आकलन करने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विज्ञान के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। आधारभूत सर्वेक्षण (शैक्षणिक सत्र 2013-14 की शुरुआत) के तीन वर्षों (2013-16) में बच्चों की तुलनात्मक उपलब्धि ने दर्शाया कि प्राथमिक कक्षाओं के संबंध में शिक्षा स्तर में वृद्धि हुई है जबकि उच्च प्राथमिक कक्षाओं VI और VII में, सीखने के स्तर में 17 और 7 प्रतिशत तक कमी आई थी।																
4.	छत्तीसगढ़	<p>सितंबर 2013 में, राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम शिक्षा गुणवत्ता अभियान की शुरुआत की और प्रश्नावली के माध्यम से विद्यालयों के सर्वेक्षण के लिए राज्य के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नियुक्त किया। राज्य के कुल 53,269 विद्यालयों में से, मार्च 2015 तक कार्यक्रम के अंतर्गत 43,529 विद्यालय (82 प्रतिशत) को आवृत किया गया था, विवरण नीचे दिए गए हैं:</p> <p style="text-align: center;">तालिका 26: प्राप्त किये गये ग्रेड</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">विद्यालयों की सं.</th> <th rowspan="2">आवृत विद्यालय</th> <th colspan="4">श्रेणी</th> </tr> <tr> <th>ए</th> <th>बी</th> <th>सी</th> <th>डी</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>53,269</td> <td>43,529</td> <td>11,094</td> <td>16,569</td> <td>10,676</td> <td>5,190</td> </tr> </tbody> </table> <p>उपरोक्त तालिका के अनुसार कुल विद्यालयों में से केवल 25 प्रतिशत स्कूलों ने ग्रेड "ए" प्राप्त किया और तीन चौथाई विद्यालयों ने ग्रेड बी, सी और डी प्राप्त किए जिनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सुधार की आवश्यकता है।</p>	विद्यालयों की सं.	आवृत विद्यालय	श्रेणी				ए	बी	सी	डी	53,269	43,529	11,094	16,569	10,676	5,190
विद्यालयों की सं.	आवृत विद्यालय	श्रेणी																
		ए	बी	सी	डी													
53,269	43,529	11,094	16,569	10,676	5,190													

इससे दर्शाता है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

4.11 निष्कर्ष

आरटीई अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनाया गया था लेकिन नवंबर 2014 के बाद इसका पुनर्गठन नहीं हुआ। विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) जिसे विद्यालय विकास योजना तैयार करने और विद्यालय के प्रबंधन को मॉनीटर करने की आवश्यकता थी, का गठन लेखापरीक्षा में कई नमूना जांच किए गए कई विद्यालयों में नहीं किया गया था। आठ राज्यों में एसएमसी द्वारा पहचान किए गए बच्चों को प्रशिक्षण नहीं दिया गया था और आंशिक रूप से दूसरे पांच राज्यों में विस्तारित किया गया था।

स्कूलों की आवधिक निरीक्षण/पर्यवेक्षण की अनुपस्थिति में, स्कूल की प्रगति को मॉनीटर नहीं किया गया था और योजना कार्यान्वयन के व्यापक और निरंतर मूल्यांकन का उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा योजना की आंतरिक लेखापरीक्षा भी मंत्रालय के स्तर पर आयोजित नहीं की गई थी।

सभी पात्र छात्रों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम में परिकल्पित निरंतर और प्रभावी मॉनिटरिंग करना महत्वपूर्ण है।

4.12 अनुशंसाएं

हम अनुशंसा करते हैं कि:

- i. राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का पुनर्गठन अपेक्षित है।
- ii. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि विद्यालय प्रबंधन समितियां (एसएमसी) सभी स्कूलों में गठित की गयी हैं, विद्यालय विकास योजनाएं सभी एसएमसी द्वारा तैयार की जाती हैं और एसएमसी बैठकों की निर्धारित संख्या को योजना के प्रबंधन और मॉनिटरिंग में सुधार के लिए आयोजित किया जाता है।

- iii. मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और आवश्यक निरीक्षण समय-समय पर ब्लॉक संसाधन केंद्रों और समूह संसाधन केंद्रों द्वारा किया जा सकता है।
- iv. मुख्य लेखा नियंत्रक यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि केंद्रीय स्तर पर इस योजना की आंतरिक लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जाए।

मुकुंद सिंह

नई दिल्ली

दिनांक: 16 जून 2017

(मुकुंद प्रसाद सिंह)

महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

नई दिल्ली

दिनांक: 22 जून 2017

(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट - I
(पैरा 1.7 के संदर्भ में)
नमूना दर्शाती तालिका

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	15% की दर से जिलों का चयन तथा न्यूनतम दो जिलों तक सीमित
1	आंध्र प्रदेश	23	2
2	अरुणाचल प्रदेश	16	2
3	असम	27	4
4	बिहार	38	6
5	छत्तीसगढ़	27	4
6	गोवा	2	2
7	गुजरात	33	5
8	हरियाणा	21	3
9	हिमाचल प्रदेश	12	2
10	झारखण्ड	24	4
11	कर्नाटक	34	5
12	केरल	14	2
13	मध्यप्रदेश	51	8
14	महाराष्ट्र	35	5
15	मणिपुर	9	2
16	मेघालय	7	2
17	मिजोरम	8	2
18	नागालैण्ड	11	2
19	ओडिशा	30	5
20	पंजाब	22	3
21	राजस्थान	33	5
22	सिक्किम	4	2
23	तमिलनाडु	30	5
24	तेलंगाना	10	2
25	त्रिपुरा	8	2
26	उत्तराखण्ड	13	2
27	उत्तर-प्रदेश	75	10
28	पश्चिम बंगाल	20	3
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3	2

30	चन्डीगढ़	1	1
31	दिल्ली	9	2
32	दादरा एवं हवेली	1	1
33	दमन दीव	2	2
34	लक्षद्वीप	1	1
35	पुडुचेरी	4	2
कुल		658	112

परिशिष्ट - II
(पैरा 2.5 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त शेष राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/यूटी के नाम	अप्रयुक्त शेष राशि					
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	अंडमान एवं निकोबार	3.52	3.93	13.29	13.87	9.58	8.81
2	आंध्र प्रदेश	628.70	940.43	454.51	591.65	809.08	554.69
3	अरुणाचल प्रदेश	12.71	22.03	59.09	3.96	224.25	-6.99
4	असम	46.284	229.41	163.42	700.22	475.98	507.95
5	बिहार	5774.09	3419.25	7653.13	5070.00	2722.70	1911.26
6	चंडीगढ़	17.30	11.78	23.00	14.39	7.99	1.40
7	छत्तीसगढ़	1665.44	98.35	601.37	477.46	108.57	250.00
8	दादरा नगर हवेली	7.16	8.37	14.83	7.25	7.74	2.40
9	दमन और दीव	1.67	1.54	4.61	5.76	5.55	2.79
10	दिल्ली	46.86	38.74	28.58	86.01	48.50	51.78
11	गोवा	2.75	10.78	4.15	2.41	4.56	.13
12	गुजरात	81.26	183.96	116.20	1474.86	458.19	202.26
13	हरियाणा	186.66	214.40	468.61	182.72	290.34	305.52
14	हिमाचल प्रदेश	247.78	80.88	60.16	38.24	49.55	0
15	झारखंड	1738.95	1386.41	1725.36	907.39	1216.71	988.55
16	कर्नाटक	397.16	380.20	198.63	700.16	235.32	1264.21
17	केरल	91.98	140.75	60.26	41.51	107.84	121.78
18	लक्षद्वीप	3.99	5.72	10.40	3.77	3.10	-.70
19	मध्य प्रदेश	947.39	0	456.21	1363.89	860.52	1044.75
20	महाराष्ट्र	200.28	345.21	697.56	708.74	588.80	0
21	मणिपुर	95.97	41.31	128.74	29.44	147.09	113.53
22	मेघालय	0	63.98	97.18	176.64	137.53	122.00
23	मिजोरम	22.00	2.85	-.31	-1.51	39.55	13.05
24	नगालैंड	47.39	44.33	31.76	40.38	125.86	76.50
25	ओडिशा	563.77	1045.27	1782.68	1505.37	1334.32	1209.00
26	पुडुचेरी	1.87	1.54	2.00	5.65	2.03	5.79
27	पंजाब	253.91	118.82	329.86	285.81	225.69	94.86
28	राजस्थान	222.38	262.74	0	0	-334.00	70.16
29	सिक्किम	19.81	20.81	10.46	7.88	7.13	11.51
30	तमिलनाडु	153.76	237.88	243.66	-261.79	9.13	10.43

31	तेलंगाना	0	0	0	0	620.65	260.29
32	त्रिपुरा	121.30	142.62	55.84	86.19	72.51	73.05
33	उत्तर प्रदेश	482.11	968.63	1025.41	874.23	1059.92	1147.71
34	उत्तराखंड	192.88	213.94	29.71	61.55	95.20	0
35	पश्चिम बंगाल	119.15	1572.60	413.41	2077.56	2335.42	1992.83
	कुल	14398.23	12259.46	16963.77	17281.66	14112.90	12411.30

0 = मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यूसी प्रदान नहीं किया

परिशिष्ट - III
(पैरा 2.6 के संदर्भ में)
बकाया अग्रिम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	राज्य/यूटी	31.3.2014 तक बकाया अग्रिम	31.3.2015 तक बकाया अग्रिम	31.3.2016 तक बकाया अग्रिम
1	ए और एन द्वीप समूह	21.14	6.04	5.84
2	आंध्र प्रदेश	375.76	266.08	91.49
3	अरुणाचल प्रदेश	0.45	0.08	0.99
4	असम	64.93	207.89	212.31
5	बिहार	4554.98	3415.52	1460.08
6	चंडीगढ़ यूटी	6.02	8.27	8.29
7	छत्तीसगढ़	415.41	523.27	102.02
8	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.18
9	दमन और दीव	2.93	2.63	2.64
10	दिल्ली	35.77	26.72	116.37
11	गोवा	2.21	1.81	0.60
12	गुजरात	0.09	12.15	0.00
13	हरियाणा	648.59	165.15	163.71
14	हिमाचल प्रदेश	12.44	38.58	52.31
15	झारखंड	807.79	659.07	876.52
16	कर्नाटक	114.83	121.63	35.70
17	केरल	1.60	0.42	0.59
18	लक्षद्वीप	2.52	0.04	0.36
19	मध्य प्रदेश	1517.85	1165.14	0.00
20	महाराष्ट्र	0.00	505.44	0.00
21	मणिपुर	91.62	117.66	0.00
22	मेघालय	31.66	42.56	34.08
23	मिजोरम	0.23	0.00	0.11
24	नगालैंड	0.83	0.82	22.92
25	ओडिशा	1715.60	1252.49	53.79
26	पुडुचेरी	1.32	0.07	4.28
27	पंजाब	63.32	59.87	15.49
28	राजस्थान	320.48	4047.34	152.45
29	सिक्किम	0.00	0.40	0.30
30	तमिलनाडु	40.58	35.55	17.05
31	तेलंगाना	0.00	169.16	138.62

32	त्रिपुरा	0.00	179.23	35.16
33	उत्तर प्रदेश	133.93	370.32	248.29
34	उत्तराखंड	0.00	22.83	6.40
35	पश्चिम बंगाल	0.00	1629.44	615.85
	कुल	10984.85	15053.63	4474.79

परिशिष्ट - IV

(पैरा 3.2 के संदर्भ में)

'स्कूल के बाहर के बच्चों' के बारे में तुलनात्मक विवरण

क्र. सं.	राज्य	सैट 1*		सैट 2 [§]		सैट 3	सैट 4
		राज्य आंकड़ों के अनुसार ओओएससी		प्रोजेक्शन और यूडीआईएसई के अनुसार ओओएससी		एमएचआरडी सर्वे के अनुसार ओओएससी	एड्वलूपी&बी के अनुसार ओओएससी
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16	2014-15	2014-15
1	अण्डमान एवं निकोबार	-265	611	5,873	7,434	1,015	0
2	आन्ध्र प्रदेश	5,09,110	5,47,004	8,69,959	11,25,449	1,07,829	67,805
3	अरुणाचल प्रदेश	25,573	26,009	-67,798	-70,144	6,517	2,315
4	असम	97,501	1,06,646	-4,49,230	-86,603	1,57,813	88,516
5	बिहार	1,03,557	-16,18,455	-31,458	-71,15,386	11,69,722	1,81,086
6	चंडीगढ़	0	0	15,353	24,273	1,090	4,885
7	छत्तीसगढ़	50,373	36,511	-1,06,427	-38,533	1,67,072	56,159
8	दादरा एवं हवेली	-562	-1,339	9,408	9,929	745	174
9	दमन एवं दीव	1,150	1,466	5,032	6,565	421	71
10	दिल्ली	0	0	-4,22,080	-4,28,275	85,084	9,809
11	गोवा	0	0	-4,870	-2,177	0	1,664
12	गुजरात	35,995	66,877	3,07,425	3,14,082	1,59,308	35,995
13	हरियाणा	96,120	1,95,072	1,22,449	3,34,456	43,879	92,644
14	हिमाचल प्रदेश	4,942	3,892	-7,705	-8,383	2,176	2,852
15	झारखंड	-1,63,659	-2,54,478	-3,45,455	-4,30,987	1,40,426	2,44,113
16	कर्णाटक	95,542	131,953	1,19,065	-38,64,170	1,22,139	1,81,053
17	केरल	13,356	11,852	1,77,488	1,92,510	33,161	2,178
18	लक्षद्वीप	0	0	1,766	2,202	267	0
19	मध्य प्रदेश	1,02,000	60,000	72,716	7,72,788	4,50,952	63,591
20	महाराष्ट्र	-1,49,074	-1,46,906	1,79,847	2,78,183	1,45,326	63,420
21	मणिपुर	1,81,341	2,53,077	-1,15,016	-1,17,602	7,037	7,167
22	मेघालय	31,260	14,942	-1,88,820	-2,19,173	17,237	31,276
23	मिजोरम	5,444	3,537	-41,413	-44,971	972	4,108
24	नागालैंड	9,331	8,757	1,341	-1,294	2,896	6,692
25	उड़ीसा	2,94,675	9,726	15,538	-12,871	4,01,052	6,001
26	पुडुचेरी	-2,267	-1,991	21,353	28,407	285	303

27	पंजाब	0	0	-76,361	-17,311	91,578	10,840
28	राजस्थान	26,85,000	20,33,000	7,55,756	3,49,809	6,01,863	2,98,790
29	सिक्किम	902	697	-20,203	-16,645	535	1,342
30	तमिलनाडु	-120,325	-121,736	27,014	5,782	57,529	38,879
31	तेलंगाना	36,519	46,391	2,50,581	1,12,991	0	0
32	त्रिपुरा	371,249	3,63,841	-68,529	-71,340	4,518	1,376
33	उत्तर प्रदेश	-6,16,212	-8,18,476	51,24,708	58,54,410	16,12,285	78,099
34	उत्तराखंड	3,808	3,208	92,901	98,145	86,794	5,827
35	पश्चिम बंगाल	15,50,174	14,41,050	-41,486	-5,16,027	3,39,239	86,066

- * - राज्यों के अनुसार बाल जनसंख्या के प्रक्षेपण के आधार पर छह से 14 वर्ष की आयु समूह में स्कूलों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या में कमी।
- \$ - एमएचआरडी के अनुसार छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या के आधार पर स्कूलों में नामांकित बच्चों की कुल संख्या में कमी।

परिशिष्ट - V-ए
(पैरा 3.4 के संदर्भ में)
कुल नामांकन अनुपात (2012-13)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
1	अंडमान एवं निकोबार	168.96	146.96	121.05
2	आंध्र प्रदेश	288.55	228.59	157.6
3	अरुणाचल प्रदेश	113.96	83.49	46.12
4	असम	101.96	73.61	47.36
5	बिहार	84.94	65.25	31.15
6	चंडीगढ़	80.28	76.13	54.49
7	छत्तीसगढ़	95.83	74.36	42.9
8	दादरा नगर हवेली	81.37	71.90	49.63
9	दमन और दीव	74.07	68.00	47.43
10	दिल्ली	92.04	87.79	63.22
11	गोवा	98.96	88.92	68.30
12	गुजरात	83.42	68.51	42.86
13	हरियाणा	77.22	65.13	45.77
14	हिमाचल प्रदेश	84.36	77.91	68.98
15	जम्मू और कश्मीर	69.04	58.24	39.14
16	झारखंड	97.92	73.80	40.86
17	कर्नाटक	86.20	77.32	61.12
18	केरल	83.55	80.44	70.59
19	लक्षद्वीप	86.09	94.77	77.22
20	मध्य प्रदेश	97.09	77.18	34.56
21	महाराष्ट्र	86.20	73.92	53.18
22	मणिपुर	286.38	197.65	126.67
23	मेघालय	94.82	58.83	33.87
24	मिजोरम	118.99	85.72	51.49

25	नगालैंड	105.00	67.38	31.75
26	ओडिशा	94.03	64.71	64.83
27	पुडुचेरी	82.18	80.98	70.08
28	पंजाब	85.67	69.29	49.08
29	राजस्थान	80.08	59.22	38.65
30	सिक्किम	91.20	71.57	24.52
31	तमिलनाडु	86.86	75.18	59.31
32	त्रिपुरा	107.02	94.62	73.19
33	उत्तर प्रदेश	91.45	56.36	32.84
34	उत्तराखंड	80.96	63.45	51.23
35	पश्चिम बंगाल	92.57	68.81	42.03
36	सभी राज्य	96.09	73.78	47.92

स्रोत: स्कूल रिपोर्ट कार्ड

परिशिष्ट - V-बी
(पैरा 3.4 के संदर्भ में)
कुल नामांकन अनुपात (2013-14)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
1	अंडमान एवं निकोबार	एनए	एनए	एनए
2	आंध्र प्रदेश	137.11	110.47	76.69
3	अरुणाचल प्रदेश	108.51	88.29	50.12
4	असम	105.95	76.49	50.32
5	बिहार	91.66	79.06	35.98
6	चंडीगढ़	78.08	77.09	57.99
7	छत्तीसगढ़	93.79	76.80	51.89
8	दादरा नगर हवेली	79.59	71.65	51.68
9	दमन और दीव	75.55	68.36	51.30
10	दिल्ली	92.30	93.26	64.35
11	गोवा	97.51	89.28	72.91
12	गुजरात	82.92	68.39	44.88
13	हरियाणा	77.67	68.63	46.20
14	हिमाचल प्रदेश	83.71	78.44	68.07
15	जम्मू और कश्मीर	68.99	55.32	39.56
16	झारखंड	96.49	79.76	44.38
17	कर्नाटक	92.28	82.89	54.01
18	केरल	85.78	82.26	73.79
19	लक्षद्वीप	79.06	78.74	81.17
20	मध्य प्रदेश	93.66	76.14	44.76
21	महाराष्ट्र	86.42	75.84	56.27
22	मणिपुर	107.78	106.98	72.89
23	मेघालय	95.28	64.87	38.29
24	मिजोरम	100.86	83.93	53.98
25	नगालैंड	99.39	74.26	40.75
26	ओडिशा	एनए	एनए	एनए
27	पुडुचेरी	एनए	एनए	एनए

28	पंजाब	85.72	70.13	47.48
29	राजस्थान	79.54	61.97	41.04
30	सिक्किम	83.54	59.90	26.14
31	तमिलनाडु	86.66	76.66	61.59
32	तेलंगाना	एनए	एनए	एनए
33	त्रिपुरा	101.15	101.25	87.95
34	उत्तर प्रदेश	87.03	57.26	36.67
35	उत्तराखंड	एनए	एनए	एनए
36	पश्चिम बंगाल	92.09	72.95	41.66
सभी राज्य		90.41	72.54	46.86

स्रोत: स्कूल रिपोर्ट कार्ड

एनए: उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट - V-सी
(पैरा 3.4 के संदर्भ में)
कुल नामांकन अनुपात (2013-14)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
1	अंडमान एवं निकोबार	78.85	68.26	59.90
2	आंध्र प्रदेश	73.77	60.31	44.01
3	अरुणाचल प्रदेश	116.41	100.19	58.37
4	असम	107.79	80.22	54.31
5	बिहार	93.77	87.63	42.08
6	चंडीगढ़	74.93	76.07	57.47
7	छत्तीसगढ़	93.37	78.45	55.75
8	दादरा नगर हवेली	76.65	70.81	59.59
9	दमन और दीव	75.14	65.53	52.34
10	दिल्ली	93.16	95.42	65.13
11	गोवा	96.97	86.65	79.21
12	गुजरात	83.29	71.36	47.73
13	हरियाणा	77.82	71.11	49.42
14	हिमाचल प्रदेश	83.92	79.36	66.48
15	जम्मू और कश्मीर	72.14	56.45	42.30
16	झारखंड	96.02	86.12	47.12
17	कर्नाटक	94.44	85.02	59.19
18	केरल	84.62	80.33	74.89
19	लक्षद्वीप	76.03	72.15	90.66
20	मध्य प्रदेश	85.31	73.47	42.99
21	महाराष्ट्र	85.70	76.85	58.27
22	मणिपुर	107.53	108.78	79.44
23	मेघालय	97.13	68.41	43.90
24	मिजोरम	95.45	85.97	57.19
25	नगालैंड	85.59	86.25	40.28
26	ओडिशा	91.07	68.21	50.31
27	पुडुचेरी	72.54	67.44	57.81
28	पंजाब	85.74	71.55	49.24
29	राजस्थान	77.76	63.07	39.79
30	सिक्किम	79.75	68.74	34.06
31	तमिलनाडु	88.41	76.02	64.20
32	तेलंगाना	80.10	64.71	50.78
33	त्रिपुरा	100.72	106.66	88.55

34	उत्तर प्रदेश	85.64	59.64	40.09
35	उत्तराखंड	85.40	64.07	49.00
36	पश्चिम बंगाल	90.96	77.45	46.36
37	सभी राज्य	87.41	72.48	48.46

स्रोत: स्कूल रिपोर्ट कार्ड

परिशिष्ट - V-डी
(पैरा 3.4 के संदर्भ में)
कुल नामांकन अनुपात (2015-16)

क्र.सं.	राज्य/यूटी	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	माध्यमिक
1	अंडमान एवं निकोबार	एनए	एनए	एनए
2	आंध्र प्रदेश	72.10	63.37	52.29
3	अरुणाचल प्रदेश	115.64	108.54	64.90
4	असम	99.60	77.83	55.67
5	बिहार	100.57	96.88	48.62
6	चंडीगढ़	72.23	74.64	59.49
7	छत्तीसगढ़	91.69	82.10	55.94
8	दादरा नगर हवेली	76.92	69.18	56.78
9	दमन और दीव	71.42	62.45	48.67
10	दिल्ली	93.36	98.08	68.73
11	गोवा	95.66	84.78	78.45
12	गुजरात	82.46	73.35	47.54
13	हरियाणा	73.76	69.36	50.65
14	हिमाचल प्रदेश	82.10	80.46	67.37
15	जम्मू और कश्मीर	72.39	56.04	43.55
16	झारखंड	97.21	89.12	49.61
17	कर्नाटक	96.40	79.37	62.14
18	केरल	85.65	79.94	76.52
19	लक्षद्वीप	73.28	68.20	68.59
20	मध्य प्रदेश	79.83	72.31	46.56
21	महाराष्ट्र	85.79	78.49	59.94
22	मणिपुर	102.87	115.89	82.53
23	मेघालय	96.86	72.87	49.88
24	मिजोरम	99.00	92.52	60.08
25	नगालैंड	83.20	80.89	46.44
26	ओडिशा	90.51	72.00	52.92
27	पुडुचेरी	69.30	63.96	52.68

28	पंजाब	84.10	89.24	51.60
29	राजस्थान	79.20	67.18	41.14
30	सिक्किम	75.47	82.57	41.51
31	तमिलनाडु	90.90	77.05	65.93
32	तेलंगाना	80.64	68.45	52.39
33	त्रिपुरा	97.99	121.42	89.82
34	उत्तर प्रदेश	83.07	60.53	41.98
35	उत्तराखंड	84.42	66.24	51.49
36	पश्चिम बंगाल	94.02	81.30	52.35
37	सभी राज्य	87.30	74.74	51.26

स्रोत: स्कूल रिपोर्ट कार्ड

एनए: उपलब्ध नहीं

परिशिष्ट - VI ए

(पैरा 3.22 के संदर्भ में)

कर्नाटक में विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन डाटा के बीच
भिन्नता वाले विद्यालयों की सं.

क्र.सं.	संकेतक	विद्यालयों की सं.
1	सीडब्ल्यूएसएन के लिए संसाधन शिक्षक द्वारा दौरा	79
2	सीआरसी समन्वयक द्वारा दौरों की सं.	122
3	बीईओ द्वारा दौरों की सं.	114
4	लड़कों के लिए शौचालय सीटों की सं.	60
5	लड़कों के लिए शौचालय सीटों की सं. (कार्यात्मक)	61
6	लड़कियों के लिए शौचालय सीटों की सं.	60
7	लड़कियों के लिए शौचालय सीटों की सं. (कार्यात्मक)	61
8	सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालय सीटें	52
9	सीडब्ल्यूएसएन के लिए शौचालय सीटें (कार्यात्मक)	58
10	नियमित शिक्षकों की सं.	58
11	संविदात्मक शिक्षकों की सं.	56
12	नामांकन	84
13	पुनरावर्तक	22
14	सीडब्ल्यूएसएन विद्यार्थी	50
15	एसडीएमसी का गठन	91
16	पीटीआर (छात्र-शिक्षक अनुपात)	90
17	एससीआर (विद्यार्थी-कक्षा अनुपात)	92
18	शिक्षकों की सं. (पुरुष)	36
19	शिक्षकों की सं. (महिला)	34
20	55 वर्ष से ऊपर के शिक्षकों की सं.	64
21	कम से कम 10 दिनों तक प्रशिक्षित शिक्षकों की सं.	71
22	पेयजल सुविधाएं	82
23	पेयजल (कार्यात्मक)	23
24	प्रत्येक कक्षा के लिए कमरा	63
25	कक्षाओं की सं.	67
26	अच्छी स्थिति में कक्षाओं की सं.	73
27	बड़ी मरम्मत की आवश्यकता वाली कक्षाओं की सं.	53
28	मामूली मरम्मत की आवश्यकता वाली कक्षाओं की सं.	57
29	निर्देश उद्देश्य के लिए कक्षाओं की सं.	80
30	फर्नीचर की उपलब्धता	74
31	खेल का मैदान	49
32	खेल के मैदान के लिए उपलब्ध भूमि	44
33	क्या विकलांगों के लिए रैंप की आवश्यकता है	83
34	उपलब्ध रैंप	68

35	उपलब्ध हैंडैल्स	88
36	उपलब्ध कम्प्यूटरों की सं.	65
37	कम्प्यूटरों की सं. (कार्यात्मक)	67
38	अतिरिक्त कक्षा के लिए भूमि	58
39	विद्यालय भवन की स्थिति	26
40	पुस्तकालय	58
41	पुस्तकालय में पुस्तकों की सं.	114

स्रोत: राज्य का यूडीएसई तथा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन

परिशिष्ट - VI बी

(पैरा 3.22 के संदर्भ में)

ओडिशा में विद्यालय रिपोर्ट कार्ड एवं संयुक्त
प्रत्यक्ष सत्यापन के आंकड़ों के बीच भिन्नता वाले विद्यालयों की सं.

क्र.सं.	घटक का नाम	विद्यालयों की सं.
1	एचएम कमरा	39
2	रैंप	40
3	शौचालय - लड़कें	67
4	शौचालय - लड़कियां	55
5	जल	41
6	रसोईघर शेड	86
7	खेल का मैदान	27
8	खेल की सामग्री	150
9	चारदीवारी	114
10	पुस्तकालय	49
11	पक्का भवन	76
12	बिजली	36

स्रोत: राज्य तथा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन (जेपीवी) के यूडीआईएसई

परिशिष्ट - VII
(पैरा 4.4.2 के संदर्भ में)
एसएमसी बैठक में कमी

क्र.म.	राज्य	अभ्युक्ति
1	असम	चयनित जिलों में, एक साल में बैठकों की 70 से बढ़कर 73 प्रतिशत कमी पाई गई। कोकराझार जिले के तहत चयनित सभी 30 स्कूलों में 2013-14 के दौरान कोई एसएमसी बैठक नहीं हुई थी।
2	छत्तीसगढ़	120 जांच किए गये विद्यालयों में से, 102 स्कूलों में (85 प्रतिशत) नियमों के अनुसार एसएमसी मीटिंग 2010-16 के दौरान आयोजित नहीं की गई थी।
3	गुजरात	निर्धारित 10,800 बैठकों (12150 स्कूलों के प्रति वर्ष बैठक 6 वर्षों के लिए) के प्रति, केवल 3,499 (32.40 प्रतिशत) मीटिंग 2010-11 से 2015-16 तक आयोजित की गई थी।
4	झारखंड	चार परीक्षण जिलों के 80 सरकारी स्कूलों में, 4,927 बैठकों के आयोजित होने के प्रति, जनवरी 2011 से केवल 2,343 बैठकें आयोजित की गईं।
5	कर्नाटक	कुल 150 जांच किए गये स्कूलों में से, 68 स्कूलों में पिछले पांच वर्षों के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या निर्धारित से कम थी।
6	मध्य प्रदेश	पिछले पांच सालों के दौरान 203 जांच किए गये स्कूलों में से 158 में एसएमसी की बैठकों में कमी पाई गई।
7	मेघालय	2 जिलों में 60 जांच किए गये स्कूलों में से पिछले पांच सालों के दौरान 33 स्कूलों में 5 बार एवं 4 स्कूलों में 20 बार एसएमसी बैठकें आयोजित की गईं।
8	नागालैंड	2 चयनित जिलों में से, एक जिले के 13 स्कूलों में कोई बैठक नहीं हुई थी। शेष 47 स्कूलों में, समीक्षाधीन अवधि के दौरान अधिदिष्ट 1128 बैठकों में से केवल 636 बैठकें ही आयोजित की गईं, जिसके परिणामस्वरूप 492 बैठकों (44 प्रतिशत) की कमी हुई।
9	ओडिशा	9000 बैठकों की आवश्यकता के प्रति, नमूना विद्यालयों में केवल 6793 (73 प्रतिशत) एसएमसी बैठकें आयोजित की गई थीं।
10	पंजाब	90 जांच किए गये विद्यालयों में से, 49 विद्यालयों में एसएमसी बैठकों में कमी देखी गई थी।
11	त्रिपुरा	60 स्कूलों में आयोजित होने वाली 1,980 एसएमसी बैठकों में से 2010-11 से 2015-16 तक केवल 938 बैठकें आयोजित की गईं।
12	उत्तराखंड	चयनित विद्यालयों में 2011-16 के दौरान आवश्यक संख्या के प्रति केवल 52 प्रतिशत बैठकों का आयोजन किया गया था।
13	चंडीगढ़	30 जांच किए गये स्कूलों में से, 27 स्कूलों में, एसएमसी की बैठकों में 10% और 92% के बीच कमी थी।
14	दिल्ली	60 चयनित स्कूलों में से, एक स्कूल में एसएमसी ने एक भी बैठक आयोजित नहीं की और 56 (डीओई के 24 स्कूल और डीएमसी के 32

		स्कूल) स्कूलों में एसएमसी ने एक साल में छह से कम बैठकों का आयोजन किया। बैठकें आयोजित करने में 3 से 17 बैठकों की कमी पाई गई।
15	दादर एवं नागर हवेली	वर्ष 2015-16 के दौरान, 15 स्कूलों में एसएमसी की बैठक एक महीने में एक बार भी आयोजित नहीं की गई थी।
16	दमन एवं द्वीप	एक जिले के 27 चयनित सरकारी स्कूलों में एसएमसी की मासिक बैठकें आयोजित नहीं की गईं।
17	लक्षद्वीप	15 जांच किए गये स्कूलों में से, 2010-11 से 2015-16 की अवधि के दौरान 1 से 9 तक की बैठकें आयोजित करने में कमी थी।
18	पुडुचेरी	वर्ष 2010-16 के दौरान आयोजित होने वाली 2,835 एसएमसी बैठकों में से, जांच किए गए स्कूलों में केवल 899 बैठक आयोजित की गई थी।


परिशिष्ट - VIII
(पैरा 4.6.2.1 देखें)

एस.सी.पी.सी.आर के संघटन में देरी

क्रमांक	राज्य	संघटक की नियत तारीख	संघटक की वास्तविक तारीख
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	01.04.2010	04.04.2011 (आरईपीए)
2	आंध्र प्रदेश	01.04.2010	04.12.2012
3	अरुणाचल प्रदेश	01.04.2010	08.11.2013
4	चन्डीगढ़	01.04.2010	11.03.2014
5	छत्तीसगढ़	01.04.2010	16.06.2010
6	दादरा एवं नगर हवेली	01.04.2010	12.05.2011
7	दमन एवं दीव	01.04.2010	12.11.2010 (बाल संरक्षण सोसाइटी)
8	गुजरात	01.04.2010	28.09.2012
9	हरियाणा	01.04.2010	28.12.2012
10	हिमाचल प्रदेश	01.04.2010	27.04.2013
11	जम्मू एवं कश्मीर	01.04.2010	एनए
12	झारखण्ड	01.04.2010	18.10.2011
13	केरल	01.04.2010	04.10.2012
14	लक्षद्वीप	01.04.2010	27.04.2015 (आरईपीए)
15	मणिपुर	01.04.2010	02.11.2012
16	मेघालय	01.04.2010	10.07.2013
17	मिजोरम	01.04.2010	13.09.2010 (आरईपीए)
18	नागालैण्ड	01.04.2010	19.04.2013
19	पुडुच्चेरी	01.04.2010	22.05.2012 (आरईपीए)
20	पंजाब	01.04.2010	15.04.2011
21	तमिलनाडु	01.04.2010	28.03.2012
22	त्रिपुरा	01.04.2010	30.11.2013
23	तेलंगाणा	01.04.2010	25.11.2014
24	उत्तरप्रदेश	01.04.2010	29.11.2013
25	उत्तराखंड	01.04.2010	10.05.2011
26	पं. बंगाल	01.04.2010	17.08.2012

स्रोत: एनसीपीसीआर और संबंधित राज्य की एससीपीसीआर वेबसाइट

संकेताक्षर



संकेताक्षर

एबीआरसी	अतिरिक्त ब्लॉक संसाधन केंद्र
एबीएसए	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी
एआईई	वैकल्पिक और अभिनव शिक्षा
एसएस	वैकल्पिक स्कूली शिक्षा
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूपी व बी	वार्षिक कार्य योजना और बजट
बीएसएस	आधारभूत उपलब्धि सर्वेक्षण
बीईईडी	ब्लॉक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी
बीईओ	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
बीएसओ	ब्लॉक स्तर अधिकारी
बीपीएस	गरीबी रेखा के नीचे
बीआरसी	ब्लॉक संसाधन केंद्र
बीआरसीसी	ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयकर्ता
बीआरपी	ब्लॉक संसाधन व्यक्ति
बीटीईसी	मूल शिक्षक शिक्षा केंद्र
सीए	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सीएबीई	केन्द्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड
सीबीआर	समुदाय आधारित पुनर्वास
सीसीए	मुख्य लेखा नियंत्रक
सीईसी	सतत शिक्षा केंद्र
सीएसआरसी	परिमंडल संसाधन केंद्र
सीएम	सामुदायिक जुटाव
सीपीआई	लोक निर्देशों के लिए आयुक्त
सीआरसी	समूह संसाधन केंद्र, संकुल संसाधन समन्वयक
सीआरसीसी	समूह संसाधन केंद्र समन्वयक
सीडब्ल्यूएसएन	निशक्त बच्चे
डीएसएमसी	जिला दाखिला मॉनिटरिंग समिति
डीबीई	जिला शिक्षा बोर्ड
डीईई	प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
डीईईपी	जिला प्राथमिक शिक्षा योजना
डीईओ	जिला शिक्षा अधिकारी
डीजी	महानिदेशक
डीआईईटी	जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान
डीआईएसई	जिला शिक्षा सूचना प्रणाली
डीएसएमसी	जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति

डीएमए	जिला मिशन प्राधिकरण
डीएमसी	जिला मॉनिटरिंग समिति
डीओई	शिक्षा निदेशालय
डीपीसी	जिला योजना समिति
डीपीईओ	प्राथमिक निदेशालय शिक्षा
डीपीईपी	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
डीआरपी	जिला संसाधन व्यक्ति
डीएस	उप सचिव
ईसी	कार्यकारी समिति
ईसी	कार्यकारी परिषद
ईसीसीई	प्रारंभिक शैशवावस्था की देखभाल और शिक्षा
ईसीई	प्रारंभिक शैशवावस्था शिक्षा
ईडीआई	शैक्षिक उन्नति सूचकांक
ईजीएस	शिक्षा गारंटी योजना
ईएमआईएस	शैक्षिक प्रबंधन सूचना प्रणाली
ईवीएस	पर्यावरणात्मक विज्ञान
एफएमपी	फाइनेंशियल (वित्त प्रबंधन एवं प्रापण)
जीसी	शासी परिषद
जीआईए	सहायता अनुदान
जीएमएस	सरकारी मिडिल स्कूल
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीपीएस	सरकारी प्राथमिक स्कूल
जीएससीपीसीआर	गुजरात राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
जीएसएसए	गोवा/गुजरात सर्व शिक्षा अभियान
एचएलजी	उच्च स्तरीय समूह
एचएस	हाई स्कूल
एचएसएस	उच्च वरिष्ठ माध्यमिक
आईसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवाएं
आईईडी	विकलांग बच्चे समाविष्ट शिक्षा
जेईपीसी	झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद
जेआरएम	संयुक्त समीक्षा मिशन
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केएससीपीसीआर	कर्नाटक राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एलईपी	अधिगम संवर्धन कार्यक्रम
एमसी	मॉनिटरिंग समिति
एमडीएम	मिड-डे मील

एमएचआरडी	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
एमआई	मॉनिटरिंग संस्थान
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएलएल	अधिगम न्यूनतम स्तर
एमएमई	प्रबंधन, मॉनिटरिंग और मूल्यांकन
एमपीपीएस	मंडल परिषद प्राथमिक विद्यालय
एमपीएसपी	महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद
एमपीयूपीएस	मंडल परिषद उच्च प्राथमिक विद्यालय
एमएस	महिला समख्या
एमएसके	माध्यमिक शिक्षा केंद्र
एमटीए	मातृ अध्यापक संघ
एनएसी	राष्ट्रीय सलाहकार परिषद
एनसीईसी	नोडल सतत् शिक्षा केन्द्र
एनसीईआरटी	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केन्द्र
एनसीएफ	राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा
एनसीपीसीआर	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एनसीटीई	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद
एनजीओ	गैर सरकारी संगठन
एनएलएम	राष्ट्रीय साक्षरता मिशन
एनपीई	शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति
एनपीईजीईएल	प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम
एनपीआरसी	नया पंचायत संसाधन केंद्र
एनयूईपीए	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन विश्वविद्यालय
ओबीसी	अन्य पिछड़ा समुदाय
ओपीईपीए	ओडिशा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण
पीएबी	परियोजना अनुमोदन बोर्ड
पीबीआरएसएसएम	पश्चिम बंगा राज्य शिशु शिक्षा मिशन
पीईईपी	प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के संवर्धन के लिए परियोजना
पीएस	प्राथमिक स्कूल
पीटीए	शिक्षक अभिभावक संघ
पीटीआर	छात्र शिक्षक अनुपात
क्यूएमटी	गुणवत्ता मॉनिटरिंग उपकरण
आरईएमएस	अनुसंधान, मूल्यांकन, मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण
आरईपीए	शिक्षा का अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
आरआईई	क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान
आरएसके	राज्य शिक्षा केंद्र
आरटीई	शिक्षा का अधिकार

एसएसी	राज्य सलाहकार परिषद
एससी	अनुसूचित जाति
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एससीपीसीआर	राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग
एसडीपी	स्कूल विकास योजना
एसई व एल	स्कूल शिक्षा और साक्षरता
एसईसी	विद्यालय शिक्षा समिति
एसएएमएएम	राज्य शिक्षा मिशन प्राधिकरण, मेघालय
एसईएस	चयनित शैक्षिक सांख्यिकी
एसएफडी	विशेष फोकस जिला
एसआईईएमएटी	राज्य शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान
एसआईएस	राज्य कार्यान्वयन समितियां
एसएमए	राज्य मिशन प्राधिकरण
एसएमसी	विद्यालय प्रबंधन समिति
एसपीडी	राज्य परियोजना निदेशक
एसपीओ	राज्य परियोजना कार्यालय
एसआरसी	राज्य संसाधन केंद्र
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसएम	सर्व शिक्षा अभियान मिशन
एसएसके	शिक्षा केंद्र
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीईटी	शिक्षक पात्रता परीक्षा
टीएलसी	कुल साक्षरता अभियान
टीएलई	शिक्षण अधिगम उपकरण
टीएलएम	शिक्षण अधिगम सामग्री
टीओआर	संदर्भ की अवधि
टीपीई	तृतीय पक्ष मूल्यांकन
टीएसजी	तकनीकी सहायता समूह
यूडीआईएसई	शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली
यूईई	प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
यूपी	उच्च प्राथमिक
यूपीएस	उच्च प्राथमिक विद्यालय
यूआरसी	शहरी संसाधन केंद्र
यूटी	संघ शासित प्रदेश
वीईसी	ग्राम शिक्षा समिति
डब्ल्यूएसडीपी	संपूर्ण विद्यालय विकास योजना